नवचयनित पंचायत सहायक के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ साहित्य

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, प्रिट लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0

नवचयनित पंचायत सहायक के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ साहित्य

संरक्षण एवं मार्ग–निर्देशन

श्री अनिल कुमार
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री राजेश कुमार त्यागी
आई.ए.एस.
निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण
संस्थान (प्रिट), उत्तर प्रदेश।

सम्पादक

श्री अभय कुमार शाही
संयुक्त निदेशक, प्रिट, उ0प्र0।

संकलन एवं प्रस्तुतिकरण

श्री मनीष कुमार मिश्र,
फैकल्टी, प्रिट, उ0प्र0।

विषय–सूची

क्र0स0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	पंचायती राज व्यवस्था– 73वां संविधान संशोधन	4 – 8
2	ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान व उनके दायित्व	9 – 16
3	ग्राम सभा – कार्य, दायित्व एवं महत्व	17 – 19
4	ग्राम पंचायत की समितियां एवं कार्य	20 – 22
5	पंचायत सिटीजन चार्टर	23 – 30
6	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	31 – 42
7	15वां केन्द्रीय वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग	43 – 48
8	बहुउदद्देशीय पंचायत भवन	49 – 55
9	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण	56 – 65
10	पंचायत कल्याण कोष उ0प्र0	66 – 68
11	मातृभूमि योजना	69 – 71
12	ग्राम पंचायत की स्वयं की आय स्रोत **(OSR)**	72 – 81
13	सतत् विकास लक्ष्य एवं उनका स्थानीयकरण (एल.एस.डी.जी.)	82 – 95
14	ग्राम पंचायत विकास योजना **(GPDP)**	96 – 103
15	ई–ग्राम स्वराज	104 – 112
16	पंचायत पुरस्कार	113 – 117

1
पंचायती राज व्यवस्था– 73वां संविधान संशोधन

पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत वर्ष के इतिहास के प्राचीन काल मध्य काल एवं आधुनिक काल में किसी न किसी रूप में स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था के साक्ष्य मिलते है। पंचायत हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशिष्ट पहचान है।

प्राचीन ग्रन्थों में पंचायत शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका आशय है 05 प्रबुद्ध लोगों का समूह जिन्हे पंच–परमेश्वर कहा गया। ऋगवेद में सभा समिति या एवं विदाथा के रूप में गाँव की स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है जो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक निकाय थे। मौर्य काल में चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ अर्थशास्त्र में स्वशासन की इकाई ग्राम, पंचायत एवं गाँव के समूह का उल्लेख किया गया है।

73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 में पंचायतों का स्वरूप

73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992

केन्द्र सरकार द्वारा 16 नवम्बर 1991 को 72वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा मे प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक 64वें संशोधन विधेयक की ही संशोधित प्रति थी। 22 दिसम्बर को लोकसभा तथा अगले दिन राज्यसभा ने इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित कर दिया। 17 राज्यों के अनुमोदन के बाद 24 अपैल 1993 में यह अधिनियम लागू कर दिया गया।

अधिनियम का महत्व

- अधिनियम ने संविधान में भाग IX] ''पंचायतें'' जोड़ा और ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी जिसमें पंचायतों की 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
- संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243(O) तक शामिल हैं।
- संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 40 (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) को आकार प्रदान करता है, जो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है ताकि वे स्व–सरकार के रूप में कार्य कर सकें।
- अधिनियम के साथ, पंचायती राज प्रणालियाँ संविधान के न्यायसंगत हिस्से के दायरे में आती हैं और राज्यों को इस प्रणाली को अपनाने का आदेश देती हैं। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया राज्य सरकार की इच्छा से स्वतंत्र होगी।
- **अधिनियम के दो भाग हैं** : अनिवार्य और स्वैच्छिक। राज्य कानूनों में अनिवार्य प्रावधान जोड़े जाने चाहिए, जिसमें नई पंचायती राज प्रणालियों का निर्माण शामिल है। दूसरी ओर, स्वैच्छिक प्रावधान राज्य सरकार का विवेक है।
- यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएँ बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदल दिया है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

• **ग्राम सभा** : ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है। यह एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित ऐसे कार्य करेगा जो उसे प्रदत्त किए जाए ।

• **त्रि–स्तरीय प्रणाली** : अधिनियम राज्यों में पंचायती राज की त्रि–स्तरीय प्रणाली (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) की स्थापना का प्रावधान करता है। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं कर सकते हैं।

• सदस्यों और अध्यक्ष का चुनावः पंचायती राज के सभी स्तरों के सदस्य सीधे चुने जाते हैं और मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं और ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार।

• पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने गए हों या नहीं, पंचायत की बैठकों में वोट देने का अधिकार है।

• **सीटों का आरक्षण** : एससी और एसटी के लिएः उनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार तीनों स्तरों पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

• **महिलाओं के लिए** : महिलाओं के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नहीं, इसके अलावा पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होना चाहिए।

• राज्य विधानमंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में किसी भी स्तर की पंचायत या अध्यक्ष के पद पर सीटों के आरक्षण पर निर्णय लेने का प्रावधान भी दिया गया है।

• **पंचायत की अवधि** : अधिनियम पंचायत के सभी स्तरों पर पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। हालाँकि, पंचायत को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। लेकिन नई पंचायत के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे–

- ✓ इसकी पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले।
- ✓ विघटन की स्थिति में, विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले।

• **अयोग्यता** : एक व्यक्ति को पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा यदि वह इस प्रकार अयोग्य है –

- ✓ संबंधित राज्य की विधायिका के चुनाव के उद्देश्य से किसी भी समय लागू कानून के तहत।

- ✓ राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत। हालाँकि, किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।
- ✓ इसके अलावा, अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को भेजे जाएंगे।

- **राज्य चुनाव आयोग**:

- ✓ आयोग मतदाता सूची तैयार करने और पंचायत चुनाव कराने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।
- ✓ राज्य विधानमंडल पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है।

- **शक्तियाँ और कार्य** : राज्य विधायिका पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें स्व–शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। ऐसी योजना में ग्राम पंचायत के कार्य से संबंधित प्रावधान शामिल हो सकते हैं:

- ✓ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना।
- ✓ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, जो उन्हें सौंपा जा सकता है, जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

- **वित्त व्यवस्था** : राज्य विधायिका कर सकती है –

- ✓ किसी पंचायत को कर, शुल्क, टोल और शुल्क लगाने, एकत्र करने और उचित करने के लिए अधिकृत करना।
- ✓ राज्य सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों को पंचायत को सौंपें।
- ✓ राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान।
- ✓ पंचायतों के सभी धन को जमा करने के लिए धन के गठन का प्रावधान करना।

- **वित्त आयोग** : राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और पंचायत को संसाधनों की पूर्ति के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के लिए सिफारिशें प्रदान करता है।
- **खातों की लेखापरीक्षा** : राज्य विधायिका पंचायत खातों के रखरखाव और लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान कर सकती है।

- **केंद्र शासित प्रदेशों पर आवेदन** : राष्ट्रपति अधिनियम के प्रावधानों को अपने द्वारा निर्दिष्ट अपवादों और संशोधनों के अधीन किसी भी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू करने का निर्देश दे सकते हैं।

- **छूट प्राप्त राज्य और क्षेत्र** : अधिनियम नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं,

  ✓ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र

  ✓ मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए एक जिला परिषद मौजूद है

  ✓ पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है।

  ✓ हालाँकि, संसद इस हिस्से को अपने द्वारा निर्दिष्ट अपवाद और संशोधन के अधीन इन क्षेत्रों तक विस्तारित कर सकती है। इस प्रकार, पेसा अधिनियम लागू किया गया।

- **मौजूदा कानून की निरंतरता** : पंचायतों से संबंधित सभी राज्य कानून इस अधिनियम के शुरू होने से एक वर्ष की समाप्ति तक लागू रहेंगे। दूसरे शब्दों में, राज्यों को 24 अप्रैल 1993, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि थी, से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर इस अधिनियम के आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना होगा। हालाँकि, अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले मौजूद सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक जारी रहेंगी, जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा जल्द ही भंग न कर दिया जाए।

- **अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक** : अधिनियम अदालतों को पंचायतों के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यह घोषणा करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि किसी भी पंचायत के किसी भी चुनाव पर ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका और राज्य विधायिका द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

2
ग्राम पंचायत एवं
ग्राम प्रधान व उनके दायित्व

ग्राम पंचायत

स्थापना

- जहां तक संभव हो एक हजार की आबादी पर किसी ग्राम या ग्राम के समूह के क्षेत्र को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है (धारा–11च), किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी राजस्व ग्राम को या उसके मजरे को तोड़ा नहीं जाएगा।
- प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जायेगी (धारा 12(1)(क))। प्रधान तथा 2/3 सदस्यों के चुनाव होने पर ही पंचायत का संगठन किया जायेगा।

ग्राम प्रधान एवं सदस्य– धारा 11क (1) 12 (1) (ग)

- ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा और 1000 की आबादी तक 9 सदस्य होंगे, 2000 की आबादी तक 11 सदस्य होंगें, 3000 तक की आबादी पर 13 सदस्य तथा 3000 से अधिक की आबादी पर 15 सदस्य होंगे।

चुनाव

- पंचायतों के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु 73वें संविधान संशोधन के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है जो पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने तथा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराता है।

प्रधान का चुनाव– धारा 11 ख(1)

- किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर शामिल किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदताओं द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाता है। सदस्य का चुनाव–ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव मतदाता सूची के सम्बन्धित वार्ड के मतदाताओं द्वारा किया जाता है।

प्रशासनिक समिति या प्रशासक (धारा 11 ख(2))

- यदि पंचायतों के सामान्य चुनाव में किसी ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है और दो–तिहाई से कम सदस्य चुने जाते हैं तो सरकार एक प्रशासनिक समिति बना सकती है, जिसमें वे व्यक्ति होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों।
- राज्य सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है।
- प्रशासनिक समिति के सदस्यों की संख्या सरकार तय करेगी।
- यह समिति या प्रशासक अधिकतम 6 माह ही कार्य करेगा और इसे इस अवधि में संघटित ग्राम पंचायत समझा जायेगा। इसे ग्राम पंचायत, उसकी समितियों और प्रधान के सभी अधिकार मिले माने जायेंगे।

कार्यकाल–धारा 12(3)(क)

- समान्य निर्वाचन के पश्चात ग्राम पंचायत की पहली बैठक के लिए तय तारीख से 5 साल तक पंचायत बनी रहेगी। यदि 5 साल से कम से कम 6 माह पहले उसे भंग किया जाता है, तो दोबारा चुनाव कराना होगा। दुबारा चुनी गई पंचायत का कार्यकाल सामान्य समय (5 वर्ष) से बचे हुए समय के लिए ही होगा।

बैठक (धारा 12 ख (1)

- ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक ज़रूरी है। साधारणतया बैठक उस ग्राम में बुलाई जायेगी जहां ग्राम पंचायत का कार्यालय स्थित हो। यह बैठक ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जायेगी। ग्राम पंचायत के निर्वाचन के पश्चात् 30 दिन के भीतर ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तिथि नियत की जायेगी।

बैठक की सूचना (नियम 32 व 37)

- कम से कम पांच दिन पहले सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।
- इसका प्रकाशन ग्राम पंचायत की अधिकार सीमा के अन्दर खास–खास स्थानों पर सूचना चिपकवा कर किया जायेगा और बैठक के दिनांक, समय और स्थान की घोषणा डुग्गी/मुनादी पिटवाकर भी की जाएगी।

कौन बैठक बुलायेगा (नियम 33)

- प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक बुला सकता है।
- यदि पंचायत के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहा जाए तो प्रधान को पत्र मिलने के 15 दिन के अन्दर बैठक बुलानी होगी। (नियम 33)

कोरम (नियम 35)

- ग्राम पंचायत के सदस्यों की पूरी संख्या की एक तिहाई जिसमें प्रधान भी शामिल होंगे, बैठक का कोरम होगी।
- यदि कोरम के पूरा न होने पर बैठक नहीं होती है तो दुबारा सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है, जिसके लिए कोरम की जरूरत नहीं होगी।

अध्यक्षता (नियम 46)

- प्रधान के मौजूद न रहने पर प्रधान के द्वारा मनोनीत सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- यदि प्रधान ने कोई सदस्य मनोनीत न किया हो तो ए.डी.ओ. (पंचायत) मनोनीत करेगा।
- यदि प्रधान और ए.डी.ओ. (पंचायत) दोनों ही किसी सदस्य को मनोनीत न कर पायें हो तो ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य को चुन सकते हैं।

बैठक की कार्यवाही (नियम 35(3))

- गत बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनायी जायेगी और उसकी पुष्टि की जायेगी और तब उस पर प्रधान हस्ताक्षर करेगा।
- पिछली बैठक के बाद का हिसाब बैठक में रखा जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।
- जो सूचना निर्देश व आदेश मिले हो उन्हें पढ़कर सुनाया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।
- सदस्य ऐसे सवाल ही पूछ सकते हैं, जो पंचायत से जुडे हो किन्तु वह कोई अनावश्यक विवाद पैदा करने की संभावना वाला, काल्पनिक, किसी जाति या व्यक्ति के लिए अपमानजनक प्रश्न नही पूछेगें ।
- बैठक की कार्यवाही, कार्यवाही रजिस्टर (रूप पत्र–8) पर अंकित की जायगी और बैठक की कार्यवाही की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को बैठक के 07 दिन के अन्दर भेजी जायेगी। (नियम–36)
- बैठक में लिये गये निर्णय पर तब तक पुनः विचार नही किया जायेगा जब तक कि दो तिहाई सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर कर इसके लिए प्रार्थना पत्र न दें। (नियम–40)

ग्राम प्रधान के कर्तव्य– **उ0प्र पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 47** के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान के कर्तव्य निम्नवत् है–

- ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों को बुलाए और उन बैठकों की अध्यक्षता करें।
- बैठक की कार्यवाही पर नियंत्रण रखें और अच्छी व्यवस्था बनाये रखें।
- ग्राम पंचायत की आर्थिक व्यवस्था तथा शासन की देखरेख करें यदि कोई त्रुटि या गड़बड़ी पायें तो इसकी सूचना ग्राम पंचायत को दें।
- ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की देखरेख करें और उन पर नियंत्रण रखें।
- ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को क्रियान्वित करें।
- ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की तरफ से समस्त पत्र व्यवहार करें।
- पंचायत की सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा के लिए प्रयासरत रहें।
- ग्राम पंचायत द्वारा लगाये जाने वाले कर, शुल्क या फीस लगाने व उसको वसूलने की व्यवस्था करें।
- दीवानी एवं फौजदारी मामलों में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की तरफ से अभियोजन प्रस्तुत करें।
- पंचायत की तीन समितियों क्रमशः नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति एवं प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष होने के कारण समय से बैठक बुलाए एवं उसकी अध्यक्षता करें।
- भूमि प्रबन्धक समिति एवं ग्राम राजस्व समिति की बैठक बुलाए एवं उसकी अध्यक्षता करें।
- ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो पंचायत राज एक्ट या अन्य कानूनों के अन्तर्गत उसे दिये गये हों।

प्रधान का विशेषाधिकार – नियम 47 – (क)

आवश्यकता पड़ने पर प्रधान सम्बन्धित प्राधिकारी को पूर्व से सूचना देकर बिना ग्राम पंचायत को बताये कोई ऐसा कार्य कर सकता है, जिसको करने का अधिकार पंचायत को प्राप्त हो। परन्तु बाद में ग्राम पंचायत की बैठक में उसे जरूर रखेगा।

अन्य कार्य

- संक्रामक रोगों को रोकने व उनको नियन्त्रण में करने का अधिकार।
- ग्राम पंचायत की बैठकों में सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी अधिकार प्रधान को मिला हुआ है।

प्रधान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव (धारा 14 तथा नियम 33(ख))

- प्रधान को हटाने के प्रस्ताव पर ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम 1/2 भाग के हस्ताक्षर से तथा हस्ताक्षर करने वालों में से स्वयं कम से कम 5 सदस्यों द्वारा एक लिखित नोटिस जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जायेगी।
- नोटिस में उन कारणों को भी लिखा जायेगा जिसके कारण प्रधान को हटाया जाना प्रस्तावित है।
- नोटिस मिलने के 30 दिन के अन्दर जिला पंचायत राज अधिकारी, ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा और बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जाएगी।
- बैठक का कोरम ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा।
- बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से प्रधान को हटाया जा सकता है

- प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव के 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।
- यदि अविश्वास की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो पाती है या प्रस्ताव 2/3 बहुमत के न होने के कारण पास नहीं हो पाता है तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दुबारा बैठक पूर्व बैठक की तिथि से 1 वर्ष के अन्दर नहीं बुलाई जा सकती है।

प्रधान व सदस्य को हटाया जाना (धारा–95 (1) (छ))

ग्राम पंचायत के प्रधान या उसके किसी सदस्य को या संयुक्त समिति या भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को जिला मजिस्ट्रेट निम्न आधार पर उसके पद से हटा सकता है–

- यदि वह बिना उचित कारण के लगातार तीन से अधिक सभाओं अथवा बैठकों में उपस्थित न हुआ हो।
- वह कार्य करने से इंकार करे अथवा किसी भी कारण से कार्य करने के लिए अक्षम हो जाये, अथवा उस पर नैतिक अधमता के अपराध का अभियोग लगाया गया हो या दोषारोपण किया गया हो।
- उसने अपने पद का दुरूपयोग किया हो या पंचायत राज एक्ट में सौपें गये कार्यों को करने में निरन्तर चूक की हो, या उसका पद पर बना रहना जनहित में न हो।
- उसमें पंचायती राज एक्ट की धारा 5 (क) में दी गयी अनर्हताओं में कोई अनर्हता हो जो उसे ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य चुनने के आयोग्य बनाती हो।
- जहां प्रधान या सदस्य किसी जांच में पहली नजर में वित्तीय या अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाये तो वह प्रधान या सदस्य वित्तीय और प्रशासकीय अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक अंतिम रूप से जांच पूरी न हो जाए, तब तक उसका कार्य करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ग्राम पंचायत के तीन सदस्यों की एक समिति बनाएगा, परन्तु किसी ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति, भूमि प्रबन्धक समिति अथवा प्रधान या सदस्य के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने के लिए उचित मौका दिया जाएगा।

प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति की पूर्ति– धारा 12 (ञ)

- प्रधान की मृत्यु होने या उसे हटाये जाने या त्याग–पत्र देने या अन्य किसी कारण से प्रधान का पद रिक्त हो अथवा बीमारी या अनुपस्थिति के कारण प्रधान अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो वहां प्रधान के कर्तव्यों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पंचायत के किसी सदस्य को नामित करेगा।

प्रधान का मानदेय एवं अन्य भत्ते – धारा 12 (कक) (1)

- ग्राम प्रधान को प्रति माह रू0 5000/– के मानदेय की व्यवस्था की गई है।
- यात्रा एवं आनुसांगिक व्यय के नाम पर रू0 15000/– रूपये प्रति वर्ष दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- प्रधान आकस्मिक खर्च हेतु अपने पास रू0 5000/– नगद रख सकता है, उपरोक्त व्यय ग्राम निधि में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से किया जाएगा।

ग्राम पंचायत के कार्य

पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कार्य

(संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15)

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, जो निम्नलिखित हैः–

1. **कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है**

   (क) कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति।

   (ख) बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास और उनके अनाधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना।

2. **भूमि विकास, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण**

   (क) भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों को सहायता करना।

   (ख) भूमि चकबन्दी में सहायता करना।

3. **लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास**

   (क) लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबंधन और सहायता करना।

   (ख) लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई के उददेश्य से जलापूर्ति का विनियमन।

4. **पशु पालन दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन**

   (क) पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुधनों की नस्लों का सुधार करना।

   (ख) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति।

5. **मत्स्य पालनः** गाँवों में मत्स्य पालन का विकास।

6. **सामाजिक और कृषि वानिकीः**

   (क) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण।

   (ख) सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति।

7. **लघु वन उत्पादनः** लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास।

8. **लघु उद्योग**

   (क) लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना।

   (ख) स्थानीय व्यापारों की प्रोन्नति।

9. **कुटीर और ग्राम उद्योग**

   (क) कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना।

   (ख) कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति।

10. **ग्रामीण आवासः**

    (क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

    (ख) आवास स्थलों का वितरण और उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

11. **पेयजल:** पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण के लिए सार्वजनिक कुंओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण के स्रोतों का विनियमन।

12. **ईधन एवं चारा भूमिः**

(क) ईंधन और चारा भूमि से सम्बन्धित घास और पौधों का विकास।

(ख) चारा भूमि को अनियमित अन्तरण पर नियन्त्रण।

13. **सड़कें, पुलिया, पुलों, नौका घाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधनः**

(क) ग्राम की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौका घाटों का निर्माण और अनुरक्षण।

(ख) जल मार्गों का अनुरक्षण।

(ग) सार्वजनिक स्थानों पर से अतिक्रमण को हटाना।

14. **ग्रामीण विद्युतीकरणः** सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना।

15. **गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतः** ग्राम सभा में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास, प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण।

16. **गरीबी उपशमन कार्यक्रमः** गरीबी उपशमन कायक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन।

17. **शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं:** शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना।

18. **तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षाः** ग्रामीण कला और शिल्पकारी की प्रोन्नति।

19. **प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षाः** प्रौढ़ शिक्षा की प्रोन्नति।

20 **पुस्तकालयः** पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना और अनुरक्षण।

21 **खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यः**

(क) सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति।

(ख) विभिन्न त्योहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन।

(ग) खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण।

22 **बाजार और मेलेः** पंचायत क्षेत्रों में मेलों, बाजारों और हाटों का विनियमन।

23 **चिकित्सा और स्वच्छताः**

(क) ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति।

(ख) महामारियों के विरुद्ध रोकथाम।

(ग) मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम।

(घ) छुट्टा पशु और पशुधन के विरुद्ध निवारक कार्यवाही।

(ड़) जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण।

24 **परिवार कल्याणः** परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन।

25 **आर्थिक विकास के लिए योजनाः** ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना।

26 **प्रसूति और बाल विकासः**

(क) ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना।

(ख) बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

27 **समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी हैः**

(क) वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करना।

(ख) विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना।

28 **कमजोर वर्गों और विशिष्टतयः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याणः**

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना।

(ख) सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन।

29 **सार्वजनिक वितरण प्रणालीः**

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण।

30 **सामुदायिक अस्तियों का अनुरक्षणः**

(क) सामुदायिक अस्तियों का परिरक्षण और अनुरक्षण।

3

ग्राम सभा– कार्य, दायित्व एवं महत्व

ग्राम सभा

ग्राम सभा की स्थापना और उनका संगठन–

- **उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की धारा 2 (छ)**– किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली/मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा बनेगी।
- **उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की धारा 3**–राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए एक **ग्राम सभा** स्थापित करेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाए वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम सभा के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

ग्राम सभा की बैठक–पंचायती राज अधिनियम, 1947, धारा–11(1)

ग्राम सभा की प्रति वर्ष 02 बैठके होगीं, एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरन्त बाद जो खरीफ की बैठक कही जायेगी और दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के तुरन्त बाद जो रबी की बैठक कही जायेगी, जिनकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जायेगी।

बैठक की सूचना–पंचायती राज अधिनियम, 1947 (नियम–32 से 37)

बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी। सूचना ग्राम सभा के खास–खास स्थानों पर सूचना चिपकवाकर किया जायेगा और बैठक के दिनांक,समय एवं स्थान की घोषणा डुग्गी पिटवाकर की जायेगी।

बैठक कौन बुलायेगा–पंचायती राज अधिनियम, 1947 (नियम–33)

- ग्राम प्रधान ग्राम सभा की बैठक बुलायेगा।
- प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक/सामान्य बैठक बुला सकता है।
- यदि ग्राम सभा के 1/5 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहा जाये तो प्रधान को पत्र मिलने के 30 दिन अन्दर बैठक बुलानी होगी।
- यदि ग्राम प्रधान बैठक न बुलाये तो जिला पंचायतराज अधिकारी 60 दिन के अन्दर ग्राम सभा की बैठक बुलायेगा।

कोरम–पंचायती राज अधिनियम, 1947 धारा–11(2)

ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति के लिए उसके सदस्यों की संख्या 1/5 होगी, किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि गणपूर्ति के आभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिए दुबारा गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

बैठक की अध्यक्षता–पंचायती राज अधिनियम, 1947 (नियम–46)

- ग्राम सभा की बैठक प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित होगी।
- प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- प्रधान द्वारा यदि कोई सदस्य मनोनीत न किया गया हो तो सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) किसी सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत करेगा।
- यदि प्रधान एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा किसी सदस्य को अध्यक्षता हेतु मनोनीत न किया गया हो तो ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य को चुन सकते है।

बैठक की कार्यवाही–पंचायती राज अधिनियम, 1947 (नियम–35क)

ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और मुख्य रूप से ग्राम पंचायत को सिफारिश एवं सुझाव दे सकती है।

- गत बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनायी जायेगी और उसकी पुष्टि की जायेगी। पिछली बैठक के बाद का हिसाब बैठक में रखा जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा, जो सूचना निर्देश व आदेश मिले हो उन्हें पढ़कर सुनाया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।
- सदस्य ऐसे सवाल ही पूछ सकते हैं जो पंचायत से जुडे हो किन्तु वह कोई अनावश्यक विवाद पैदा करने की संभावना वाला काल्पनिक किसी जाति या व्यक्ति के लिए अपमानजनक प्रश्न नही पूछेगें।
- बैठक की कार्यवाही, कार्यवाही रजिस्टर (रूप पत्र–8) पर अंकित की जायगी और बैठक की कार्यवाही की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को बैठक के 07 दिन के अन्दर भेजी जायेगी। (नियम–36)
- बैठक में लिये गये निर्णय पर तब तक पुनः विचार नही किया जायेगा जब तक कि दो तिहाई सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर कर इसके लिए प्रार्थना पत्र न दें। (नियम–40)
- ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट एवं अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिये गये उत्तर यदि कोई हो।
- पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट।
- ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की सिफारिशों एवं सुझावों पर सम्यक विचार करेगी।
- अन्य मामले जैसे नियत किये जाए।

ग्राम सभा के कार्य

- समुदाय के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक रूप से श्रमदान एवं अंशदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करना।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना।
- ग्राम के विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत को सहायता पहुंचाना।
- वार्षिक कार्य योजना{(ग्राम पंचायत विकास योजना(जी.पी.डी.पी.)} की पूर्ण रूप से स्वीकृति ग्राम सभा की बैठक में दी जाती है।

4
ग्राम पंचायत की समितियाँ एवं कार्य

ग्राम पंचायत की समितियाँ एवं कार्य

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में ग्राम पंचायत के सभी कृत्यों या किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में उनकी सहायता करने के लिए समितियों को गठित किया जाएगा और राज्य सरकार उनको ऐसी शक्तियां या कृत्य प्रदान कर सकती है। जैसा वह उचित समझें।

प्रायः ग्राम पंचायत में 4 प्रकार की समितियों का स्वरूप दिखाई देता है:

1. **स्थायी समितियाँ**– संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम,1947 की धारा 29 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के कार्यों में सहायता करने के लिये 06 समितियों के गठन का प्राविधान किया गया है। इन समितियों को ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों या किन्हीं कार्यों को करने के लिये सौंप सकती है।

2. **संयुक्त समितियाँ**–(दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के विशेष कार्य के लिए प्रशासनिक अधिकारी द्वारा गठित एवं कार्य पूर्ण के पश्चात् भंग कर दी जाती है।)

3. **भूमि प्रबन्धक समिति**–ग्राम राजस्व समिति (भूमि प्रबंधन समिति का गठन ऊ.प्र. पंचायती राज अधिनियम की धारा 28(क) के तहत किया गया है। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि के प्रबन्धन, देखभाल, संरक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करती है। इसका अध्यक्ष प्रधान, सचिव लेखपाल एवं समस्त वार्ड मेंबर सदस्य होते हैं।)

4. **अन्य विभागों द्वारा गठित समितियाँ** जैसे नियोजन, विकास एवं जैवविधितता प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप–समिति, ग्राम स्वास्थ स्वच्छता एवं पोषण समिति, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं शिक्षा के अधिकार कानून के अन्तर्गत गठित स्कूल/विद्यालय प्रबन्धन समिति।

यहॉ हम ग्राम पंचायत की स्थाई समिति पर चर्चा करेंगें।

ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों का विवरण।

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–26, 1947) के धारा–29 द्वारा 06 ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों का गठन प्राविधानित है। स्थायी ग्राम पंचायत की प्रत्येक समिति में 06 सदस्य होगें।

समिति का नाम	समिति का कार्य	समिति का गठन
*** जैव विविधता प्रबंध नियोजन एवं विकास समिति**	1. ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना। 2. कृषि, पशु पालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन।	1. प्रधान – सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/ जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
शिक्षा समिति	1. प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि से सम्बन्धित कार्य।	1. प्रधान – सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
प्रशासनिक समिति	1. ग्राम पंचायत के कर्मियों सम्बन्धी समस्त विषय। 2. राशन की दुकान सम्बन्धी कार्य।	1. प्रधान – सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/ जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
निर्माण कार्य समिति	1. सभी निर्माण कार्य कराना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।	1. ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।

स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	1. चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य और समाज कल्याण विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन। 2. अनु0 जाति, अनु0 जनजाति तथा पिछडे वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण।	1 ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति 2 छः अन्य सदस्य अनु0जाति/ जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।
जल प्रबन्धन समिति	1. राजकीय नलकूपों का संचालन। 2. पेयजल सम्बन्धी कार्य।	1. # ग्राम प्रधान – सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/ जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।

*** शासनादेश संख्या 3/2018/3184/33–1–2018–3070/18 दिनांक 21.12.2018 द्वारा नियोजन एवं विकास समिति का नाम परिवर्तित कर जैव विविधता प्रबंध, नियोजन एवं विकास समिति कर दिया गया है।**

 # पंचायती राज अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0 2951/33–1–13 दिनांक – 28 जनवरी, 2014 के अनुसार ।

कोरम

समिति की बैठक के लिए चार सदस्यों का कोरम होगा। समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी। समितियों के सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी होगा। प्रत्येक समिति का कार्यवाही रजिस्टर होगा जिसमें बैठक की कार्यवाही दर्ज की जायेगी।

ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक, कार्य तथा समितियों की गतिविधियों में पंचायत सहायक की भूमिका :

1. प्रत्येक माह में आयोजित होने वाली ग्राम पंचायत व स्थायी समितियों की नियमित बैठकों के आयोजन में सहयोग प्रदान करना तथा बैठक संबंधी समस्त कार्यवाही की कम्प्यूटर में फीड करना।
2. वर्ष में आयोजित होने वाली न्यूनतम 02 ग्राम सभा की बैठक के आयोजन में सहयोग प्रदान करना। बैठक की तिथि निर्धारित कराना, एजेण्डा जारी करना, बैठक में कोरम सुनिश्चित करने हेतु समस्त सदस्यों को बैठक की तिथि की जानकारी देना, बैठक की कार्यवाही लिखने में सहयोग प्रदान करना, बैठक की उपस्थिति दर्ज कराना तथा बैठक संबंधी समस्त कार्यवाही की कम्प्यूटर में फीड करना।
3. स्थायी समितियों के कार्यों में सहयोग प्रदान करना तथा उनकी गतिविधियों को कम्प्यूटर में फीड करना।
4. ग्राम प्रधान के स्तर से किये जाने वाले समस्त पत्राचार का आलेख तैयार करना।
5. ग्राम पंचायत की सार्वजनिक सम्पत्ति का विवरण तैयार करना तथा कम्प्यूटर में सुरक्षित रखना।
6. ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित कर / उपकर / शुल्क का विवरण तथा उससे होने वाली आय का विवरण तैयार करना।
7. स्थायी समितियों के अतिरिक्त संयुक्त समितियों तथा अन्य विभागों द्वारा गठित समितियों की कार्यवाहियों को रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखना।
8 समस्त विभागीय योजनाओं से सम्बन्धी निर्गत पत्रों / मार्ग निर्देशों एवं शासनादेशों को विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त कर ग्राम पंचायत सचिवालय में सम्बन्धित पत्रावलियों में संकलन व उक्त पत्रों / मार्ग निर्देशों को ग्राम प्रधान एवं सचिव को उपलब्ध कराना।
9. ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त योजनाओं एवं लाभार्थियों की पात्रता के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना एवं लाभार्थियों का विवरण कम्प्यूटर में सुरक्षित करना।

5
पंचायत सिटीजन चार्टर

पंचायत सिटीजन चार्टर

भारत सरकार द्वारा दिनांक 04 जून, 2021 को मॉडल सिटीजन चार्टर लागू किया गया। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन स्तर से निर्गत शासनादेश दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 2021 से समस्त ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने के निर्देश दिये गये। शासनादेश के साथ मॉडल सिटीजन चार्टर राज्य स्तर से तैयार कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया गया, जिसको ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए ग्राम पंचायतों में लागू किया गया।

विभिन्न विकास कार्यों के साथ–साथ जन–सामान्य को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पंचायतों को संविधान के आर्टिकल–243 (जी) से सौंपी गयी है। कुछ विशेष क्षेत्र जैसे–स्वच्छता, पेयजल, विभिन्न विकास कार्य एवं सामाजिक कार्य इत्यादि पर पंचायतों द्वारा जनसामान्य को मूलभूत सेवाएं पूर्व से ही प्रदान की जा रही है। यह जरूरी है कि जन–सामान्य को यह सेवाएं सुलभ एवं एक निश्चित अवधि के दौरान प्रदान की जाये एवं आमजन को उसकी जानकारी हो। इसके दृष्टिगत पंचायतीराज, भारत सरकार द्वारा एन.आई.आर.डी.पी.आर. के सहयोग से एक मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर–फ्रेमवर्क, पंचायतों को सौंपे गये, 29 विषयों के अन्तर्गत दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को सम्मिलित करते हुए एवं सतत विकास लक्ष्यों को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

सिटीजन चार्टर की सहायता से ग्राम पंचायत में सुशासन लागू किया जा सकता है, इसके प्रभावी क्रियान्वयन से विभिन्न सेवाओं को दिये जाने में सुधार, लोगों की शिकायतों का निस्तारण, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को लागू किया जा सकता है। सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत सेवा का नाम, सेवा का विवरण, सेवा दिये जाने की समयावधि, पंचायत द्वारा सेवा दिये जाने वाले कार्मिक का नाम व नम्बर इत्यादि सम्मिलित हैं।

भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार तथा ग्राम सभा के अनुमोदनोपरान्त यह मॉडल चार्टर सभी ग्राम पंचायतों द्वारा दी जा रही मूलभूत सेवाओं हेतु बनाया जाये, जिससे कि निश्चित अवधि में मूलभूत सेवायें जनसामान्य को दी जा सके। इससे ग्राम पंचायतें जनसामान्य के प्रति जवाबदेही होगी, कार्यप्रणाली में पादर्शिता आयेगी तथा नागरिक अपने अधिकारों के लिए जागरूक होगें। इस प्रकार ग्रामीण आबादी पर इसका एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभाव भी पड़ेगा।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु तैयार किये गये सिटीजन चार्टर में निम्नलिखित बिन्दु समाहित हैं :–

1– **पंचायत का संकल्प और मिशन।**

2– **सेवा का नाम/विवरण/समयावधि/कार्मिक का नाम एवं सम्पर्क विवरण।**

3– **सेवा मानक/सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया।**

4– **शिकायत निवारण प्रणाली तथा उच्चाधिकारी का विवरण।**

प्रदेश में पंचायतों द्वारा विभिन्न सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत लगभग 44 सेवायें जनसामान्य को प्रदान की जा रही है, जिसमें स्वच्छता, पेयजल, विभिन्न विकास कार्य, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, जन्म–मृत्यु प्रमाण–पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल इत्यादि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

पंचायतों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं/सेवा मानक

क्र0 सं0	सेवा का नाम	जमा किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज	सेवा के लिए शुल्क	सेवा वितरित किये जाने के लिए संभावित समय–सीमा	सेवा के बारे में किससे सम्पर्क करें	व्यथा/शिकायत निवारण के लिए सम्पर्क किये जाने हेतु अधिकारी/प्राधिकरण
प्रमाण–पत्र						
1	जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	अधिकतम 21 दिवस	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/जिला पंचायत राज अधिकारी
2	मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना	आवेदन पत्र, आईडी, मृत्यु के साक्ष्य	निःशुल्क	अधिकतम 21 दिवस	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/जिला पंचायत राज अधिकारी
3	परिवार रजिस्टर की नकल/ग्राम पंचायत के अन्य अभिलेखों की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन	आवेदन पत्र, आईडी, परिवार के सदस्यों का विवरण	प्रथम 5 पृष्ठों तक रू0 5/– इसके अतिरिक्त प्रति पृष्ठ रू0 1/–	03 दिन	ग्राम पंचायत सचिव	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/जिला पंचायत राज अधिकारी
प्रशासनिक सेवाऐं						
1	ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	30 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/जिला पंचायत राज अधिकारी
2	ग्राम पंचायत में कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में आवेदन	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	07 दिन	प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/जिला पंचायत राज अधिकारी
विकास से सम्बन्धित सेवायें						
1	मरनेगा जॉब कार्ड जारी करना	आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता संख्या	निःशुल्क	03 दिन	ग्राम रोजगार सेवक/ प्रधान	खण्ड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी
2	मनरेगा के अन्तर्गत काम के लिए अनुरोध	आवेदन पत्र, आईडी, जॉब कार्ड	निःशुल्क	15 दिन	ग्राम रोजगार सेवक/ प्रधान	खण्ड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी
3	सरकारी विद्यालयों आंगनबाड़ी केन्द्रों	आवेदन पत्र,	निःशुल्क	30 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/खण्ड विकास

क्र0 सं0	सेवा का नाम	जमा किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज	सेवा के लिए शुल्क	सेवा वितरित किये जाने के लिए संभावित समय–सीमा	सेवा के बारे में किससे सम्पर्क करें	व्यथा/शिकायत निवारण के लिए सम्पर्क किये जाने हेतु अधिकारी/प्राधिकरण
	में जलापूर्ति, शौचालय एवं वर्षा जल संचयन आदि की व्यवस्था/निर्माण करने का अनुरोध	आईडी			प्रधान/प्रधानाध्यापक	अधिकारी/खण्ड शिक्षाधिकारी
4	गांव की आन्तरिक गलियों की मरम्मत हेतु आवेदन	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	30 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/खण्ड विकास अधिकारी
पेयजल आपूर्ति						
1	ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित पेयजल परियोजनाओं की मरम्मत	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	07 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/अवर अभियन्ता, जल निगम/जल शक्ति मिशन
2	सार्वजनिक हैण्डपम्प की मरम्मत	आवेदन पत्र आईडी	निःशुल्क	07 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/खण्ड विकास अधिकारी
3	पाइप लाइन द्वारा नियमित जलापूर्ति की मांग	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	15 दिन	अवर अभियन्ता जल निगम	अधिशाषी अभियन्ता जल निगम/जल शक्ति मिशन
4	पशुओं के लिए सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	15 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/खण्ड विकास अधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी
स्वच्छता/साफ–सफाई सम्बन्धित सेवायें						
1	सड़क/खण्डजे पर जमा पानी को हटाये जाने की मांग	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	07 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/खण्ड विकास अधिकारी
2	सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत/रखरखाव	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	07 दिन	स्वयं सहायता समूह/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/खण्ड विकास अधिकारी
3	अपशिष्ट निस्तारण के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था के लिए अनुरोध	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	07 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/खण्ड विकास अधिकारी
4	सार्वजनिक स्थानों	आवेदन	निःशुल्क	07 दिन	ग्राम पंचायत	सहायक विकास अधिकारी

क्र0 सं0	सेवा का नाम	जमा किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज	सेवा के लिए शुल्क	सेवा वितरित किये जाने के लिए संभावित समय–सीमा	सेवा के बारे में किससे सम्पर्क करें	व्यथा / शिकायत निवारण के लिए सम्पर्क किये जाने हेतु अधिकारी / प्राधिकरण
	जैसे–सड़क, नालियों, बाजारों, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि में साफ–सफाई के लिये अनुरोध	पत्र, आईडी			सचिव / प्रधान / प्रधानाध्यापक / आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	(पं0) / खण्ड विकास अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी
5	ग्राम स्तरीय शोधन स्थल तक घरों से अपशिष्ट का परिवहन तथा कम्पोस्ट केन्द्र का प्रबंधन	आवेदन पत्र, आईडी	रू0 20 / –	15 दिन	ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0) / खण्ड विकास अधिकारी
6	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु आवेदन	आवेदन पत्र आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण	निःशुल्क	30 दिन	ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0) / खण्ड विकास अधिकारी
स्ट्रीट लाइट						
1	खराब स्ट्रीट लाइट / अन्य प्रकाश स्रोतों की मरम्मत हेतु आवेदन	आवेदन पत्र	निःशुल्क	03 दिन	ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0) / खण्ड विकास अधिकारी
सामुदायिक सम्पत्ति से सम्बन्धित सेवायें						
1	ग्राम पंचायत में स्थित सार्वजनिक कब्रिस्तान / अंत्येष्टि स्थलों का रखरखाव और सुधार	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	15 दिन	ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान / लेखपाल	सहायक विकास अधिकारी (पं0) / खण्ड विकास अधिकारी / तहसीलदार
2	खेल के मैदान / सार्वजनिक उद्यानों का रखरखाव और सुधार	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	15 दिन	ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0) / खण्ड विकास अधिकारी
3	ग्राम पंचायत में उपलब्ध खुले जिम का रखरखाव व	आवेदन पत्र, आईडी	रू0 20 प्रतिमाह	07 दिन	ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0) / खण्ड विकास अधिकारी

क्र0 सं0	सेवा का नाम	जमा किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज	सेवा के लिए शुल्क	सेवा वितरित किये जाने के लिए संभावित समय–सीमा	सेवा के बारे में किससे सम्पर्क करें	व्यथा/शिकायत निवारण के लिए सम्पर्क किये जाने हेतु अधिकारी/प्राधिकरण
	उसके प्रयोग हेतु आवेदन					
4	सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अतिक्रमण हटाना	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	07 दिन	प्रधान/ लेखपाल	तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी
5	पंचायत भवन/ग्राम सचिवालय में स्थापित पुस्तकालयों का प्रयोग	आवेदन पत्र	रू0 20/–	03 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/खण्ड विकास अधिकारी
6	पंचायत भवन/सामुदायिक केन्द्र के समारोह/उत्सव में प्रयोग हेतु आवेदन	आवेदन पत्र	रू0 500/–	02 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/खण्ड विकास अधिकारी
7	खेलकूद/सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	15 दिन	बी.ओ. (प्रादेशिक विकास दल) (B.O.P.V.D.)/ प्रधान	जिला युवा कल्याण अधिकारी

पंचायतों द्वारा सुविधादाता के रूप में दी जाने वाली सेवायें

क्र0 सं0	सेवा का नाम	जमा किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज	सेवा के लिए शुल्क	सेवा वितरित किये जाने के लिए संभावित समय–सीमा	सेवा के बारे में किससे सम्पर्क करें	व्यथा/शिकायत निवारण के लिए सम्पर्क किये जाने हेतु अधिकारी/प्राधिकरण
समाज कल्याण सम्बन्धी सेवायें						
1	वरिष्ठ नागरिकों/विधवा एवं निःशक्तजनों के लिए पेंशन हेतु आवेदन	आधार कार्ड/आय/आयु/मृत्यु/विकलांगता प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण	निःशुल्क	30 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	जिला समाज कल्याण/जिला प्रोवेशन/ दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी
2	नए राशन कार्ड बनाने हेतु आवेदन, राशन कार्ड में नाम जोड़ना/निरस्त करना	निवास, आयु, आय प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड	रू0 05/–	30 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान/सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/जिला पूर्ति अधिकारी
3	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अन्तर्गत अनाज आवंटन के लिए लाभार्थी सूची में नाम सम्मिलित करने का अनुरोध	आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	30 दिन	सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक/ क्षेत्रीय खाद्यय अधिकारी	जिला पूर्ति अधिकारी
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कोविड सम्बन्धी सेवायें						
1	सरकारी स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने का अनुरोध	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	07 दिन	निगरानी समिति/ए.एन.एम./आशा/प्रधान/विद्यालय प्रबन्ध समिति	खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रभारी चिकित्साधिकारी
2	सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए मध्याहन भोजन की व्यवस्था से सम्बन्धित मुद्दे	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	07 दिन	प्रधानाध्यापक/प्रधान/विद्यालय प्रबन्ध समिति	खण्ड शिक्षा अधिकारी
3	सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति से सम्बन्धित आवेदन	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	07 दिन	प्रधान/प्रधानाध्यापक/विद्यालय प्रबन्ध समिति	खण्ड शिक्षा अधिकारी
4	आंगनवाड़ी केन्द्र में पुष्टाहार कार्यक्रमों से सम्बन्धित आवेदन	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	07 दिन	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	बाल विकास परियोजना अधिकारी
5	आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा बच्चों एवं माताओं के टीकाकरण से सम्बन्धित आवेदन	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	07 दिन	ए.एन.एम./आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/प्रधान	सी.डी.पी.ओ/ प्रभारी चिकित्साधिकारी

क्र0 सं0	सेवा का नाम	जमा किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज	सेवा के लिए शुल्क	सेवा वितरित किये जाने के लिए संभावित समय–सीमा	सेवा के बारे में किससे सम्पर्क करें	व्यथा/शिकायत निवारण के लिए सम्पर्क किये जाने हेतु अधिकारी/प्राधिकरण
6	पशुओं की देखभाल/चिकित्सा व्यवस्थाओं का अनुरोध	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	07 दिन	पशुधन प्रसार अधिकारी/प्रधान	खण्ड विकास अधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी
7	कोविड किट्स का प्रावधान	आवेदन पत्र, आईडी	निःशुल्क	03 दिन	निगरानी समिति/प्रधान/आशा/ए.एन.एम.	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/ प्रभारी चिकित्साधिकारी
डिजिटल सेवायें						
1	पंचायत भवन में संचालित कॉमन सर्विस सेन्टर की व्यवस्था/ सुधार	आवेदन पत्र	निःशुल्क	15 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/जिला पंचायत राज अधिकारी
2	ग्राम पंचायत में स्थापित वाई–फाई/इण्टरनेट सेवा की व्यवस्था के प्रयोग हेतु आवेदन	आवेदन पत्र, आईडी	रू0 30 प्रतिमाह	15 दिन	ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (पं0)/जिला पंचायत राज अधिकारी

पंचायत सहायक की भूमिकाः

1. ग्राम सचिवालय के रख–रखाव को सुनिश्चित करने में सहयोग करना। प्रतिदिन समय से ग्राम सचिवालय खोलना व बन्द करना।
2. ग्राम सचिवालय की साफ सफाई सुनिश्चित करवाना।
3. ग्राम सचिवालय में उपलब्ध कम्प्यूटर व प्रोजेक्टर की देखरेख करना।
4. ग्राम पंचायत की समस्त परिसम्पत्तियों के विवरण का अभिलेखीकरण में ग्राम पंचायत सचिव को सहयोग करना।
5. ग्राम सचिवालय में जन सुविधा केन्द्र की स्थापना / कोलोकेशन सुनिश्चि कराने में सहयोग प्रदान करना ।
6. ग्राम पंचायत के लोगों को किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे जन्म व मृत्यु, खसरा खतौनी आदि उपलब्ध करवाने में सहयोग देना।
7. ग्राम पांचायत में अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के संबंध में जानकारी चाहता है तो उसे वह जानकारी प्रदान करना।
8. जन समुदाय को उनके घर के बिजली, पानी, टेलीफोन आदि बिलों का भुगतान करने में सहयोग करना।
9. सिटिजन चार्टर के क्रियान्वयन व निगरानी में प्रधान व सचिव का सहयोग करना।
10. ग्राम में किसी भी प्रकार के सर्वे में प्रधान व सचिव को सहयोग प्रदान करना।

6
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

उल्लेखनीय उपलब्धियां—स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)—

प्रथम चरण (2014—2019)

- 2.18 करोड़ शौचालय का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2017—18:—

- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण—सिटीजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।
- राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम हेतु आयोजित हुये स्कॉच अवार्ड प्रतियोगिता में रजत पदक।
- नेशनल रुरल सैनिटेशन सर्वे में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राज्य को 735 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवन्टन प्राप्त हुआ।
- वित्तीय वर्ष 2018—19 एवं 2019—20: स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण—सिटीजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।

वित्तीय वर्ष 2017—18 से 2019—20 तक अनवरत स्वच्छ शौचालय निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।

वित्तीय वर्ष 2020—21:—

- गरीब कल्याण योजनान्तर्गत सामुदायिक स्वच्छता श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।
- स्वच्छ सुन्दर सामुदायिक शौचालय में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान।
- गन्दगी मुक्त भारत में प्रथम स्थान।
- गरीब कल्याण योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपद प्रयागराज, हरदोई एवं फतेहपुर को निर्धारित अवधि में सर्वाधिक सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

प्रथम चरण में पंचायत के मा0 जन प्रतिनिधियों का अतुलनीय योगदान

- मांग सृजन
- समुदाय का व्यवहार परिवर्तन
- सामुदायिक भागीदारी
- शौचालय निर्माण व गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

स्वच्छता के प्रभाव

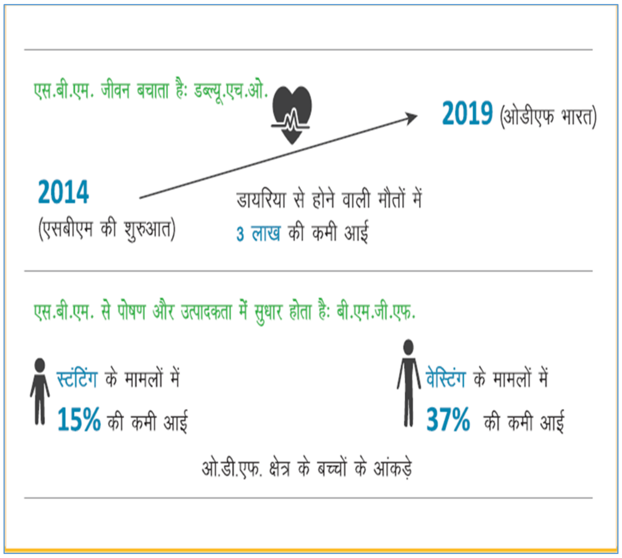

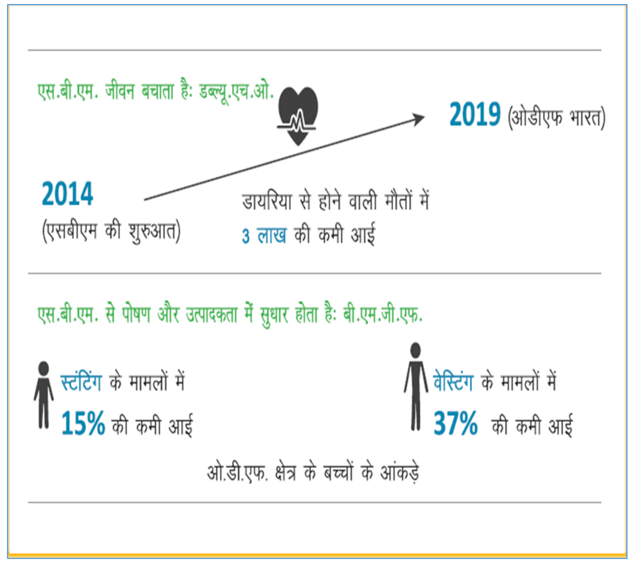

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण 2020–2021 से 2024–2025

मुख्य उद्देश्य

- ग्रामों के ओ0डी0एफ0 की स्थिति को बनाए रखना।
- ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार करना।
- ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस का स्तर प्राप्त करना।
- खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) ग्राम के स्थायित्व को बनाए रखते हुए ओ0डी0एफ0 प्लस अभियान में जन समुदाय को जोड़ना।
- पर्यावरणीय स्वच्छता को बेहतर एवं स्थायी बनाना

अवधि 2020–21 से 2024–25 तक

वित्तीय व्यवस्था– केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के वित्तपोषण और विभिन्न योजनाओं के बीच कन्वर्जेन्स।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) द्वितीय चरण– मुख्य घटक

- व्यवहार परिवर्तन एवं सामुदायिक अभिप्रेरण
- व्यक्तिगत शौचालय निर्माण
- शौचालय मरम्मत/रेट्रोफिटिंग
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management)
- तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Liquid Waste Management)
- मलीय कीचड़ प्रबंधन (Faecal Waste Management)
- मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन (Menstrual Waste Management)

व्यक्तिगत शौचालय निर्माण

तकनीकी माप

जंक्शन चैम्बरः लम्बाई 9'' × चौडाई 9'' × गहराई 9''
जंक्शन पिट व्यास (कच्चा गड्ढ़ा तैयारी) : 1.23 मीटर
जंक्शन पिट गहराई (कच्चे गढ्ढे की तैयारी) : 1.20 मीटर
शौचालय कक्ष (आन्तरिक) : लम्बाई 1.10 मीटर चौड़ाई 1 मीटर
शौचालय कक्ष की ऊँचाई : आगे से 2मीट10 सेमी, पीछे से 1मी. 90 सेमी.
पानी की टंकी : लम्बाई 24'' × चौड़ाई 18'' × गहराई 24''
पैन की फिक्सिंग : दीवार से 9'' छोड़ कर (पीछे की दीवार से)
जंक्शन पिट में पाइप की लम्बाईः 3'' से 4''
रोशनदानः 20'' × 9''
चैम्बर से लिच पिट का ढालः 1:10
दो गड्ढ़ों के बीच की दूरी : 1 मीटर

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तकनीकी विकल्प

सामुदायिक स्तर पर कच्चा खाद गड्ढा

सामुदायिक स्तर पर कच्चा खाद गड्ढा बनाने की विधि

- जमीन की सतह के नीचे 1 (गहराई) × 1.5 (चैड़ाई) × 3 (लम्बाई) मीटर गड्ढा खोद लें।
- गड्ढे की तलहटी में चिकनी मिट्टी का लेप लगा दें।
- यह कच्चा गड्ढा है इसमें ईंटों की आवश्यकता नहीं है।
- 150 मिमी० गीला जैविक कूड़ा की परत के बाद गीला गोबर डाल दें।
- गीले गोबर की परत के बाद दुर्गंध और मक्खी मच्छर से बचने के लिए मिट्टी की पतली सी परत बिछा दें। करीब सप्ताह में एक बार।
- इसके बाद गीला जैविक कूड़ा 150 मिमी0 की परत में डालते रहें। जमीनी सतह से 300 मिमी ऊपर तक जैविक गीला कचरा संग्रहित किया जा सकता है।
- गड्ढा भरने के उपरान्त 300 मिमी० ऊपर उठा हुआ कचरा स्वतः जमीनी सतह के बराबर आकर बैठ जाता है।
- मिट्टी का मोटा लेप लगाकर गड्ढो को सील (बंद) कर दें।
- 3 से 6 माह की अवधि में कचरा खाद के रूप में परिवर्तित हो जायेगा, उसे निकाल कर खाद को उपयोग कर सकते है।

सामुदायिक स्तर पर पक्का खाद गड्ढा

सामुदायिक स्तर पर पक्का खाद गड्ढा बनाने की विधि

- जमीन की सतह के नीचे 1 (गहराई) x 1.5 (चैड़ाई) × 3 (लम्बाई) मीटर गड्ढा खोद लें।
- ईंटों के द्वारा आयताकार का 225 मिमी0 रोबेदार गढ्ढा (Honeycomb) गड्ढा की तलहटी को सीमेंट व ईंट के द्वारा पक्का न करें।
- 150 मिमी0 गीला जैविक कूड़ा की परत के बाद गीला गोबर डाल दें।
- गीले गोबर की परत के बाद दुर्गन्ध और मक्खी मच्छर से बचने के लिए मिट्टी की पतली सी परत बिछा दें, करीब सप्ताह में एक बार । इसके बाद गीला जैविक कूड़ा 150 मिमी0 की परत में डालते रहें।
- जमीनी सतह से 300 मिमी ऊपर तक जैविक गीला कचरा संग्रहित किया जा सकता हैं।
- गड्ढा भरने के उपरान्त 300 मिमी० ऊपर उठा हुआ कचरा स्वतः जमीनी सतह के बाराबर आकर बैठ जाता हैं।
- मिट्टी का मोटा लेप लगाकर गड्ढे को सील (बंद) कर दें।
- 3 से 6 माह की अवधि में कचरा खाद के रूप में परिवर्तित हो जायेगा, उसे निकाल कर खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

वर्मी कम्पोस्टिंग पिट

वर्मी कम्पोस्टिंग पिट बनाने की विधि

- लगभग 18.75 वर्गमीटर के क्षेत्र का चयन करें।
  चार बाक्स (चौ.1.15 X ल.2.06 Xऊ.0.6) मीटर के बनाये जायें।
- बाहरी दीवारों में छेद नहीं किये जायें।
- वर्मी बेड की सतह पर केवल खड़ंजा (कच्ची पी.सी.सी.) लगाया जायें।
- वर्मी बेड की मजबूती बनाये रखने के लिए सबसे ऊपर 50 मिमी मोटी डीपीसी डाली जायें।
- अन्दर की दीवारों पर प्लास्टर नहीं किया जायेगा।
- वर्मी बेड पर शेड लगाना अनिवार्य है या किसी बड़े छायादार पेड़ के नीचे निर्माण किया जायें।
- कम्पोस्ट पिट की फर्श पर खड़ंजा बिछाया जायें, जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल किया जायें।

तरल अपशिष्ट प्रबन्धन तकनीकी विकल्प

व्यक्तिगत सोक पिट

व्यक्तिगत सोक पिट बनाने की विधि

- 1.0 मीटर जगह का चयन करें और 1 मीटर व्यास का व 1 मीटर गहरा गोल गड्डा खोदें।
- गड्डे में 80,60,40,20 MM के अनुपात में फ़िल्टर मीडिया भरा जाना है।
- 0.5 X 0.5 वर्ग मी का सिल्ट चेम्बर गड्डे से 1 मीटर की दूरी पर बनाया जायेगा।
- सिल्ट चेम्बर और सोक पिट को जोड़ने के 4 इंच मोटा पीवीसी पाईप भूमिगत (अंडर ग्राउंड) लगाया जायेगा और साथ ही पाईप के इनलेट पर जाली लगाना अनिवार्य है।
- दूषित जल को ड्रेन पाइप के माध्यम से सोक पिट के मध्य में रखे घड़े में डाला जाए

सामुदायिक सोक पिट

सामुदायिक सोक पिट बनाने की विधि

- 3 मीटर जगह का चयन करें, और 2.5 x1.6 (चौ0xग0) मीटर गहरा गोल गड्डा खोदें। नीचे से पहला रद्दा 9 इंच की चिनाई में करें। इसके बाद 4 इंच की गोल चिनाई करना है।
- 3,5,7,9, वें रद्दे में 2 से 3 इंच चौड़े होल प्रत्येक 9 इंच के बाद करना है।
- आखरी रद्दे की चिनाई 9 इंच के खरंजे के साथ करनी है और उसके
- ऊपर 50 मिमी मोटी डीपीसी डालनी है।
- गड्डे में 80,60,40,20 MM के अनुपात में फ़िल्टर मीडिया भरा जाना है।
  गड्डा ओवरफ्लो न हो इसलिये आउटलेट पाईप लगाया जाता है। सोक
- पिट को कवर करने के लिए ढक्कन कर जाना है।
  0.5 X 0.5 वर्ग मी का सिल्ट चेम्बर गड्डे से 1 मीटर की दूरी पर
- बनाया जायेगा।
  सिल्ट चेम्बर और सोक पिट को जोड़ने के 4 इंच मोटा पीवीसी पाईप
- भूमिगत (अंडर ग्राउंड) लगाया जायेगा, साथ ही पाईप के इनलेट पर जाली लगाना अनिवार्य है।

प्रस्तावित मुख्य गतिविधियां

1. प्रत्येक परिवार के पास शौचालय की उपलब्धता/सुलभता

- ✓ नये पात्र परिवारों में शौचालय निर्माण अथवा सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग
- ✓ सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण एवं शासनादेश 15 जुलाई के अनुरुप अनुरक्षण
- ✓ अक्रियाशील व्यक्तिगत शौचालयों को क्रियाशील शौचालय में परिवर्तन
- ✓ पूर्व निर्मित शौचालयों मे सुरक्षित तकनीक के अनुरूप इन्हे प्रयोग योग्य बनाया जाना (रेट्रोफिटिंग)
- ✓ ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्य द्वारा शौचालय का प्रयोग सुनिश्चित करना

2. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन–पिट कम्पोस्टिंग,बिन कम्पोस्टिंग, नाडेप, हीप कम्पोस्टिंग, विंड्रो कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग एवं बायोगैस इकाई इत्यादि।
- ✓ तरल अपशिष्ट प्रबन्धन–सोख्ता गड्ढा, लीच पिट, किचेन गार्डेन, डबलूएसपी तकनीकि, डकविड तकनीकि इत्यादि।
- ✓ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन–प्रयोग पर प्रतिबन्ध, संग्रहण, मार्केट लिंकेज, रिसाइकिंलिंग तथा लैंड फिलिंग।
- ✓ गोबर धन सम्बन्धित गतिविधियां।
- ✓ मलीय कचरा प्रबन्धन– लीच पिट सफाई/रियूज एवं सेफ्टिक टैंक/काला पानी प्रबन्धन।
- ✓ मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबन्धन– इन्सनीरेटर आदि का निर्माण।

<u>वित्तीय प्राविधान – स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) द्वितीय चरण</u>

- ➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

5000 की जनसंख्या तकः

- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रू0 60/– प्रति व्यक्ति तक
- ✓ ग्रे वॉटर प्रबंधन रू0 280/– प्रति व्यक्ति तक

5000 से अधिक जनसंख्या तकः

- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रू0 45/- प्रति व्यक्ति तक
- ✓ ग्रे वॉटर प्रबंधन रू0 660/- प्रति व्यक्ति तक

- ✓ प्रत्येक गांव अपने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये अपनी आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम् 100000 रु0 तक व्यय कर सकता है।
- ✓ गांव में ठोस अपशिष्ट के लिये मात्राकृत धनराशि में से बचत की स्थिति में आवश्यकतानुसार तरल अपशिष्ट के लिये एवं तरल अपशिष्ट के लिये मात्राकृत धनराशि में से बचत की स्थिति में आवश्यकतानुसार ठोस अपशिष्ट के लिये किया जा सकेगा।
- ➢ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (प्रत्येक विकास खण्ड में एक)-प्राविधानित धनराशि -प्रति इकाई रू0 16 लाख तक
- ➢ मल गाद प्रबंधन/फिकल स्लज मैनेजमेन्ट **(FSM)** -प्राविधानित धनराशि - रू0 230/- प्रति व्यक्ति तक
- ➢ गोबर-धन **(GOBAR-Dhan)** प्राविधानित धनराशि - प्रति जनपद रू0 50 लाख तक
- ➢ शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन धनराशि - रू0 12000/- (पूर्ववर्ती प्राविधान)

वित्तीय प्राविधान 15वां केन्द्रीय वित्त/पंचम राज्य वित्त आयोग

- ➢ 40 प्रतिशत बेसिक ग्रांट (अनटाइड) जो कि ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों (वेतन एवं स्थापना के अतिरिक्त)
- ➢ 60 प्रतिशत बद्ध अनुदान (टाइड) ग्रान्ट जो कि जल एवं स्वच्छता सहित आदि राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्रों में किया जायेगा।
- ➢ निर्धारित 60 प्रतिशत टाइड ग्रान्ट 70:15:15 प्रतिशत के अनुपात में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिये अनुमन्य।

पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित होने वाली धनराशि से निर्धारित व्यवस्था-

- ➢ ओडीएफ स्थायित्व से सम्बधित गतिविधियां
- ➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
- ➢ समुदायिक शौचालय/जन सुविधायें

सफल अपशिष्ट प्रबन्धन के सिद्धान्त

- ➢ अपशिष्ट उत्सर्जन से सम्बन्धित व्यक्ति ही प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी।
- ➢ अपशिष्ट पृथक्करण व वर्गीकरण समुचित प्रबन्धन की कुंजी है।
- ➢ अपशिष्ट प्रबन्धन मुख्यतः व्यक्तिगत/सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन का कार्यक्रम है।
- ➢ अपशिष्ट उत्सर्जन वाले स्थान के निकट प्रबन्धन की व्यवस्था उपयोगी होती है।
- ➢ सामूहिक उत्तरदायित्व ही अपशिष्ट प्रबन्धन की सफलता का मूल मंत्र है।
- ➢ तकनीकी विकल्पों का तुरन्त या लम्बे अंतराल पर एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए।

- तकनीकी विकल्प समुदाय/परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए।
- तकनीकी विकल्प समुदाय के द्वारा वहन करने योग्य होना चाहिये तथा समुदाय अपनी निपुणता और
- वित्तीय संसाधनों के अनुसार तकनीकी विकल्पों में थोड़ा संशोधन कर निर्माण, संचालन और रखरखाव करना।

दृष्टिगोचर स्वच्छता

- मुख्य मार्गों, एवं बाजार के क्षेत्रों में कम से कम एक बार दैनिक सफाई।
- मुख्य मार्गों, व्यवसायिक/बाजार के क्षेत्रों में नियत स्थान पर कुड़ेदान/डम्पस्टर रखना एवं इसकी नियमित सफाई करना।
- बाजार में दुकानदारों व ठेले, खोमचे वालों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना दुकान, ठेले आदि पर उत्पन्न हो रहे कुड़े की बोरी या डस्टबिन में डालकर समुचित स्थान/डम्पस्टर पर पहुंचाना।
- शनिवार व रविवार को ग्राम पंचायत में विशेष स्वच्छता/सैनिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित कराना।
- अन्य गतिविधियां जो ग्राम पंचायत को स्वच्छता के साथ–साथ आकर्षक बनाने में सहायक हों, का संचालित करना।

ओडीएफ प्लस मानक

- ओ0डी0एफ0प्लस, उदीयमान–ओडीएफ स्थायित्व+ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन
- ओ0डी0एफ0प्लस, उज्जवल–ओडीएफ स्थायित्व+ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन+तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
- ओ0डी0एफ0 प्लस–उत्कृष्ट

समस्त ग्रामों को उत्कृष्ट ओ0डी0एफ0 प्लस की स्थिति प्राप्त करना है,

- ग्राम के सभी परिवारों को कार्यात्मक शौचालयों की सुलभता,
- सभी विद्यालयों/आंगनवाडी केन्द्रों/पंचायत घरों में महिला/पुरूषों के लिए पृथक–पृथक कार्यात्मक शौचालय की सुलभता,
- ग्राम के सभी सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा–करकट न होना, अपशिष्ट जल जमाव न के बराबर हो एवं प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रीकरण(ढेर) न हो,
- ग्राम में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था हो,
- ग्राम में तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था हो,
- ग्राम के सार्वजनिक स्थलों पर ओ0डी0एफ0 प्लस के आई0ई0सी0 सन्देश प्रमुखता से प्रदर्शित किये गये हो, मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

पंचायतों की भूमिका

- ग्राम स्वच्छता प्लान तैयार करना।
- गांव/ग्राम पंचायत का ओ.डी.एफ. दर्जा बनाए रखना एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं का सहयोग।
- स्वच्छाग्रहियों के माध्यम से शौचालायों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जागरूकता उत्पन्न करने और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में सहायता करना।
- जहां आवश्यक हो, वहां रेट्रोफिटिंग या नवीकरण के लिए व्यावहारिक सहायता प्रदान करना

- समुदायों में सभी लोगों (पुरूष, महिलाओं, बच्चों) के बीच शौचालयों का सदैव इस्तेमाल किये जाने के संबंध में जागरूकता बढ़ाना
- शौचालयों के नियमित रखरखाव और उन्हें कार्यात्मक बनाये रखने के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ नियमित रूप से चर्चा करना
- निगरानी समितियों की गतिशीलता।
- ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की गतिविधियों को लागू करना एवं व्यक्तिगत घरेलू स्तर के प्रबन्धन के लिए परिवारों और समुदायों की यथा आवश्यक मदद करना

क्षेत्र पंचायतों की भूमिका

15वें वित्त के टाइड ग्रांट के अन्तर्गत शासनादेश 1817/33–3–2020–33/2020 दिनांक 24 जुलाई 2020 के द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्त

- सामुदायिक शौचालय का निर्माण अपनी सीमान्तर्गत प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील परिसर, विकास खण्ड परिसर, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड, बाजारों आदि पर कराना।
- निर्मित सामुदायिक शौचालयों/स्वच्छता परिसर के परिचालन, साफ–सफाई एवं अनुरक्षण।
- यथासम्भव सामुदायिक शौचालयों को एक बिजनेस मॉडल के रुप में विकासित करना।
- सार्वजनिक स्थलों/Rest Area/ जनसुविधा केन्द्र (शौचालय व पेयजल, जलपान, वाहनों की पार्किंग) के लिये व्यवस्था करना।
- बाजारों, हाट पैड, पशुबाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करना।

क्षेत्र पंचायतों से अपेक्षा एवं भूमिका

सहयोग एवं हैण्डहोल्डिंग	• ग्राम पंचायत कों जोड़ने एवं उनके मध्य संचालित की जाने वाली गतिवधियों को ग्राम स्तरीय नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित कराते हुये वित्तीय गैप को पूर्ण कराना। • गोबरधन योजना का चयन एवं संचालन • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के संचालन हेतु गैप का आकलन एवं सहयोग • समुदायिक गतिविधियों के संचालन और रखरखाव के लिए व्यवस्था बनाना
जन जागरुकता/ जनान्दोलन	• विकास खण्ड स्तरीय स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन। • ग्राम प्रधान एव क्षेत्र पंचायत सदस्यों का उन्मुखीकरण • प्रधान, सचिव/एडीओ का रिफ्रेशर • विकास खण्ड के मुख्य मार्गों एवं बाजारों में होर्डिंग/बोर्ड की स्थापना • मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जन जागरुकता
संसाधन तैयार करना	• विकास खण्ड स्तरीय प्लास्टिक संग्रहण केन्द्र की स्थापना • कई ग्रामों के संकलित ग्रेवाटर की प्रबन्धन की व्यवस्था • सैनिटाइजेन हेतु फॉगिंग मशीन/स्प्रेयर व सेफ्टिक टैंक को खाली करने आदि की व्यवस्था कराना • अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बाजारों, हॉट पैड, पशुबाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था एवं सामुदायिक शौचालय का निर्माण • मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु इन्सनिरेटर की स्थापना
अभिसरण	• क्षेत्र पंचायत की योजना में एसएलडब्लूएम को प्राथमिकता की सूची में सम्मिलित करना • विकास खण्ड में विभागों के मध्य समन्वय समिति का गठन एवं वित्तीय व्यवस्थाओं में कन्वर्जेन्स कराना

जिला पंचायतों की भूमिका

15वें केन्द्र वित्त के टाइड ग्रांट के अन्तर्गत शासनादेश 1817/33–3–2020–33/2020 दिनांक 24 जुलाई 2020 के द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्त

- सामुदायिक शौचालय का निर्माण अपनी सीमान्तर्गत कलेक्ट्रेट परिसर, अस्पताल, विकास भवन, जिला पंचायत परिसर, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड, बाजारों आदि पर कराना।
- निर्मित सामुदायिक शौचालयों/स्वच्छता परिसर के परिचालन, साफ–सफाई एवं अनुरक्षण।
- यथासम्भव सामुदायिक शौचालयों को एक बिजनेस मॉडल के रुप में विकासित करन।
- प्रदेश के नेशनल हाईवे/स्टेट हाइवे/मेजर डिस्ट्रिक रोड आदि पर Rest Area/जनसुविधा केन्द्र(शौचालय व पेयजल, जलपान, वाहनों की पार्किंग) के लिये व्यवस्था करना।
- बाजारों, हॉठ पैड, पशुबाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करना।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन– इकाई की स्थापना, प्लास्टिक/थर्माकोल के विनिर्माण व प्रयोग को प्रतिबन्धित करना तथा संग्रहण रि–यूज व रिसाइकिल की व्यवस्था करना।
- बाजारों, हाठ पैड, पशुबाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था
- तरल अपशिष्ट हेतु वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड
- मलीय अपशिष्ट प्रबन्धन
- गोबरधन परियोजनायें एवं बायोगैस संयंत्र
- जल संचयन/भूजल पुर्नभरण के कार्य

नियोजन–ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्वच्छता योजना

ग्राम पंचायत स्वच्छता योजना

- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण और जल जीवन मिशन के समेकित कार्यान्वयन ''ग्राम कार्य योजनाएँ'' तैयार करेगीं।
- ग्राम कार्य योजना, GPDP और साथ ही संबंधित जिला स्वच्छता योजनाओं के अनुवर्ती निर्माण में एक इनपुट संसाधन के रूप में कार्य करेगी।
- ग्राम सभा की स्वीकृति एवं जिला स्वच्छता समिति को भेजना।

ग्राम पंचायत योजना में निम्नलिखित की अनिवार्यता, पहचान की जाएगी–

- नए घरों की संख्या जिन्हें शौचालय उपलब्ध कराने के लिए मदद की आवश्यकता है। इस योजना में यह तय किया जाएगा कि इन घरों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा अथवा सामुदायिक स्वच्छता परिसर।
- किसी भी खराब शौचालय की मरम्मत करने, अपग्रेड करने/कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यकलाप।
- जल जीवन मिशन के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यकलाप। यह गांव में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए विकसित ग्राम कार्य योजना में सहमति प्राप्त कार्यों के अनुरुप होने चाहिए।

ग्राम पंचायत योजना में निम्नलिखित की अनिवार्यता, पहचान की जाएगी–

- ➢ वर्ष में कार्यान्वित किए जाने वाले व्यक्तिगत साफ–सफाई संवर्धन कार्यकलाप।
- ➢ वर्ष में आवश्यक आईईसी और क्षमता निर्माण कार्यकलाप, उनके कार्यान्वयन की योजना, समय निर्धारण, निधियन।
- ➢ ठोस कचरा और तरल कचरा प्रबंधन के लिए स्थान और परिसंपत्तियों की संख्या।
- ➢ वार्षिक परिचालन एवं रख–रखाव लागतों को पूरा करने के लिए निधियों के स्रोत सहित परिचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था।
- ➢ किसी कार्य के लिए निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी एजेंसियों को शामिल करना और उनके नियोजन के नियम व शर्तें।
- ➢ ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व गांव में की जाने वाली गतिविधिओं का विवरण।
- ➢ प्रत्येक गतिविधि के लिए बजट का आवंटन और वित्तपोषण स्रोतों की पहचान।

नियोजन–ग्राम / क्षेत्र / जिला पंचायत स्वच्छता योजना

क्षेत्र / जिला पंचायत स्वच्छता योजना

- प्रत्येक **क्षेत्र / जिला पंचायत** 15वां केन्द्रीय वित्त / पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के अनुरुप यथावश्यक स्वयं के संसाधनों से भी अभिसरण करते हुये कार्य योजनाएँ'' तैयार करेगीं।
- कार्य योजना, क्षेत्र / जिला पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करते हुये जिला स्वच्छता समिति को अग्रसारित की जायेगी।
- कार्य योजना, GPDP एवं साथ ही संबंधित जिला स्वच्छता योजनाओं के अनुवर्ती निर्माण में एक इनपुट संसाधन के रूप में होगी।

नियोजन–ग्राम / क्षेत्र / जिला पंचायत स्वच्छता योजना

जिला स्वच्छता योजना

- प्रत्येक जिला अपनी ग्राम पंचायतों की ग्राम कार्य योजनाओं को समेकित करके और चरण–2 के कार्यान्वयन के लिए ब्लॉक और जिला स्तरों पर किए जाने वाले कार्यकलापों को शामिल करके एक जिला स्वच्छता योजना तैयार करेगा।

जिला स्वच्छता योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा–

- ➢ नए घरों की संख्या जिन्हें शौचालय उपलब्ध कराने के लिए मदद की आवश्यकता है। इसे ग्राम कार्य योजनाओं से लिया जाएगा।
- ➢ प्रमुख आईईसी कार्यकलाप जिनका उपयोग स्थायित्व, व्यवहार परिवर्तन तथा गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट परिसंपत्तियों के कार्यान्वयन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा व उनका वित्त पोषण, प्रसार, स्टाफिंग, मीडिया योजना और समय–निर्धारण।
- ➢ प्रमुख क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का कार्यक्रम।

जिला स्वच्छता योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा–

- ➢ प्रतिवर्ष प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों के निर्माण की संख्या और विवरणिका का कार्यक्रम।
- ➢ जिले में **FSM** के कार्यान्वयन का कार्यक्रम।

- वर्ष के दौरान बायोडिग्रेडेबल ठोस कचरा प्रबंधन हेतु चुने गए गाँवों में सृजित की जाने वाली अवसंरचनाओं की संख्या और प्रकार।
- वर्ष के दौरान गंदला जल प्रबंधन के लिए चुने गए गाँवों में सृजित की जाने वाली अवसंरचनाओं की संख्या और प्रकार।
- कार्यकलापों को पूरी तरह वित्तपोषित करने के लिए वित्त आयोग, मनरेगा आदि से धनराशि प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए स्थापित अभिसरण तंत्र।
- निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन की व्यवस्था।
- सभी जनपद वर्ष 2020–21 से प्रतिवर्ष **SSM** द्वारा तय की गई तारीख के अनुसार योजना तैयार करेंगे और राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इसे एमआईएस पर अपलोड करेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–गरीबी उन्मूलन

- कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर मनरेगा, 15वां केन्द्रीय वित्त, पंचम राज्य वित्त, एसबीएम तथा अन्य योजनाओं के अभिसरण से ग्रामीण जनों को उनकी क्षमतानुसार कार्य/रोजगार की व्यवस्था।
- मुख्यतः महिला, गरीब, पिछड़े एवं दलित वर्ग को व्यक्तिगत/सामुदायिक माध्यमों से आर्थिक गतिविधियों से आच्छादित करना।
- स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामुदायिक शौचालयों की साफ–सफाई एवं रख–रखाव ।
- ग्रामीण जनों को उनकी क्षमतानुसार मिशन के दृष्टिगत क्षमतावर्धन।
- स्वच्छ भारत मिशन में निर्धारित गतिविधियों में यथासम्भव मार्केट लिंकेज।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०) के क्रियान्वयन में पंचायत सहायक की भूमिकाः

1. गांव के प्रधान व सचिव द्वारा बुलाई जा रही बैठक को आयोजित कराने में सहयोग करना।
2. शौचालय विहीन परिवारों का शौचालय निर्माण के लिये भारत सरकार की वेबसाइट पर आवेदन सुनिश्चित कराना।
3. सामुदायिक शौचालय का रख–रखाव सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करना ।
4. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन व शौचालय के नियमित प्रयोग हेतु ग्रामीण जनमानस को प्रेरित करना एवं गांव को स्वच्छ और सुन्दर बनाने हेतु जन–सहभागिता सुनिश्चित कराना।

7
15वां केन्द्रीय वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग

केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतों में केन्द्र एवं राज्य सरकार की शुद्ध आय का कुछ प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में हस्तान्तरित (डेवेल्यूशन) किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिसके क्रम में केन्द्रीय वित्त आयोग (पूर्व से गठित) तथा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हुए हर पांच वर्ष पर आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों अनुसार पंचायतों को अनुदान धनराशि (ग्रान्ट) हस्तान्तरित की जाती है। वर्तमान में 15वां केन्द्रीय वित्त आयोग एवं प्रदेश में पंचम राज्य वित्त आयोग प्रचलित है।

केन्द्रीय वित्त आयोगः

15वाँ वित्त आयोगः– 15वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों के साथ जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत को भी धनराशि दिये जाने की व्यवस्था दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15वें वित्त आयोग की अन्तरिम संस्तुति के आधार पर पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि हेतु 50 प्रतिशत टाइड ग्राण्ट एवं 50 प्रतिशत अनटाइड ग्राण्ट के रुप में अवमुक्त एवं व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया था। 15वें वित्त आयोग की अन्तिम संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–2026 पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के गाइडलाइन दिनांक–14.07.2021 के द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करते हुए उसके व्यय के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1717/33–3–2021–33/2020, दिनांक–07.10.2021 के द्वारा धनराशि हस्तान्तरण व व्यय हेतु मार्ग–निर्देश जारी किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–26 हेतु निम्न प्राविधान किया गया हैः–

- 15वें वित्त आयोग के संस्तुत रिपोर्ट में 40 प्रतिशत बेसिक (अनटाइड) ग्राण्ट ग्रामीण निकायों को 11वीं सूची के सूचीबद्ध 29 विषयों की आवश्यकताओं पर व्यय करने के निर्देश दिये गये है। उक्त धनराशि से वेतन एवं स्थापना व्यय को प्रतिबन्धित किया गया है।
- संस्तुत रिपोर्ट में 60 प्रतिशत टाइड ग्राण्ट पेयजल एवं सैनीटेशन के इम्प्रूवमेन्ट हेतु प्राविधानित किया गया है, जिसमें 30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन एवं वाटर रिसाइक्लिंग तथा 30 ओ0डी0एफ0 स्टेट्स को मेन्टेनेन्स एवं सेनीटेशन हेतु उपभोग किया जाना।
- पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष में आवंटित ग्राण्ट को पब्लिक डोमेन पर आनलाइन ऑडिट प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है, जिसके आधार पर ही आगामी वित्तीय वर्षों में ग्राण्ट सम्बन्धित निकाय को दिया जायेगा।

केन्द्रीय वित्त–15वाँ वित्त आयोग की धनराशि का वितरणः–

- जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर वितरण।
- जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में वितरित किया जाना।
- ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों का बंटवारा कुल जनसंख्या का 90 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का 10 प्रतिशत भार किये जाने की व्यवस्था है।

<u>15वें वित्त आयोग के प्राविधानित कार्य</u>

टाइड फण्ड (60 प्रतिशत):–	अनटाइड फण्ड (40 प्रतिशत):–
• खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) स्थिति की स्वच्छता और रख–रखाव। • पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुर्नचक्रण की आपूर्ति। • सामुदायिक शौचालय का निर्माण व रख–रखाव की व्यवस्था। • दूषित जल प्रबन्धन, सीवर प्रणाली का विकास तथा रख–रखाव। • सीवेज व सेप्टेज मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट की व्यवस्था– • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट–सामुदायिक कम्पोस्ट पिट का निर्माण व रख–रखाव आदि। • पाईप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना इसका रखा–रखाव। • वर्षा जल का संचयन। ट्रीट जल का Recycle एवं Reuse। • तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यय एवं (10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर)।	स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियां सम्बन्धित विभागों के परामर्श से, बच्चों का टीकाकरण, बच्चों के कुपोषण की रोकथाम, ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण और मरम्मत; ग्राम पंचायत के अन्दर व अन्तर्र ग्राम पंचायत सड़कों, पैदल पथों का निर्माण व मरम्मत एवं रख–रखाव; एलईडी स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइटिंग का निर्माण, मरम्मत एवं रख–रखाव, भूमि का अधिग्रहण और अन्त्येष्टि स्थलों व श्मशान स्थलों का निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव; ग्राम पंचायत के अन्दर पर्याप्त एवं उच्च बैंडविड्थ वाई–फाई डिजिटल नेटवर्क सेवाएं प्रदान करना; सार्वजनिक पुस्तकालय; बच्चों के पार्क; खेल का मैदान; ग्रामीण हाट; खेल और शारीरिक फिटनेस उपकरण आदि सहित मनोरंजन सुविधाएं; तथा राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य कोई अन्य बुनियादी सुधार/उन्नत सेवायें; विद्युत अन्तर्गत आवर्ती व्यय; आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति (मैन पावर) एवं आवश्यक अन्य–तकनीकी प्रशासनिक व्यय (10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर); प्राकृतिक आपदा/महामारी की स्थिति में तत्काल राहत कार्य; विभिन्न अधिनियमों/कानूनों के तहत पंचायतों को विशेष रूप से अधिदेशित जिम्मेदारियों का निर्वहन।

अनुदान के अन्तर्गत निम्नांकित मदो पर व्यय किये जाने की अनुमति नही है:– अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित वित्त पोषित मदों पर व्यय, अभिनंदन/सांस्कृतिक समारोह /सजावट/उद्घाटन, निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय, टीए/डीए और मौजूदा कर्मचारियों/स्थायी कर्मचारियों के वेतन/मानदेय और इस घटक के तहत अनुबंध, डोल्स/पुरस्कार, मनोरंजन, वाहनों व एयर–कंडीशनर का क्रय।

<u>15वें वित्त आयोग अन्तर्गत वर्ष 2020–26 तक प्राविधानित धनराशि</u>

वर्ष	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26
धनराशि	9752.00	7208.00	7466.00	7547.00	7994.00	7797.00

- राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि पी0एफ0एम0एस0 व कोषागार के माध्यम से सीधे उनके खाते में निर्धारित समयावधि के अन्दर हस्तान्तरण की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।
- पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना, क्रियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर (https://egramswaraj.gov.in) पर किया जाना प्राविधानित है।
- भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों को ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है। ऑडिट विभाग द्वारा ऑनलाइन ऑडिट हेतु प्रेषित इन्टीमेशन लेटर के सापेक्ष ऑब्जेरवेशन रिकार्ड करते हुए ऑडिट किया जाता है।

राज्य वित्त आयोग

संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) एवं 243 (वाई) के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु राज्य के कुल कर एवं कर्यतर राजस्व में से स्थानीय निकायों के हिस्सेदारी नियत करने हेतु प्रत्येक पांच वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग के एक गठन की व्यवस्था की गई।

संविधान के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग गठित करते हुए आयोग की संस्तुतियां लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश–38/2020/1751/33–3–2020– 38/2020, दिनांक–18.08.2020 के द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये है।

पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूलाः–

1. पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है।
2. राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में किया जाता है।

2– संक्रमित की जाने वाली धनराशि के व्यय के मार्गदर्शक सिद्धान्तः–

पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निम्न कार्य करा सकती हैः–

1– शासकीय भवनों का रख–रख 2– स्ट्रीट लाईट 3– खुले में शौच से मुक्ति(ओ0डी0एफ0) 4–शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत देयको का भुगतान 5– पंचायत की सड़कों का निर्माण एवं रख–रखाव 6–पेयजल योजनाओं का निर्माण एवं रख–रखाव 7– ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन 8–सामुदायिक शौचालय/जनसुविधाएं 9–अन्त्येष्ठ स्थल की वाउण्ड्री 10–ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

- इसके अतिरिक्त शासनादेश–1196/33–3–2019–एल0सी0/2017, दिनांक–24.05.2020 के द्वारा छुट्टा/निराश्रित पशुओं हेतु निर्मित कराये जा रहे गोशालाओं में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से पेयजल (हैण्डपम्प) एवं प्रकाश व्यवस्था कराने के निर्देश दिये गये है।
- शासनादेश संख्या–1076/33–1–2020–3003/2017, दिनांक–02.06.2020 के द्वारा पंचायतों में स्थापित एवं संचालित गो–संरक्षण केन्द्रों हेतु इच्छुक कृषकों के खेतों पर अनुप्रयोजित फसल अवशेष को काट कर भूसे में परिवर्तित किये जाने हेतु मशीनरी एवं मानव श्रम पर व्यय, गो–संरक्षण केन्द्र की आवश्यकता के अनुसार भूसे को भण्डार गृह तक ले जाने के लिए परिवहन लागत एवं उसमें निहित मानव श्रम पर व्यय, भूसा संग्रह हेतु निर्मित किये जाने वाले परम्परागत भूसे के कूप या खोप या भक्कू या बुर्जी आदि, को बनाने में लगने वाली सामग्री यथा बांस/पुआल/रस्सी आदि पर आने वाला व्यय एवं उसको बनाने हेतु भवन श्रम पर आने वाला व्यय, गो–संरक्षण केन्द्रों पर संरक्षित पशुओं की संख्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार नियोजित किये जाने वाले गो–सेवक श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान के कार्यों पर राज्य वित्त आयोग की धनराशि के व्यय की अनुमन्यता की गई है।
- शासनादेश संख्या–1075/33–1–2020–3003/2017, दिनांक–02.06.2020 के द्वारा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत **ग्रामीण अन्चल में निवासरत किसी परिवार को आर्थिक कठिनाई की वजह से उत्पन्न विपन्नता में भुखमरी का शिकार न हो इसलिए ऐसे परिवार को एक बारीय ग्राम पंचायत तत्काल 1000 रु0 की आर्थिक सहायता,** ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवार के गरीबी की दशा में कतिपय परिस्थितियों में अपने बीमारी कराने में सक्षम नही होते है तो उन्हें तत्काल इलाज के लिए 2000 रु0 की धनराशि तथा आर्थिक रुप से असक्षम परिवार में मृतक व्यक्ति के अन्त्येष्टि हेतु रु0 5000 व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3– त्रिस्तरीय पंचायतों में पंचम राज्य वित्त आयोग का भुगतान व अन्य कार्यवाही:–

ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर ग्राम सभा/क्षेत्र सभा/जिला सभा की बैठक में अनुमोदनोपरान्त ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। सम्बन्धित पंचायतों द्वारा समस्त भुगतान ई–ग्राम स्वराज के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये है।

4– कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतिः–

(1) ग्राम पंचायतः

क्र0 सं0	कार्यों की सीमा (धनराशि)	प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी	तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी
1	रु 5 लाख तक	ग्राम सभा	ग्राम सभा
2	रु 5,00,001 से 7,50000/–	सहायक विकास अधिकारी (पं0)	खण्ड स्तर पर नामित तकनीकी कार्मिक
3	रु 7,50001/– से 10 लाख तक	जिला पंचायत राज अधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत
4	10,00,001 से उपर	जिलाधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत

(2) क्षेत्र पंचायतों द्वारा कार्यों का अनुमोदन **उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984** के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

5– पंचायतों को संक्रमित धनराशि के दुरुपयोग होने पर सम्बन्धित पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम, 1947 में प्राविधानित व्यवस्था एवं उ0प्र0 पंचायत राज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 के अनुसार तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव जो कि शासकीय कर्मी है, के विरुद्ध सुसंगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है।

5–पंचायत गेटवे पोर्टलः–

ग्राम पंचायतों में ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड किये जाने एवं कार्य के उपरान्त भुगतान, ग्राम सचिवालय में स्थापित कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से किये जाने हेतु पंचायत गेटवे पोर्टल (https://panchayatgateway.in) विकसित किया गया है जिसके माध्यम से ग्राम सचिवालयों में स्थापित कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से ही ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के समस्त कार्य सम्पादित किये जाने हैं अन्य किसी स्थान से नहीं।

6– जिला पंचायतः–_जिला पंचायतें पंचम राज्य वित्त संस्तुतियों के अन्तर्गत अंतरित धनराशि अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि पर खर्च कर सकती हैं। केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन बकाये के लिए जिला पंचायतों के लिए अंतरित धनराशि का 01 प्रतिशत इस हेतु गठित पराक्रमी निधि में दिया जाता है। जिला पंचायतें संक्रमित धनराशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत धनराशि अपनी सम्पत्तियों के रखरखाव एवं सृजन पर व्यय करती हैं। नवसृजित जिला पंचायतें जहां पर कार्यालय भवन उपलब्ध नही है शासन की स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय भवन निर्मित करने हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय कर सकती हैं।

7– पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु धनराशि का निर्धारणः–

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण अध्ययन, भ्रमण, शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय के लिए ग्रामीण निकायों हेतु राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रतिवर्ष संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से राज्य स्तर पर पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.15 प्रतिशत धनराशि मात्राकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

8– पंचायत कल्याण कोषः– शासनादेश संख्या–2350/33–3–2021–2257/2021, दिनांक–16.12.2021 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार को आर्थिक सहायता हेतु राज्य वित्त आयोग धनराशि से 50 करोड़ का पंचायत कल्याण कोष स्थापित किया गया है। जिसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु 10 लाख, सदस्य जिला पंचायत हेतु 5 लाख, सदस्य क्षेत्र पंचायत 3 लाख व सदस्य ग्राम पंचायत हेतु 2 लाख का प्रावधान किया गया है।

9– त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को सम्पन्न एवं सुविधायेंः–

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1113/33–2–2006–34जी0/01टी0सी0–11, दिनांक–20.03.2006 एवं शासनादेश संख्या–6368/33–2–2006–34 जी0/2001 टी0सी0–11, दिनांक–26.12.2006 तथा शासनादेश संख्या–02/33–2–2014–34जी0/01 टी0सी0–11, दिनांक–07.01.2014 एवं शासनादेश दिनांक–22.11.2016, शासनादेश संख्या–2350/33–3– 2021–2257/2021, दिनांक–16.12.2021 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

पंचायत सहायक की भूमिकाः

1. केन्द्रीय एवं राज्य वित के अन्तर्गत मार्गनिर्देश के अनुरूप विकास से संबंधित कार्यों की कार्ययोजना निर्माण में ग्राम प्रधान व सचिव को सहयोग प्रदान करना।
2. पंचायत में स्थित/स्थापित शासकीय भवनों, हैण्डपम्पों, आदि की सूची तैयार करना।
3. ग्राम पंचायत के समस्त भुगतान को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से कराये जाने में सहयोग प्रदान करना।

8
बहुउद्देशीय पंचायत भवन

बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण–

विभाग द्वारा बहुउद्देशीय पंचायत भवन की स्थापना ग्राम पंचायतों में सुशासन एवं ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से की गई है। बहुउद्देशीय पंचायत भवन के माध्यम से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत व उनकी समितियों की बैठकों तथा ग्राम सूचना केन्द्र के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधा भी उपलब्ध होगी। शासनादेश संख्या–1075/33–3–2016– 182/2013 दिनांक 27 मई, 2016 द्वारा बहुउद्देशीय पंचायत भवन की भूकम्परोधी रहित प्रति इकाई **लागत रू0 17.46 लाख** एवं **भूकम्परोधी सहित प्रति इकाई लागत रू0 18.03 लाख** निर्धारित किया गया है।

बहुउद्देशीय पंचायत भवन के अन्तर्गत 08 कक्ष, 02 शौचालय, हैण्डपम्प, सोलर लाइट एवं आन्तरिक विद्युतीकरण कराये जाने का प्राविधान है।

5/ध्या0/7-03/2016

संख्या-1075/33–3–2016–182/2013

2688
31-5-2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 27 मई, 2016

विषयः– बहुउद्देशीय पंचायत भवन/ ग्राम पंचायत सचिवालय का आगणन प्रस्ताव एवं नक्शे का मानकीकरण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5/1805/2015–5/155/2015 दिनांक 18.08.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के अनुसार मूल्यांकन करते हुए बहुउद्देशीय पंचायत भवन की प्रस्तावित लागत रू0 19.25 लाख के सापेक्ष भूकम्परोधी सहित रू0 18.03 लाख एवं भूकम्परोधी रहित रू0 17.46 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह स्वीकृति निम्नलिखित निर्देशों के अधीन प्रदान की गयी है:–

1– प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए।

2– प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षमलोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

3– नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4– मुख्य वास्तुविद के पत्रांक संख्या–77 एस.ए.–3/52एस.ए.–3/15 दिनांक 11.03.2016 एंव मुख्य अभियन्ता(भवन), लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 के पत्र संख्या–6840/38 बी.पी. विंग/2016 दिनांक 22.03.2016 में उल्लिखित प्रतिबन्ध एवं शर्तों का अनुपालन निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

675

निदेशक (पं0)(ओ0लि0)
l. circulate.

निदेशक
31/5/16

(एस0 पी0 ...)
उपनिदेशक (पंचायत)
पंचायती राज, उ0प्र0

सत्य प्रकाश
31/5/2016

Scanned with CamScanner

5– प्रायोजना में भूकम्परोधी उपचार हेतु प्राविधानित धनराशि जोन–4 एवं जोन–5 में आने वाले जनपदों के प्रायोजना प्रस्तावों हेतु ही अनुमन्य किया जाय।

6– सन्दर्भित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ. आर. पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

7– इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्ही प्रायोजना हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

अतः संशोधित लागत का संलग्नक–1 एवं संलग्नक–2 संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त के आधार पर बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु सभी संबंधित को निर्देश निर्गत करनें का कष्ट करें, साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

संलग्नक–1

बहुउद्देशीय पंचायत भवन / ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापना (भूकम्परोधी सहित) का संशोधित लागत विश्लेषण

(लागत रू0 लाख में)

क्र0 स0	मद विवरण	इकाई	प्रस्तावित लागत			व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत		
			मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत
अ	पंचायत भवन / ग्राम पंचायत सचिवालय		वर्ष 2014 की दरों पर			वर्ष 2015 की दरों पर		
1	भूतल–भवन	व0मी0	125.34	7700.00	9.65	125.34	8000.00	10.03
2	भूतल–शौचालय	व0मी0	17.67	7700.00	1.36	17.67	8000.00	1.41
	योग		143.01		11.01	143.01		11.44
2	दीमकरोधी उपचार	व0मी0	143.01	230	0.33	143.01	230	0.33
3	भूकम्परोधी उपचार	व0मी0	143.01	400.00	0.57	143.01	400.00	0.57
4	आंतरिक विद्युतीकरण	रू0 लाख	11.01	12.5%	1.38	11.44	12.5%	1.43
5	सोलर लाइट			L.S.	0.30		L.S.	0.30
6	इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प			L.S.	0.40		L.S.	0.40
7	बाउण्ड्रीवाल	र0मी0	72.67	1500.00	1.09	72.67	1500.00	1.09
8	मेन गेट			L.S.	0.20		L.S.	0.20
9	आन्तरिक जलापूर्ति एवं मल निस्तारण	रू0 लाख	11.01	5%	0.55	11.44	5%	0.57
10	वाह्य जल आपूर्ति एवं मल निस्तारण	रू0 लाख	11.01	5%	0.55	11.44	5%	0.57
11	वाह्य स्थल विकास	रू0 लाख	11.01	5%	0.55	11.44	5%	0.57
12	आन्तरिक स्थल सुधार	रू0 लाख	11.01	5%	0.55	11.44	5%	0.57
	योग				17.48			18.04
13	आकस्मिक व्यय		17.48	2.0%	0.36			
14	लेबर सेस	रू0 लाख	17.48	1.0%	0.18			
	योग				18.01			18.03
15	5 प्रतिशत की कमी	रू0 लाख	18.01	-5%	-0.90			
	योग				17.11			18.03
16	सेन्टेज चार्जेज	रू0 लाख	17.110	12.5%	2.14			
17	लेबर सेस	रू0 लाख						
	प्रायोजना की कुल लागत				19.25			18.03

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ0प्र0
लो0नि0वि0, लखनऊ
(भवन वर्ग)

पत्रांकः 6844/38बी0पी0विंग/2016, दिनांकः 22/3/2016

सेवा में,

विशेष सचिव,
लोक निर्माण अनुभाग–5
उ0प्र0शासन, लखनऊ ।

विषयः बहुउद्देशीय पंचायत भवन/ग्राम पंचायत सचिवालय का आगणन प्रस्ताव एवं नक्शे के मानकीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः शासन का पत्र सं0–171ईजी/23–5–16–81ईजी/12 दिनांक 22.02.2016 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दि0 22.02.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें जोकि बहुउद्देशीय पंचायत भवन/ग्राम पंचायत सचिवालय का आगणन प्रस्ताव एवं नक्शे के मानकीकरण के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परीक्षणोपरान्त इस कार्यालय के ज्येष्ठ वास्तुविद् तृतीय इकाई लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–77एस0ए0–3/52एस0ए0–3/15 दिनांक 11.03.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिबन्धों सहित अनुमोदित स्क्रेच मानचित्रों का एक सेट मूल में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।
मानचित्रों का एक सेट मूल में।

भवदीय

(जे0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता(भवन)

पत्रांकः /38बी0पी0विंग/2016, दिनांकः

प्रतिलिपिः उपसचिव, पंचायती राज्य अनुभाग–3, उ0प्र0शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता (भवन)

Scanned with CamScanner

-9- 38 B P Wing

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0,
ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय इकाई।

पत्रांकः 77 SA-3/52 SA-3/15

दिनांकः 11-3-16

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(भवन),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

विषयः—बहुउद्देशीय पंचायत भवन/ग्राम पंचायत सचिवालय का आगणन प्रस्ताव ए नक्शे का मानकीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः—मुख्य वास्तुविद को सम्बोधित अधीक्षण अभियन्ता, दशम् वृत्त (भवन) व पत्रांकः—516G/38बी0पी0विंग/16, दिनांक 04.03.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उक्त सन्दर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे संदर्भित पत्र के साथ विषयांकित प्रकरण के स्केच मानचित्र संलग्न करके प्रेषित किये गये जिन्हें अनुमोदित/मानकीकृत किये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है अवगत हो कि मानचित्रों के परीक्षण हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा स्वीकृ आवश्यकताओं/कक्षों के एरिया आदि की कोई सूची संलग्न नही है, जिसके आधार प मानचित्रों का परीक्षण किया जा सके। उक्त प्रेषित मानचित्रों पर निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र तथा उपनिदेशक पंचायती राज, उ0प्र0 के हस्ताक्षर है। अतः मानचित्रों में दी ग आवश्यकताओं/एरिया से प्रशासकीय विभाग की उक्त सहमति के दृष्टिगत इन मानचित्रों क परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रेषित मानचित्रों क मानकीकरण की कार्यवाही हेतु अनुमोदित किया जाता है:—

1. प्रस्तावित भवन की नियमानुसार स्ट्रक्चरल डिजायन एवं शासनादेश के अनुसा भूकम्परोधी प्राविधान करना होगा।
2. प्रस्तावित भवन में NBC—2005 में वर्णित नार्म्स एवं अग्निशमन आदि के प्रावधान करने होंगे।
3. प्रस्तावित भवन को disabled friendly बनाते हुए ramp आदि का प्रावधान करना होगा।
4. प्रस्तावित भवन में नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान करना होगा।
5. पब्लिक Toilets में W.C. का साइज 1000 X 900 दर्शाया गया है, इसे 1200 X 900 किया जाना होगा एवं gents toilets में Urinals का भी प्रावधान करना होगा। उपरोक्तानुसार यथावश्यक toilets का area बढ़ाया जाना होगा। लेडीज़ टॉयलेट में W.C. के ventilator दूसरे की भूमि में खोले गये है, जिन्हें परिसर में ही खोला जाना होगा।
6. पंचायत भवन परिसर में कार्मिकों एवं आगन्तुको के वाहनों की पार्किंग की कोई व्यवस्था नही दर्शायी गई है। उक्त हेतु प्रशासकीय विभाग की सहमति से यथावश्यक प्रस्तावित भूखण्ड का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना होगा।

उपरोक्तानुसार प्रतिबन्धों सहित अनुमोदित स्केच मानचित्रों के दो सैट अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न करके आपको प्रेषित है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

Urgent
SE 10 ...
891
1 MAR 2016
6846
15/3/16
15-3-16

भवदीय,

(वी0के0 टण्डन) 11/3/16
ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय इकाई

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य वास्तुविद, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. उप सचिव, लोक निर्माण अनुभाग—5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. उप सचिव, पंचायती राज्य अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय इकाई
लो0नि0वि0, लखनऊ।

F:\data\Unit_3\Unit_3.doc

Scanned with CamScanner

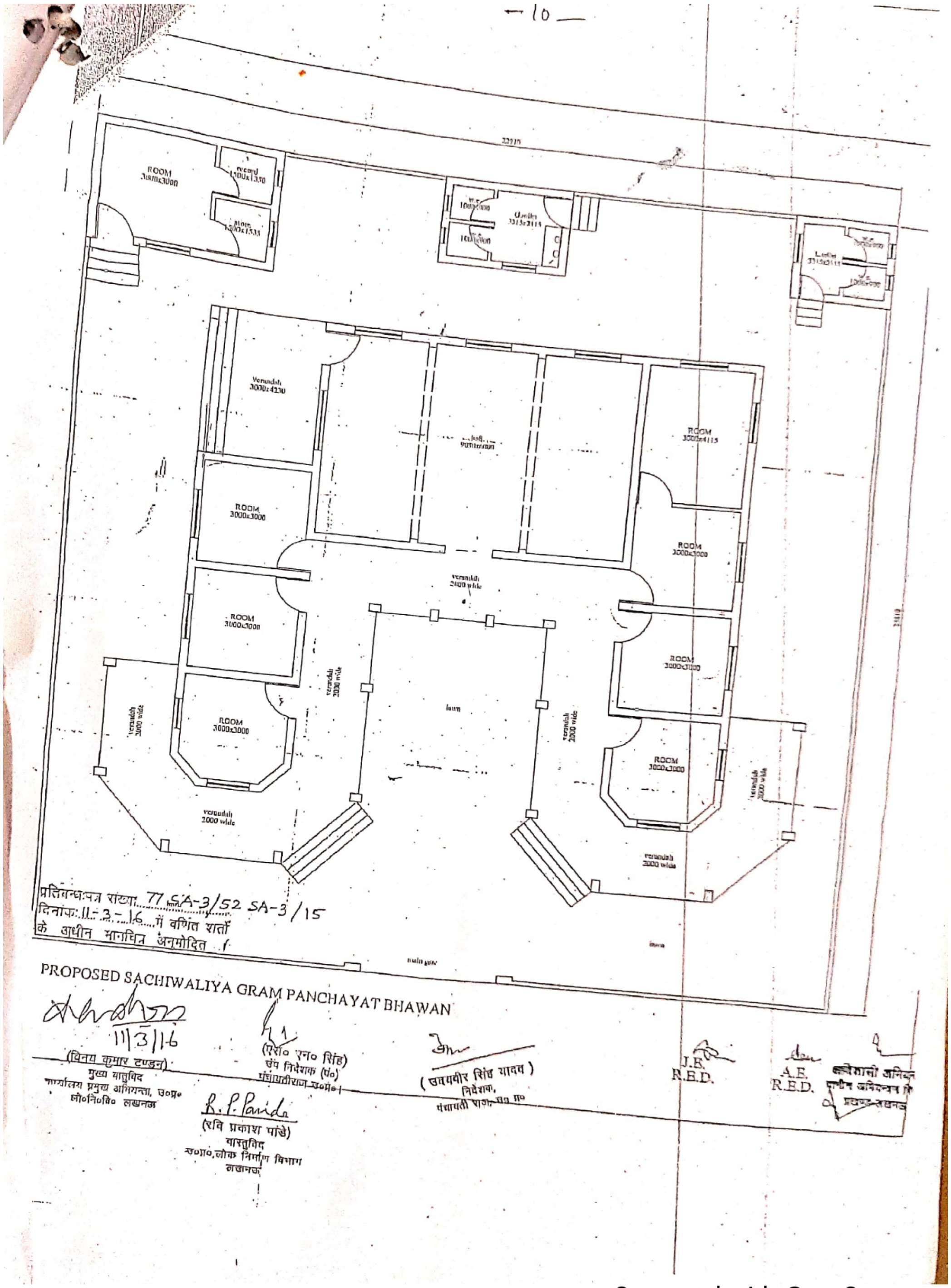

Scanned with CamScanner

9
अन्त्येष्टि स्थल निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण–

ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तिम संस्कार अपनी धार्मिक परम्पराओं के अनुसार सम्मानजक ढंग से निर्धारित स्थान पर किये जाने के के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। शासनादेश संख्या–1009/33–3–2016–100(21)/2014 दिनांक 26 मई, 2016 के अनुसार प्रति अंत्येष्टि स्थल की **लागत रू0 24.36 लाख** शासन द्वारा निर्धारित की गयी है।

अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु क्षेत्रफल **1750 वर्ग मीटर** निर्धारित है। इसके अन्तर्गत शवदाह के लिए **शवदाह स्थल पर प्लेटफॉम का निर्माण**, **लोगों के बैठने हेतु शान्ती स्थल**, **पेयजल हेतु हैण्डपम्प**, **शौचालय व स्नानागार** तथा **शवदाह हेतु लकड़ियों की उचित व सुलभ व्यवस्था के लिए भण्डार गृह का निर्माण** किया जाता है।

संख्या–1009/33–3–2016–100(21)/2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 26 मई, 2016

विषयः– प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5/1230/2016–5/53/2016 दिनांक 11.04.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के अनुसार मूल्यांकन करते हुए अन्त्येष्टि स्थलों की प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख के सापेक्ष रू0 24.36 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह स्वीकृति निम्नलिखित निर्देशों के अधीन प्रदान की गयी हैः–

1– प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

2– प्रायोजना स्थल के अनुसार, यदि आवश्यक हो नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

4– मुख्य अभियन्ता (भवन),लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश के पत्रांक–3487 जी/71(1)बी.पी.–विंग/2014 दिनांक 10.11.2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्ही प्रायोजनाओं हेतु प्रदान किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

6– प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

अतः संशोधित लागत का संलग्नक संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त के आधार पर अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु सभी संबंधित को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें, साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

गोपनीय
(केवल व्यय वित्त समिति उपयोगार्थ)
मानकीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव/आगणन

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के
मानकीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन
(प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख)
कार्यदायी संस्था-पंचायती राज विभाग

मूल्यांकन टिप्पणी

1.0-प्रायोजना प्रस्ताव

1.1- पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के मानकीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ सन्दर्भित किया गया है।

1.2- प्रश्नगत प्रायोजना का मानकीकरण सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 02-12-2014 (बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक-1) में प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित मानकीकृत लागत रू0 15.14 लाख के सापेक्ष रू0 14.87 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया था। पुनः प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11-8-2015 में पर्यावरणीय किलयरेन्स हेतु प्रस्तुत किया गया था। (बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक-2) समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 02-12-2014 में प्रायोजना के अनुमोदन के समय दिये गये निर्देश संख्या-2 में संशोधन करते हुए यह अपेक्षा की गई कि स्थल की आवश्यकतानुसार यदि आवश्यक हो, तो प्रशासकीय विभाग नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लेंगे। प्रायोजना हेतु शेष शर्ते यथावत् रहेगी, निर्देश दिये गये थे। प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में मानकीकृत लागत में लकड़ी स्टोर व अंत्येष्टि स्थल पर आन्तरिक इण्टर लाकिंग की लागत सम्मिलित नहीं थी, जिसे सम्मिलित करते हुए संशोधित मानकीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में प्रायोजना प्रस्ताव को पुनः व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

1.3- संदर्भित प्रस्ताव/आगणन के मानचित्र एवं कुर्सी क्षेत्रफल मुख्य वास्तुविद लोक निर्माण विभाग लखनऊ एवं तदनुसार गठित प्रस्ताव/आगणन मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक 3487जी/71(1) बी0पी0-विंग/2014 दिनॉक 10-11-2014 (संलग्नक-3) उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा लकड़ी के स्टोर एवं अंत्येष्टि स्थल पर इण्टर लाकिंग टाइल्स का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधन से कराये जाने का निर्देश दिये गये है।

1.4– प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन उप, निदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा तैयार किया गया है, निदेशक, पंचायतराज, उ0प्र0 द्वारा संस्तुत है तथा प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित है।

2.0– आवश्यकता एवं औचित्य

प्रायोजना प्रतिवेदन के प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल के विकसितीकरण के लिए प्रस्ताव का गठन किया गया है।

3.0– प्रायोजना प्राविधान

क0सं0	कार्यमद	इकाई	मानकीकृत स्वीकृत मात्रा	मानकीकृत हेतु प्रस्तावित मात्रा
1	कुल क्षेत्रफल	व0मी0	158.79	158.79
2	हैण्ड पम्प एवं ड्रेनेज	न0	1.00	1.00
3	हार्टीक्चर एवं प्लान्टेशन	जाब	1.00	0
4	शवदाह का प्लेट फार्म	न0	2.00	0
5	रोड कनेक्टविटी इण्टर लांकिंग टाइल्स के साथ	व0मी0	0	200.00
6	वुड स्टोर	व0मी0	0	54.00
7	आन्तरिक इण्टर लांकिंग टाइल्स	व0मी0	0	593.12

4.0– दरें :–

प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग की दिनॉक 15–09–2015 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। तदनुसार प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का परीक्षण किया गया है।

5.0– लागत विश्लेषण:–

प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष प्रभाग द्वारा आंकलित लागत का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:–

(लागत रू0 लाख में)

क0 स0	मद विवरण	इकाई	पूर्व मानकीकृत लागत			पुनरीक्षित मानकीकृत प्रस्तावित लागत			पुनरीक्षित मानकीकृत आंकलित लागत		
			मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत
A	सिविल कार्य		वर्ष 2014 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर			वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर			वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर		
1	कुल क्षेत्रफल	व0मी0	158.79	7700.00	12.23	158.79	8000.00	12.70	158.79	8000.00	12.70

2	हैण्ड पम्प एवं ड्रेनेज	न0	1.00	100000.00	1.00	1.00	100000.00	1.00	1.00	100000.00	1.00
3	हार्टीकल्चर एवं प्लान्टेशन	जाब	1.00	10000.00	0.10			0.00			0.00
4	शवदाह का प्लेट फार्म	न0	2.00	10000.00	0.20			0.00			0.00
5	रोड कनेक्टविटी इण्टर लांकिंग टाइल्स के साथ	मी0				200.00		10.30	200.00	विवरणानुसार	9.95
6	वुड स्टोर					54.00	8000.00	4.32			
7	आन्तरिक इण्टर लांकिंग टाइल्स					693.12	869.36	6.03	ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधन से यह कार्य कराया जायेगा।		
	योग				13.52			34.35			23.65
8	आकस्मिक व्यय	लाख रू0	13.52	2%	0.27			0.00	23.65	2%	0.47
	योग				13.79			34.35			24.12
9	5 प्रतिशत की कमी	लाख रू0	13.79	-5%	-0.69			0.00			0.00
	योग				13.10			34.35			24.12
10	सेन्टेज चार्जेज	लाख रू0	13.10	12.50%	1.64			0.00			0.00
11	लेबर सेस	लाख रू0	13.10	1.0%	0.13			0.00	24.12	1%	0.24
	प्रायोजना की कुल लागत				14.87			34.35			24.36

6.0–प्रभाग की टिप्पणी

1– पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के मानकीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है। परीक्षणोपरान्त प्रस्तावित मानकीकृत लागत रू0 34.35 लाख सापेक्ष लागत रू0 24.36 लाख आंकलित की गई है।

1– प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

2- प्रायोजना स्थल के अनुसार यदि आवश्यक हो तो प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियॉं एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आर्थॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

4- मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक 3487जी/71(1) डी0पी0-विंग/2014 दिनॉंक 10-11-2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- प्रशासकीय विभाग द्वारा इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

6- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

7- प्रशासकीय विभाग द्वारा मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जाय।

++++++++++++++++++++

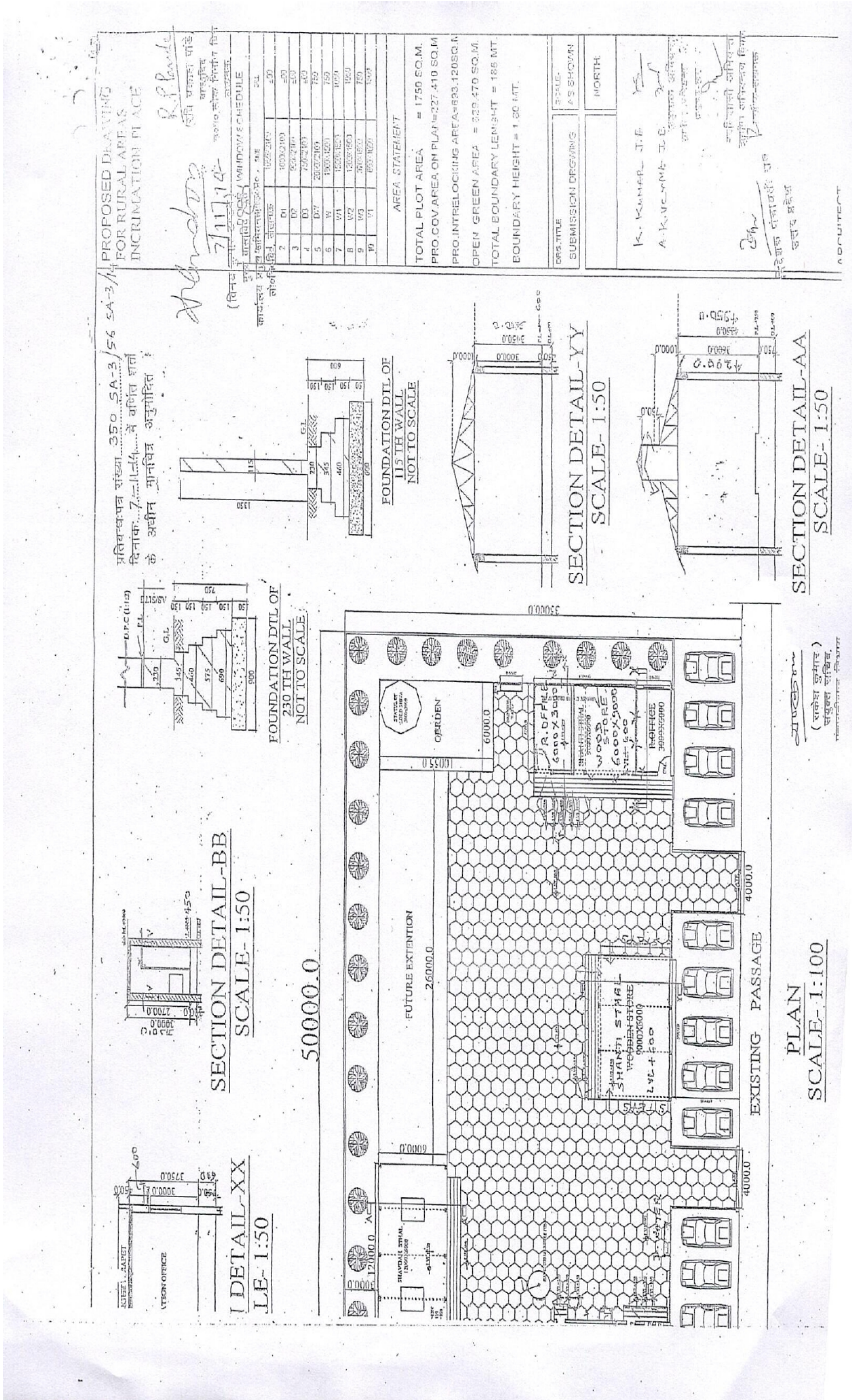
PROPOSED DRAWING FOR RURAL AREAS INCRIMATION PLACE
SECTION DETAIL-BB SCALE- 1:50
SECTION DETAIL-YY SCALE- 1:50
SECTION DETAIL-AA SCALE- 1:50
FOUNDATION DTL OF 230 TH WALL NOT TO SCALE
FOUNDATION DTL OF 115 TH WALL NOT TO SCALE
PLAN SCALE- 1:100
EXISTING PASSAGE
FUTURE EXTENTION
50000.0
33000.0
AREA STATEMENT

संख्या-2 / 2105 /33-3-2014-100(21)/ 2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुखसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

(2) निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर 2014

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास के संबंध में तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अंत्येष्टि स्थलों के नागरिक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्येशय से शासन द्वार अंत्येष्टि स्थलों का विकास का निर्णय लिया गया है जिसके संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका / कार्ययोजना निम्नानुसार है:-

1. <u>उददेश्य</u>

(1) शव की अंत्येष्टि हेतु उचित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाना।
(2) अंत्येष्टि स्थल में शव के साथ उपस्थित जनों को मूलभूत सुविधाएं यथा- पेयजल एवं शौच की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।
(3) शवदाह हेतु लकडियों की उचित व सुलभ व्यवस्था हेतु लकडी का टाल स्थापित किया जाना।
(4) इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जांय कि यह प्रत्येक मौसम में बिना किसी कठिनाई के प्रयोग किया जा सके।
(5) अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को सक्षम किया जाना।

2. कार्यक्रम का क्रियान्वयन

कार्यक्रम का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती राज निदेशालय व उसके नियंत्रणाधीन जिला पंचायत राज अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जायेगा। अंत्येष्टि स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण कार्य ऐसी ग्राम पंचायत जिसके भौगोलिक क्षेत्र में संबंधित अंत्येष्टि स्थल स्थापित है, द्वारा किया जायेगा। इस हेतु शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर धनराशि रखी जायेगी, जो इसे चयनित/ संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।

3. संबंधित ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्य के लिए तकनीकी सहायता जिला पंचायत के तकनीकी स्टाफ, विकास स्तर पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा लघु सिंचाई एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जिला स्तर पर तैनात सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

4. प्रत्येक चयनित अंत्येष्टि स्थल में निम्नलिखित अवस्थापना सुविधायें निर्मित / व्यवस्थित की जायेंगी:-

- अंत्येष्टि स्थल- शेड (12मीटर X 05 मीटर). (दो शवदाह हेतु) -1
- लोगों के बैठने के लिए शान्ती स्थल (08 मीटर X 06 मीटर) -1
- लकडी भण्डार गृह (04 मीटर X 04 मीटर) -1
- शौचालय एवं स्थान घर (4.5 मीटर X 1.5 मीटर) -1
- शवदाह स्थल पर इण्टर लाकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।
- स्थान हेतु चबूतरा निर्माण (03 मीटर X 1.2 मीटर) -1
- हैण्डपम्प की व्यवस्था एवं जल निकासी इत्यादि।

5- चूँकि उक्त अवस्थापना सुविधायें ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी एवं ग्राम पंचायत द्वारा ही उनका निर्माण/ विकास किया जायेगा, अतः निर्माण होने के पश्चात आगामी वर्षों में अनुरक्षण पर व्यय ग्राम पंचायत द्वारा 13वॉं वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त धनराशि / स्वयं के स्रोतों से आय से किया जायेगा। अंत्येष्टि स्थल प्रयोग करने वाली अन्य ग्राम पंचायतों द्वाराभी संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से उपर्युक्त योजनाओं से अनुरक्षण पर धनराशि व्यय की जा सकेगी।

6. जनपदों में अंत्येष्टि स्थल का चयन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जायेगा:-

6.1 प्रत्येक जनपद में ऐसे अंत्येष्टि स्थलों का वरीयता क्रम में चयन किया जाय जहां अधिकतम शवों का दाह किया जाता है।

6.2 प्रत्येक विकास खण्ड में अधिकतम प्रयोग की वरीयता क्रम में अंत्येष्टि स्थलों का चिन्हांकन ग्राम पंचायत सचिव की सहायता से संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किया जायेगा। उक्त चिन्हांकन में अंत्येष्टि स्थल में प्रति वर्ष अंत्येष्टि किये गये शवों की संख्या, उपलब्ध भूमि के ग्राम सभा/ सार्वजनिक स्वामित्व में होने, उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल, अंकित सुविधाओं के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान आदि का उल्लेख किया जायेगा।

6.3 अंत्येष्टि स्थल नदियों के किनारे अथवा अन्य सुरक्षित स्थलों पर बनाए जाने के संबंध में उपर्युक्तानुसार स्थलों का चयन किया जायेगा।

6.4 अंत्येष्टि स्थलों का अंतिम चयन जनपद स्तर पर गठित निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
अपर मुख्य अधिकारी	सदस्य
जिला पंचायत राज अधिकारी	संयोजक/ सदस्य

7. प्रदेश के सभी जनपदों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत सभी विकास खण्डों को बराबर संख्या में अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि प्रदान की जायेगी।

8. अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य दिशा-निर्देशानुसार संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा, जिसकी गुणवत्ता संबंधित जनपद में तैनात जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

9. मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दिया जायेगा तथा ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002 के प्राविधानों के अनुसार संक्षिप्त विवरण अंत्येष्टि स्थल से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा रखा जायेगा।

10. अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के निवर्तन पर धनराशि रखी जायेगी, जो इसे चयनित / संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

11. संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यपूर्ति एवं धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी संपूर्ण जनपद के पंचायतों को दी गयी धनराशि का स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. उक्त निर्माण का अनुश्रवण निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।

13. जिला पंचायत से प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल के निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, तत्पश्चात अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु लागत के आकलन के अनुसार संबंधित जनपदों हेतु अंत्येष्टि स्थलों के लिए धनराशि शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज,उ0प्र0 के निवर्तन पर रखने हेतु निर्गत की जायेगी।

अंत: अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0) उत्तर प्रदेश।
6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव।

10
पंचायत कल्याण कोष उ0प्र0

जनता के प्रतिनिधि के रुप में निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पंचायत कल्याण कोष उ0प्र0 की स्थापना की गई है।

यह योजना दिनांक–16.12.2021 से प्रभावी है।

- ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष – रु0 10 लाख
- सदस्य जिला पंचायत – रु0 5 लाख
- सदस्य क्षेत्र पंचायत – रु0 3 लाख
- सदस्य ग्राम पंचायत – रु0 2 लाख

आवेदन की प्रक्रिया

- पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति द्वारा कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने हेतु **prdfinance.up.gov.in** पर सीधे ऑनलाइन आवेदन अथवा अपने जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर किया जा सकता है।
- आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त विवरण फ्रिज किया जायेगा।
- जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मृतक पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति के किये गये आवेदन को निर्धारित पोर्टल से अपने लाग इन आई0डी0 व पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड कर समस्त सूचनाओं व अभिलेखों का परीक्षण कराकर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। अनुमोदनोपरान्त आवेदन पर अपनी संस्तुति कर धनराशि हस्तांतरण हेतु पोर्टल पर अपलोड करते हुए राज्य स्तर पर अग्रसारित किया जाता है।
- राज्य स्तर पर जनपद द्वारा अग्रसारित आवेदन व अभिलेखों को डाउनलोड कर आवेदक के बैंक विवरण को पी.एफ.एम.एस. पर वेलिडेट करने के उपरान्त निर्धारित धनराशि आश्रित व्यक्ति के खाते में हस्तांतरित कर किया जाता है।

आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख

आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेख

- जिलाधिकारी के अनुमोदन से संबंधित अभिलेख
- जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संस्तुति फार्म
- मृत्यु प्रमाण पत्र
  - ✓ प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र।
  - ✓ आकास्मिक /दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में
  - ✓ पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति।
- **निर्वाचन प्रमाण पत्र**
  - ✓ ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण–पत्र,
  - ✓ क्षेत्र प्रमुख/क्षेत्र पंचायत सदस्य मृत्यु की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र
  - ✓ जिला पंचायत अध्यक्ष/जिला पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
  - ✓ बैंक पासबुक की प्रति
- पति पत्नी/माता पिता के आवेदक होने की स्थिति को छोड़कर अन्य आवदेक होने की दशा में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के अनापत्ति का शपथ–पत्र।
- हत्या से हुई मृत्यु की स्थिति में स्थानीय पुलिस थाना द्वारा मृतक के अपराधी/आपराधिक कृत्य में सम्मिलित न होने का प्रमाण पत्र
- आवेदक मृत्यु आश्रित हो

पंचायत सहायक की भूमिका:

ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत में किसी निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी के कार्यकाल की अवधि में मृत्यु होने की दशा में परिवार के आश्रित को आर्थिक सहायता हेतु prdfinance.up.gov.in पर सीधे ऑनलाइन आवेदन कराने में सहयोग प्रदान करना।

11
मातृभूमि योजना

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना

पंचायतीराज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–57/2021/2171/33–3–2021, दिनांक–12.11.2021 के क्रम में उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन व संचालन हेतु दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना का उद्देश्यः–

- ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास व पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों को ग्राम में निवासरत व बाहर रहने वाले व्यक्तियों/निजी संस्थाओं के सहयोग से परिसम्पत्ति के निर्माण व अनुरक्षण में सहभागिता किया जाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों के तीव्र गति के साथ–साथ उसमें गुणात्मक सुधार एवं नवीन तकनीकों व विचारों का समावेश।
- निजी निवेश तकनीकी सहयोग एवं सुपरविजन की उपलब्धता से कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि।

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का वित्तीय समावेश एवं मरम्मत व रखरखाव –

पंचायत में कराये जाने वाले कार्य हेतु निर्धारित लागत में से सहयोगकर्ता/सहयोगकर्ता द्वारा अपने गाँव में 60 प्रतिशत या उससे अधिक राशि का सहयोग देकर कार्य सम्पन्न करवा सकेंगे सहयोगकर्ता द्वारा दी गई राशि के उपरान्त शेष 40 प्रतिशत राशि के अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार करेंगी। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि शेष 40 प्रतिशत या उससे कम राशि की व्यवस्था सम्बन्धित विभागों के बजट प्राविधानों से की जायेगी (सांकेतांक सूची संलग्न 1)। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार का शिलापट्ट सहयोग करने वाले व्यक्ति/संस्था के प्रस्तावानुसार उस भवन अथवा अवस्थापना सुविधा के ऊपर यथोचित स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा। सहयोगकर्ता द्वारा कार्य स्वयं अथवा स्वयं की पसन्द की एजेंसी के माध्यम से कराया जा सकता है। योजना के तहत किये गये कार्यो के मरम्मत रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित विभाग व संस्था जिसे परिसम्पत्ति स्थानान्तरित की जायेगी उसकी रहेगी।

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के क्रियान्वयन हेतु सोसायटी का गठनः–

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व संचालन हेतु उ0प्र0 मातृ भूमि सोसायटी का गठन किया जायेगा, जिसका पंजीकरण सोसायटी रजिस्टर एक्ट, 1860 के अन्तर्गत कराया जायेगा। सोसायटी का राज्य स्तर पर Escrow बैंक अकाउण्ट एवं जिला स्तर पर मातृभूमि योजना सोसायटी के अन्तर्गत अलग से बैंक अकाउण्ट खुलवाया जाएगा। सोसायटी को आवश्यकतानुसार Cropus Fund उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग किसी योजना हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा व बजट उपलब्ध होने पर इसे Reimburse किया जाएगा। इस Cropus Fund के ब्याज से PMU के संचालन का व्यय भार वाहन किया जा सकेगा।

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के क्रियान्वयन हेतु पी0एम0यू0 का गठनः–

योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस हेतु ''उ0प्र0 मातृभूमि सोसायटी'' द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट PMU का गठन किया गया है।

पी0एम0यू0 के कार्य एवं दायित्वः–

योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय बैंक एकाउण्ट PMU द्वारा संचालित किया जाएगा। PMU द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से सहयोगकर्ताओं के सहयोग की राशि एवं सरकार के अनुदान की राशि योजना के लिए खुलवाये गये अलग बैंक अकाउण्ट में जमा होगी। इस राशि के जमा होने के बाद, उसमें सम्बन्धित कार्य के लिए व्यय किया जा सकेगा। पोर्टल के ऊपर कार्यों का विवरण और कार्य का प्रकार, आदि दर्शाना होगा, ताकि सहयोगकर्ता को सहयोग देने के लिए सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध हो सके। सम्बन्धित ग्राम पंचायत, विकास खण्ड, पंचायत और मुख्य विकास अधिकारी के लिए आवश्यकतानुसार लॉग इन आई0डी0 और पासवर्ड का प्राविधान किया गया है।

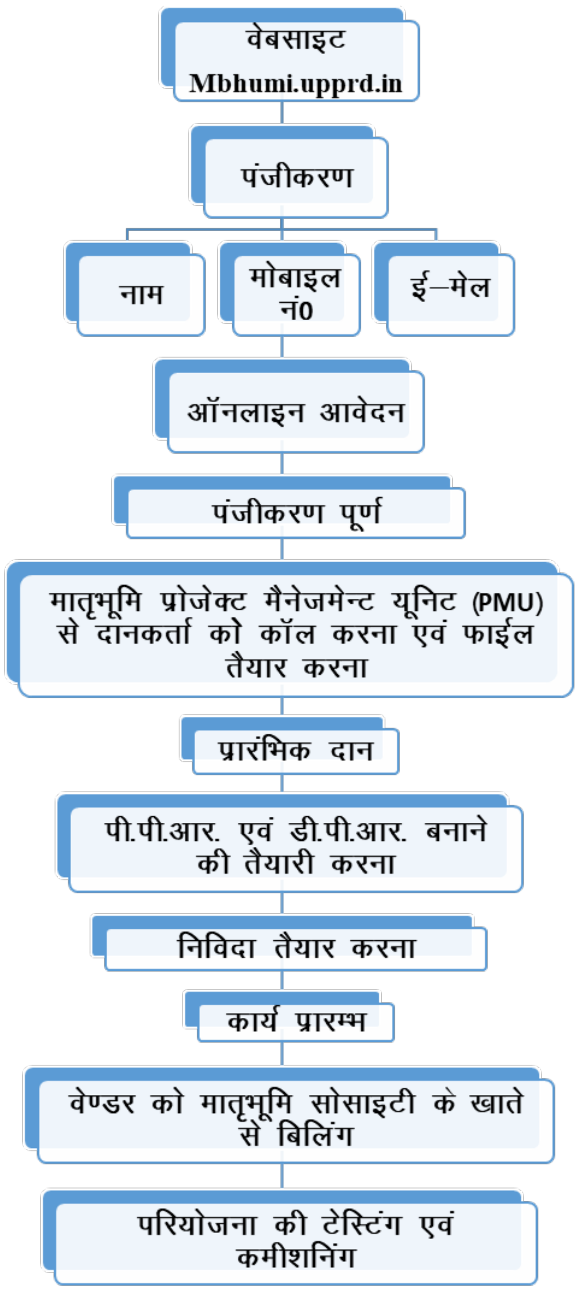

12
ग्राम पंचायत की स्वयं की आय स्रोत (O.S.R.)

स्वयं के आय के स्रोत

स्वयं की आय के स्रोत अर्थात पंचायतों की खुद की आय वह आय है, जो पंचायतें अपने खुद के प्रयास से सृजित करती हैं। अर्थात पंचायतें सुविधओं एवं सेवाओं के बदले अपनी सीमा के अंदर नागरिकों से उनकी सहमति से कर–शुल्क, फीस अथवा अंशदान के रूप में वसूल करती है।

पंचायत को अपने आयस्रोतो की आवश्यकता क्यों?

पंचायत की उन प्राथमिकताओं या योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे जिनके लिए कोई स्कीम नहीं है? इस संदर्भ में मूलतः दो स्रोतों को चिन्हित किया जा सकता हैः–

- गैर–कर आय के स्रोत
- करारोपण

इन दोनों स्रोतों के कई पहलू हैं. यह देखने की जरूरत होगी कि सभी पंचायतों के पास एक समान परिसम्पत्ति नहीं होती क्या कुछ नई परिसम्पत्तियां सृजित की जा सकती हैं? पंचायतें सीधे अपनी परिसम्पत्ति से या उनका विकास करके कितना धन जुटा सकती हैं? इसी प्रकार, करारोपण की कितनी गुंजाइश है? हम यह मानकर चल रहे हैं कि सभी पंचायतों में स्थानीय संसाधन एक समान नहीं हैं और उन पर करारोपण की सम्भावनाएं भी एक समान नहीं हैं इसी प्रकार, किस मामले में करारोपण किया जाए,या न किया जाए, या किसे कर के दायरे से मुक्त रखा जाए, यह सब उस पंचायत और वहां के नागरिकों की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

गैर करारोपण से स्वयं की आय के उदाहरण –

- पंचायत की परिसम्पत्तियों उदाहरण के लिए, फलदार वृक्षों के फलों, वृक्षों की कटाई–छटाई से निकलने वाली लकड़ियों, पोखर या तालाब में मछलियों की सालाना नीलामी से होने वाली आमदनी।
- अनुत्पादक परिसम्पत्तियां जैसे कोई अप्रयुक्त या बंजर भूमि पर व्यावसायिक दृष्टि से कोई बाजार या कार्यालय बनवाना या वहां पेड़ लगवा देना या सामुदायिक केन्द्र बनवा देना आदि।
- श्रमदान आय का एक अप्रत्यक्ष परन्तु आजमाया हुआ जरिया है।
  कुछ पंचायतों की वीडियों दिखाना जिन्होने स्वयं की आय की हो जैसे (Public Address System, Water ATM, CCTV) आदि।

पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा–37 में ग्राम पंचायतों हेतु करारोपण संबंधी निम्न व्यवस्था की गयी है:–

खण्ड / उपखण्ड
धारा 37. करों तथा शुल्क का आरोपण–1– ग्राम पंचायत एतद्पश्चात् दिये गये खंड (क) और (ख) में कथित कर लगायेगी और खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), और (ट) में वर्णित सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है, अर्थात
(क) उन क्षेत्रों में जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, जौनसार–बावर जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हों, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया, {कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक कर लगा सकती है} प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जिसके द्वारा उसके लिये भू–राजस्व देय अथवा देय समझा जाये, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो।
(ख) खण्ड (क) में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में मौलिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू–राजस्व को धनराशि पर प्रति रूपया {कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक कर लगा सकती है} प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जो उसके लिये भू–राजस्व का देनदार हो, से भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो।
(ग) प्रेक्षागृह (थियेटर), चलचित्र (सिनेमा) अथवा इसी प्रकार के मनोरजंन कार्य जो अस्थाई रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आया हो पर कर, परन्तु यह कर 5/– रूपये, प्रतिदिन से अधिक न होगा।
(घ) ग्राम पंचायत क्षेत्र में रखे हुए और किराये पर चलाये जाने वाले यंत्रचालित वाहनों से भिन्न वाहनों तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय लगा सकते हैं, जो निम्नलिखित दर से होगा– (1) पशुओं के सम्बन्ध में प्रति पशु 3/– वार्षिक से अधिक न होगा। (2) वाहनों के सम्बन्ध में प्रति वाहन 6/– वार्षिक से अधिक न होगा।
(ङ) उन व्यक्तियों से जिन पर खण्ड (ग) के अधीन कोई कर लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर कर लगा सकती है, जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिए सामान प्रदर्शित करें, जो संबंधित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियंत्रण में हो;
(च) उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क लगा सकती है, जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गये हों, जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्वामित्व व नियंत्रण में हों,
(छ) बधशालाओं और पडाव की भूमि के प्रयोग के लिये शुल्क लगा सकती है,
(ज) जल शुल्क, जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा घर के उपभोग के लिए संभारित किया जाता हो, और (झ) यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है, तो निजी शौचालय और नालियों को साफ करने के लिए कर लगा सकती है जो उन मकानों के, जिनसे वे शौचालय व नालियाँ साफ हों, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा, और (ञ) सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वच्छता के लिये कर (ट) जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा सिचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई की परियोजना जल संभरण हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिंचाई दर। (ठ) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उसके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुए हो और जिसका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो। **2**–उपधारा (1) के अधीन कर, उपशुल्क तथा शुल्क उस रीति से और ऐसे समय पर जो विहित किये जायें, आरोपित, निधारिंत तथा वसूल किये जायेंगे। **धारा 37 (क) कर उपशुल्क अथवा शुल्क लगाये जाने के विरूद्ध अपील**–ग्राम पंचायत द्वारा लगाये गये कर, उपशुल्क अथवा शुल्क के विरूद्ध अपील विहित प्राधिकारी को की जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अन्तर्गत ग्रामसभा या किसी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा परिसम्पत्तियों की नीलामी से प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत सम्बन्धित गाँव निधि में जमा किये जाने का प्राविधान है।

राजस्व अनुभाग के परिषदादेश संख्या–जी–582/जी–5–7जी–समेकित ग्रामनिधि/2018 दिनांक 08.08.2018

ईमेल/फैक्स

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– जी–582/जी–5–7जी–समेकित ग्रामनिधि/2018 दिनांक:– 8. 8 .2018

विषय :– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अन्तर्गत ग्रामसभा या किसी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा परिसम्पत्तियों की नीलामी व जुर्माने से प्राप्त धनराशि को गांव निधि, समेकित तहसील गांव निधि तथा समेकित जिला गांव निधि में जमा कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राजस्व संहिता की धारा–68 व 69 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–4/2018/375/एक–1–2018–20(10)/2016, दिनांक 09 अप्रैल 2018 द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है। उक्त के अर्न्तगत निम्न प्राविधान किया गया है :–

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम–70 के उपनियम (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–08 सन्–2012) की धारा–69 की उपधारा–(2) और (5) के अधीन शक्तियो का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये गये हैं।

(क) प्रत्येक तहसील हेतु एक समेकित गांव निधि भी स्थापित की जायेगी;

(ख) गांव निधि की 25 प्रतिशत धनराशि, समेकित जिला गांव निधि में जमा की जायेगी और समेकित जिला गांव निधि में जमा की गयी गांव निधि की धनराशि में से 60 प्रतिशत धनराशि समेकित तहसील गांव निधि में जमा की जायेगी और 40 प्रतिशत धनराशि समेकित जिला गांव निधि में अवशेष रहेगी;

(ग) धारा–66 की उपधारा–(1) के परन्तुक के अधीन प्राप्त धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि समेकित तहसील गांव निधि में जमा की जायेगी तथा 50 प्रतिशत धनराशि समेकित जिला गांव निधि मे अवशेष रहेगी।

उल्लेखनीय है कि उक्त अधिसूचना से पूर्व ग्रामसभा या किसी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत गांव निधि में तथा 25 प्रतिशत समेकित जिला गांव निधि में जमा करने की व्यवस्था रही है तथा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122 बी के अन्तर्गत प्राप्त जुर्माने की धनराशि समेकित जिला गांव निधि में जमा कराये जाने का प्राविधान था।

अतः अधिसूचना से पूर्व ग्रामसभा या किसी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा जमा धनराशियों को उक्त 75 प्रतिशत सम्बन्धित गांव निधि मे तथा 25 प्रतिशत समेकित जिला गांव निधि में तथा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122 बी के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को शत–प्रतिशत समेकित जिला गांव निधि में तथा दिनांक 09 अप्रैल 2018 द्वारा जारी अधिसूचना के पश्चात ग्रामसभा या किसी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्राप्त धनराशि को सम्बन्धित गांव निधि मे 75 प्रतिशत, समेकित तहसील गांव निधि मे 15 प्रतिशत एवं समेकित जिला गांव निधि में 10 प्रतिशत के अनुपात में तथा संहिता की धारा–67 के अन्तर्गत प्राप्त जुर्माने की धनराशि को 50 प्रतिशत समेकित तहसील गांव निधि मे तथा 50 प्रतिशत समेकित जिला गांव निधि के सम्बन्धित खातो मे जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
8/8/18
(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

8/8/2018
(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

OSR के संभावित स्रोत

1. नए घरों के निर्माण पर शुल्क – ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में सबकी सहमति से निर्णय लेकर अधिरोपित करें।
2. भवन के लिए कर, शुल्क अथवा फीस
3. बोरिंग पर टैक्स या स्वयं के अलावा बोरिंग से दूसरे के खेत की सिचाई के लिए शुल्क
4. ग्राम पंचायत की परिधि में आने वाले व्यवसास पर शुल्क
5. बाज़ार, हाट, मेले एवं उत्सव के आयोजन पर शुल्क
6. आर.ओ. वाटर के लिए सांकेतिक दर पर पीने के पानी की उपलब्धता
7. सड़क के किनारे की ज़मीन पर दुकान बनाकर किराया वसूलना
8. पानी की टंकी का निर्माण कर टैप के माध्यम से जल वितरण एवं शुल्क का आरोपण
9. सार्वजनिक संपत्ति पर शुल्क का अधिरोपण एवं प्रबंधन
10. ग्राम पंचायत की खाली ज़मीन पर औषधीय खेती एवं आय
11. ओपन जिम/पार्क/सामुदायिक भवन आदि के सार्वजनिक उपयोग से आय का सृजन
12. ग्राम पंचायत की सड़क से गुजरने वाले भारी वाहनों से कर वसूली
13. पंचायत की बंजर ज़मीन को किराये पर उठाकर आय सृजित करना
14. कूड़ा–कचरा प्रबंधन पर सुविधा शुल्क
15. गौशाला के उत्पादों से आय का सृजन
16. सोलर पैनल लगाकर बिजली की सप्लाई एवं शुल्क अधिरोपण
17. लघु वन उपज शुल्क
18. जन सेवा केन्द्र से शुल्क अथवा फीस
19. पुस्तकालय से टैक्स
20. खानों एवं खदानों के प्रयोग से टैक्स
21. ईंट भट्टों से टैक्स
22. मत्स्य पालन से शुल्क
23. स्वयं सहायता समूह के व्यवसाय से शुल्क
24. व्यक्तिगत पशुओं से ग्राम पंचायत के बाग, वन, पेड़ पौधे की क्षति से टैक्स
25. तालाबों के पट्टों की नीलामी
26. बारात घर पर शुल्क

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 131–(क) क्षेत्र पंचायत हेतु करारोपण संबंधी निम्न व्यवस्था की गयी है:–

क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण – कोई भी क्षेत्र पंचायत, ऐसी नियत रीति से निम्नलिखित करारोपण कर सकती है–

(क) जलकर, जहाँ वह अपनी अधिकारिता के अधीन पीने के लिए, सिचाई के लिए या किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए किसी योजना का निर्माण या अनुरक्षण करती है।

(ख) विद्युत कर, जहाँ वह किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य किसी सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करती है और उसका अनुरक्षण करती है।

(ग) कोई ऐसा अन्य कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, जिसके अनुछेद, 277 भी है, को तथा जिसका क्षेत्र पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

जिला पंचायत द्वारा कराधान (धारा–119)

जिला पंचायत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कर आरोपित कर सकती है या उनका आरोपण जारी रख सकती है–

(क) विभव तथा सम्पत्ति पर कर

(ख) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को ''भारत का संविधान'' के अधीन हो तथा जिसका जिला पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

(ग) कर ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 285 के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम तथा तद्धीन निर्मित नियमों, विनयमों तथा उपविधियों के अनुसार निर्धारित और उद्ग्राहित किये जायेगें।

राज्य सरकार का किसी कर के दोशों को दूर करने या उसे समाप्त करने का अधिकार धारा– 132

1. जिला पंचायत द्वारा आरोपित कर का उद्ग्रहण लोक हित के प्रतिकूल हैं या किसी कर का भार न्याय संगत नहीं है तो राज्य सरकार जिला पंचायत के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा जिला पंचायत से अपेक्षा कर सकती है कि वह, आदेश में निर्दिष्ट किये जाने वाले समय के भीतर, किसी ऐसे दोष को दूर करने का उपाय करे जो उसके विचार से कर में या कर के निर्धारण या वसूल के रीति में विद्यमान हो।
2. यदि जिला पंचायत राज सरकार के सन्तोषानुसार उपधारा (1) अधीन दिये गये आदेश का अनुपालन न करे या उसमें असमर्थ रहे तो राज्य सरकार, विज्ञप्ति, द्वारा कर का या उसके किसी भाग का उद्ग्रहण, उस समय तक लिए जब तक कि उक्त दोष दूर न कर दिया जाये, निलम्बित कर सकती है अथवा कर को समाप्त कर सकती है या कम कर सकती है।

क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत द्वारा शुल्क लिया जाना

धारा 142 के अनुसार क्षेत्र पंचायत की सम्पत्ति को पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में प्रयोग करने के लिए शुल्क– क्षेत्र पंचायत यथा स्थिति अपनी निहित में या अपने प्रबन्ध में सौपी गयी किसी अचल सम्पत्ति के– जिसके अन्तर्गत कोई सार्वजनिक मार्ग ऐसा स्थान भी है जिसके प्रयोग या अध्यासन की वह, उसमें प्रक्षेप (projections) की अनुज्ञा देकर या अन्यथा, अनुमति देती है (पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में) प्रयोग या अध्यासन के लिए शुल्क ले सकती है, जो उपविधि या सार्वजनिक नीलाम द्वारा या अनुबन्ध द्वारा निश्चित किया जायेगा।

धारा 143 लाइसेन्स शुल्क आदि क्षेत्र पंचायत किसी ऐसे लाइसेन्स, स्वीकृति या अनुमति के लिए जिसे स्वीकृत करने का उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन हक हो या जिसे स्वीकृत कराना उससे अपेक्षित हो शुल्क ले सकती है जो उपविधि द्वारा निश्चित किये जायेगा।

कुछ अन्य शुल्क – राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से क्षेत्र पंचायत विद्यालय शुल्क, पुस्तकालयों, सरायों या पडावों के प्रयोग के लिए शुल्क क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित तथा अनुरक्षित निर्माण कार्यो या संस्थाओं में से किसी या किन्ही ऐसे कार्यो के जो मूलतः दूर्भित–निवारण या सहायता कार्यों के रूप में प्रारम्भ किये गये हो; प्रयोग के लिए या उनसे होने वाले लाभो के लिए शुल्क, साड़ों तथा बिजाश्वों की सेवा और पशु की रजिस्ट्री के लिए शुल्क ऐसे मेला बाजारों कृषि प्रदर्शनों और औद्याोगिक प्रदर्शनियों के लिए शुल्क चाहे या उसके प्राधिकार के लिए की जाती हो या अन्यथा – जिनमें जन–साधारण को सम्मिलित होने की अनुमति हो और जिनमे क्षेत्र पंचायत सर्वसाधारण के लिए साफ सफाई संबंधी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती हो।

जिला पंचायत द्वारा आर्थिक विकास और आमदनी हेतु की जाने वाली गतिविधियाँ

पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का संवैधानिक दायित्व मिला हुआ है जिसे क्षेत्र जिला पंचायतों को सक्षम बनाने वाला माहौल बनाकर और उनकी थैली में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने से पूरा किया जा सकता है। उच्चतर संस्थागत क्षमता तथा तकनीकी दक्षता के कैरियर अब ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों की ओर से प्राप्त कार्यों को अब नये फोकस के साथ लागू किया जाएगा। मध्यवर्ती पंचायतों को समूचे ब्लाक की आर्थिक विकास सम्बन्धी गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा और अपने इलाके में लोगों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने होंगे। ग्राम पंचायतों की आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर जुटाने की सीमित क्षमता की वजह से मध्यवर्ती पंचायतों को इस क्षेत्र को और अधिक प्राथमिकता देनी होगी। आर्थिक विकास और आय उत्पन्न करने की कुछ गतिविधिया ंइस प्रकार हैं

कृषि से सम्बन्धित और कृषि प्रसंस्करण इकाइयां

कृषि और इससे सम्बन्धित क्षेत्र कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं इसलिए शहरी इलाकों की बजाए ग्रामीण इलाकों में इस तरह की इकाइयां अपेक्षाकृत फायदे में रहती हैं। मध्यवर्ती पंचायतें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्यों के कृषि विभागों जैसे सम्बन्ध मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वित योजनाएं बनाकर आधुनिक ढांचे, साझा, सुविधाओं और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। इस तरह वे उद्यमियों को क्लस्टर के रूप में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके लिए किसानों/उद्यमियों के समूह बनाये जा सकते हैं और उन्हें प्रसंस्करण, विनिर्माण और विपणन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती है।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन को सुदृढ़ करना

क्षेत्र/जिला पंचायतें सप्लाई–चेन प्रबन्धन प्रणाली को सुदृढ़ करके द्वितीयक और त्रैमासिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काम कर सकती हैं। फसलों के बढ़ते दाम, डिवेलपर्स को जमीनी की बिक्री, फसल चक्र, निर्यात पर जोर और ग्रामीण युवकों/प्रवासियों के घर वापस लौटने, सरकार की मनरेगा और महत्वपूर्ण योजनाओं तथा खेतिहर मजदूरों को बेहतर मजदूरी मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास खर्च करने के

लिए अतिरिक्त आय उपलब्ध होने लगी है। गांव के लोगों को उनकी उपज के लिए लाभप्रद मूल्य और उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण माहौल के अनुरूप उपयुक्त सप्लाई–चेन का विकास करके और सुदृढ़ करके रणनीतिक लाभ दिलाने की आवश्ययकता है। ग्रामीण उत्पादन, परिवहन और प्रसंस्करण के तौर–तरीकों में नये–नये बदलाव लाकर रोजगार के चिरस्थायी अवसर पैदा किये जा सकते हैं और आमदनी बढ़ाई जा सकती है। क्षेत्र/जिला पंचायतें इन नये उपायों में मदद कर सकती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कायापलट करने के लिए कृषि सम्बन्धी विभिन्न तौर–तरीकों, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, संचार टेक्नोलॉजी के उपयोग, सघन प्रशीतन सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के विकास, कम लागत पर प्रसंस्करण और पैकेजिंग आदि के क्षेत्र में नवाचार पर आधारित उपायों और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सकती है।

जल्द खराब हो जाने वाले उत्पादों के लिए प्रशीतन श्रृंखला का विकास

खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान है कि भारत में हर साल ताजा फलों और सब्जियों का 40 प्रतिशत उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही सड़ कर नष्ट हो जाते हैं जिनकी लागत 8.3 अरब डालर के बराबर होती है। दुनिया भर में कोल्ड स्टोर यानी शीत भंडारों की किसानों को उनकी उपज के आखिरी उपभोक्ता से जोड़ने और कुपोषण की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न समाज कल्याण गतिविधियों के माध्यम से सरकार कृषि में उत्पादन, भंडारण, बाजार मण्डी और कृषि उत्पादों की बिक्री जैसी गतिविधियों में भी मदद कर रही है लेकिन बुनियादी ढांचे अब भी अपनी आदिम अवस्था में है, इसलिए शीत भंडार गृह अन्य सम्बन्धित पक्षों के साथ सम्पर्क स्थापित कर किसानों और उद्योगों का बोझ कम करने में बड़ी मदद कर सकते हैं। कोल्ड चेन यानी शीत भंडार श्रृखंला के कई किफायती मॉडल है। क्षेत्र/जिला पंचायतें इन पक्षों के साथ तालमेल कायम करके टिकाऊ कोल्ड चेन प्रणाली के विकास में मदद कर सकती हैं।

ग्रामीण बाजार हब के लिए पहल

ताजा उत्पादों या प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन में सफलता के लिए उत्पादों और कृषि पदार्थों के ग्रामीण प्रसंस्करण कर्ताओं को खास वस्तुओं के बाजार में स्थान बनाने के लिए उत्पादों की विशिष्टियों के बारे में जानकारी होना आवश्ययक है। नये बाजार में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकरी के अभाव में सूक्ष्म उद्यमी सिमटते बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करते रह जाते हैं। ऐसा महसूस किया जाता है कि उत्पादों और प्रसंस्करण करने वालों के बीच कमजोर तालमेल से किसान गुणवत्ता सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में लापरवाह हो जाते हैं और इसलिए उनका ध्यान उत्पादों की मात्रा पर केन्द्रित रहता है। इस संदर्भ में स्वयं सहायता समूह और स्थानीय सहकारिताओं को छोटे मगर आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बाजारान्मुख कृषि प्रसंस्करण ईकाइया लगाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि ये स्थान/क्षेत्र विशेष की मांगों को पूरा कर सके। इनसे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्षेत्र/जिला पंचायतें ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण बाजार हब के विकास की पहल कर सकती है। इसके लिए सरकारी ई–मार्केट प्लस जीईएम–जेम के उपयोग को बढ़ावा देना भी जरूरी है।

पंचायत और निजी क्षेत्र के बीच मजबूत साझेदारी

स्थानीय आर्थिक विकास महज व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना भर नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य सतत् आर्थिक विकास करना और जीवन में सुधार लाना है। कुछ सेवाएं, खास तौर पर टिकाऊ नौकरी उपलब्ध कराने और आमदनी बढ़ाने वाली सेवाओं को निजी संगठनों की साझेदारी से बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया जा सकता है। क्षेत्र/जिला पंचायतों को वाणिज्यिक आधार पर सेवाएं उपलब्ध कराने में साझेदारी का रास्ता अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए क्षेत्र/जिला पंचायतों को भी समुदाय आधारित संगठनों को सहायता देनी चाहिए। जनता को अधिक दक्षता से सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें पेशेवर संगठनों के साथ साझेदारी करने को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। जनता के जीवन की गुणवत्ता में लगातार और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके के सुधार लाने के लिए नयी टेक्नोलाजी को अपनाने में क्षेत्र में साझेदारी के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए। अक्षय एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, उपलब्ध जल के बेहतर प्रबन्धन और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए नयी टेक्नोलॉजी अपनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो–टेक्नोलाजी के उपयोग को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया जा सकता है।

कचरे से संपदा

भारत में शहरी, औद्योगिकी और कृषि से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट/कचरे से कर्जा के उत्पादन की अच्छी–खासी क्षमता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के गोबर या साग–सब्जियों/भोजन जैसे विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों से बायो सीएनजी, बायो गैस बनाकर उसका उपयोग भोजन पकाने, बिजली उत्पादन और परिवहन में किया जा सकता है। इस तरह के उपायों से ऐसे नये बिजनेस मॉडलों का निर्माण हो सकेगा जिनसे संसाधनों की दृष्टि से कुशल उत्पादो का निर्माण और सेवाएं शुरु की जा सकेंगी और अंततः इससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। बढ़ी हुई मांग और उपभोक्ताओं की स्वीकार्यता से अधिक संख्या में उत्पादन से लागत में कमी आने का फायदा मिलेगा जिससे कीमतें कम होंगी और वांछित बदलाव लाने में आसानी होगी। इतना ही नहीं रीसाइकल कर के सामान बनाने का अनिवार्य लक्ष्य तय करने और प्रभावी निगरानी नेटवर्क से समय पर वांछित कार्य निष्पादन करने में मदद मिलेगी। क्षेत्र/जिला पंचायतें इस प्रक्रिया में मदद के उद्देश्य से सम्बन्धित हितधारको के लिए पर्याप्त और किफायती बुनियादी ढांचा खड़ा करने की पहल कर सकती हैं। इस सम्बन्ध में संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सम्बन्धित संगठनों और विभागों के साथ तालमेल और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।

ग्रामीण उद्योग क्लस्टर

एक अनुमान के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 31 प्रतिशत का योगदान है। देश में करीब 5.58 करोड़ एमएसएमई है जिनमें 124 करोड लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें से 14 प्रतिशत महिलाओं की देखरेख में चल रहे उद्यम हैं और 59.5 प्रतिशत एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। क्षेत्र/जिला पंचायतों को मौजूदा एमएसएनईजी और नये एमएसएमईज के क्लस्टरों के विकास में मदद करनी चाहिए क्योंकि ये स्वाभाविक क्षमता वाले स्थल बन सकते हैं। निजी क्षेत्र और समुदाय आधारित संगठनों, खास तौर पर महिला सहकारी संस्थाओं के सहयोग से इन क्लस्टरों का विकास किया जाना चाहिए जिससे महिलाएं स्वावलंबी एवं आत्म निर्भर बन सकें।

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन

प्राकृतिक संसाधन की गुणवत्ता में हास का सीधा नकारात्मक असर गरीबों की आजीविका पर पड़ता है। क्षेत्र/जिला पंचायत को सम्बन्धित सामुदायिक संस्थानों की क्षमता जल और वन उत्पादों के संरक्षण प्रबन्धन और उपयोग की दृष्टि से बढ़ानी चाहिए। यह प्रयास समावेशी निर्धन हितेशी और सतत् ढंग से किया जाना चाहिए। रोजगार सृजन और खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आर्थिक लाभ सृजित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और इनके उपयोग में सुधार की क्षमता भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन के लिए पंचायतों को प्रदत्त अधिकार और दायित्व को देखते हुए वे अपने सम्बन्धित क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन और संरक्षण के लिए सर्वाधिक उचित संस्थागत माध्यम हैं। समुदाय आधारित संस्थागत ढांचे में पंचायतों के साथ काम करने वाले विभिन्न उपयोग कर्ता समूहों को भी शामिल किये जाने की जरूरत है। क्षेत्र/जिला पंचायत अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए नावाचार के लिए समूचे आधार उपलब्ध करा सकते हैं तथा पंचायतों तथा उपयोगकर्ता समूहों को सुदृढ़ करने में सहयोग दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शोध संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ भागीदारी से बेहतर पर्यावरण अनुकूल सतत् विकास के नियोजन में मदद मिलेगी।

धन के मामले में पंचायतें हमेशा से केन्द्र और राज्य सरकारों पर निर्भर रही हैं। अब वह समय आ गया है कि पंचायतें वित्तीय संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए आवश्यक है की पंचायते अपने अपने क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार कर नागरिकों को बुनियादी सेवायें उपलब्ध कराएं एवं बदले में कर, शुल्क एवं फीस वसूले। इस पारस्परिक लेनदेन से पंचायतें आत्मनिर्भता की तरफ बढ़ेगीं। इससे पंचायतों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ेगी।

पंचायतें स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित कर या अन्य निजी उद्यमों के सहयोग से आत्म स्थायी बिजनेस मॉडल्स सृजित कर सकती है जिससे जनोपयोगी कार्यो/सेवाओं या किसी उत्पाद का निर्माण कर सकती हैं जिससे क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें एवं साथ ही पंचायतें अन्य व्यवसाहिक परिसम्पत्तियों को सृजित कर स्वयं की आय के स्रोत को विकसित कर सकती हैं।

13
सतत् विकास लक्ष्य एवं उनका स्थानीयकरण (L.S.D.G.)

सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

सतत् विकास लक्ष्य

परिचय

193 देशों ने 17 लक्ष्यों के माध्यम से एक चिरस्थायी विश्व की दिशा में काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं।

सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करने वाले इन 17 लक्ष्यों के आधार पर, वैश्विक कार्य योजना तैयार की गई है और यह नए विकास की कार्य–योजना पर केंद्रित है – ''किसी को पीछे न छोड़ें''

मानव जाति के रूप में, हम अपने और ग्रह के लिए एक स्थायी भविष्य चाहते हैं। एसडीजी एकीकृत हैं और विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करते हैं।

एसडीजी 1 जनवरी 2016 को लागू हुए और 2030 तक चलेंगे। इस घोषणा पत्र मे दूरदर्शिता और सिद्धांत, 17 लक्ष्य **(goals)** और 169 टारगेट शामिल हैं।

मुख्य लक्ष्य 5 Ps पर केंद्रित हैं

- लोग **(People):** सभी लोगों की भलाई
- ग्रह **(Planet):** पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा
- समृद्धि **(Prosperity):** सतत आर्थिक और तकनीकी विकास
- शांति **(Peace):** शांति हासिल करना
- साझेदारी **(Partnership):** अंतरराष्ट्रीय सहयोग में सुधार

एसडीजी एकीकृत हैं और विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करते हैं।

''स्थानीय आर्थिक विकास, व सामाजिक न्याय'' के उद्देश्य से देश व प्रदेश निरन्तर प्रयासरत है। स्थानीय स्तर पर लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायतों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और सभी लक्ष्य सतत् विकास लक्ष्यों (**Sustainable Development Goals-SDGs**) को ग्राम पंचायतें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त कर सकती है।

सतत् विकास लक्ष्यों के अंतर्गत उन्हीं लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एवं लाभकारी हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायत स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नवत् हैः

गोल संख्या–01

सभी जगह गरीबी एवं उसके रूपों का अंत करना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया के दौरान आवश्यकताओं का आंकलन करना।
- सामाजिक सेवाओं के प्रति समुदाय को जागरूक करना।
- स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना एवं समूह सदस्यों को जी0पी0डी0पी0 प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कराना।
- आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ती, एवं रोजगार सेवक की ग्राम सभा की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।

गोल संख्या–02

भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढावा देना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- वी0एच0एन0डी0 दिवसों का आयोजन एवं दिवसों पर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन (कम एवं बिना लागत के कार्य–बैठक, व्यक्तिगत सम्पर्क, रैली, दीवार लेखन, आदि)
- विद्यालय स्तर पर छात्र–छात्राओं को पोषण की जानकारी देना एवं प्रतियोगिताऐं कराना।
- गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरियों को आई0सी0डी0एस0 के अर्न्तगत अनुपूरक पोषण कार्यक्रम से जोड़ना।
- छात्र–छात्राओं के लिए गुणवत्तापरक मिड डे मील की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्थानीय स्तर पर समुदाय को घरों में किचन गार्डन बनाने एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्य जिनमें हरी सब्जियों के उपयोग हेतु प्रेरित करना।
- कृषि की नई पद्धतियों का अपनाने हेतु कृषकों, छोटे खाद्य उत्पादकों और समुदाय को जागरूक करना।

गोल संख्या–03

स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं सभी के लिए आजीवन तंदरूस्ती को बढावा देना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की वार्षिक कार्ययोजना को जी0पी0डी0पी0 में सम्मिलित करना एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना।
- स्थानीय स्वास्थ्य के मुददे, एवं आवश्यकताओं को जी0पी0डी0पी0 में सम्मिलित करना।
- टीकाकरण, स्तनपान की आवश्यकता तळाा परिवार नियोजन के प्रति समुदाय को जागरूक करना।
- शराब के हानिकारक प्रभाव, नशा और मादक पदार्थो के दुरूपयोग के प्रति समुदाय को जागरूक करना।
- सम्पूर्ण स्वच्छता के प्रति जागरूकता जिससे मलेरिया, जल जनित रोग, एवं अन्य संक्रामक रोगों से लडा जा सके।
- स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कमजोर वर्गों को सम्मिलित करना।
- परिवारों को रसोईघर में धुआ रहित चूल्हा, बेहतर कुकिंग स्टोव, पर्याप्त रोशनी, एवं हवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करना।
- असंक्रामक रोगों एवं वैक्टर जनित बीमारियों से बचाव के प्रति समुदाय को जागरूक करना।
- नवजातों और गर्भवती महिलाओं की परिवार द्वारा देखभाल के प्रति समुदाय को जागरूक करना।

गोल संख्या–04

समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढावा देना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत बच्चों के अधिकारों के सम्बन्ध में जन जागरूकता करना।
- विद्यालय में छात्राओं के लिए शौचालय निर्माण जिससें वे स्कूल न छोडें। स्कूल में शत प्रतिशत नाम लिखवाने एवं उन्हे स्कूल में रोकने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना।
- ग्राम पंचायत सचिवालय में पुस्तकालय की स्थापना करना।
- शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्कूल प्रबन्धन समिति (सी0एम0सी0) एवं ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति को सक्रिय करना।
- छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति, यूनिफार्म एवं पाठ्य–पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना।
- विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति सम्बन्धी ग्राम पंचायत स्तर से प्रयास करना।
- जी0पी0डी0पी0 निर्माण प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभा की बैठक में शिक्षक, आँगनवाडी, आशा, साक्षरता कार्यकर्ता, आई0सी0डी0एस0 सुपरवाइजर व अन्य विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

5 GENDER EQUALITY

गोल संख्या–05

लैंगिक समानता हांसिल करना एवं महिलाओ और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन।
- लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध जन जागरूकता अभियान चलाना।
- स्कूल में बालिकाओं के नाम लिखाने एवं उन्हे आगे तक पढाने के लिए समुदाय को जागरूक करना।
- परिवार में बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाना एवं बेटी के नाम पर पौधारोपण करना।
- बाल विवाह के प्रति समुदाय को जागरूक करना व रोकना।
- यौन चयनित गर्भपातों के विरूद्ध अभियान चलाना।
- स्कूली बच्चों के लिए साइबर अपराधों एवं मादक पदार्थों की लत के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढानें हेतु समुदाय को प्रेरित करना
- ग्राम पंचायत में लिंग अनुपात की स्थिति को जानने हेतु सर्वे करना और वर्तमान स्थिति से ग्राम सभा को अवगत कराना।
- ग्राम पंचायत की समितियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढावा देना।
- ग्राम पंचायत सुनिश्चित करे कि ग्राम पंचायत में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज एवं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घरेलु हिंसा जैसी भेदभावपूर्ण और गैरकानुनी आचरण न हों।
- बालिकाओं को उच्च शिक्षा/तकनीकी कौशल हासिल करने के लिए परिवारों को प्रेरित करे।
- विषय संबंधी गतिविधियों को जी0पी0डी0पी0 में शामिल करने हेतु ग्राम सभा की बैठक में आई0सी0डी0एस0 सुपरवाइजर, आँगनवाडी, स्कूल शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, स्थानीय पुलिस, एवं वकील आदि की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

6 CLEAN WATER AND SANITATION

गोल संख्या–06

सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत् प्रबंध सुनिश्चित करना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- बिना शौचालय वाले परिवारों को चिन्हित करना।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्ययोजना को जी0पी0डी0पी0 में शामिल करना।
- पानी के सही उपयोग के प्रति समुदाय को जागरूक करना।
- जी0पी0डी0पी0 में जल एवं स्वच्छता मुद्दों संबंधी गतिविधियों को शामिल करना।
- उपयुक्त फसल/खेती की पद्धतियों के चयन द्वारा पानी के सही उपयोग के प्रति समुदाय को प्रेरित करना।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं वृहद वृक्षारोपण के प्रति समुदाय को प्रेरित करना।
- शौचालयों का निर्माण, उपयोग एवं प्रबन्धन सुनिश्चित करना।
- जल निकायों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता बनाये रखने के प्रति कार्य करना।
- उपयुक्त सिंचाई की पद्धतियों के उपयोग के प्रति समुदाय को प्रेरित करना।
- सभी घर परिवारों एवं संस्थाओं को शौचालय के प्रयोग के लिए प्रेरित करना।

गोल संख्या–07

सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत् एवं आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- सार्वजनिक भवनों में बिजली कनैक्शन उपलब्ध कराना।
- घर, परिवारों स्कूल और आँगनवाडियों में जैव ईंधन प्रणालियों का निर्माण एवं उपयोग हेतु समुदाय को प्रेरित करना।
- ऊर्जा संरक्षण उपायों जैसे एलईडी बल्ब, सितारा अंकित उपकरण आदि को अपनाने के लिए समुदाय को प्रेरित करना।
- ऊर्जा बचाने वाले चूल्हों के उपयोग को बढ़ावा देना।

गोल संख्या–13

जलवायु परिवर्तन के उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और नियोजन प्रक्रिया में शामिल करना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के स्तर को लेकर जागरूकता का निर्माण करना।
- जलवायु परिवर्तन के जोखिम का आंकलन करना।
- जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए ग्राम सभा की बैठक में रणनीति तैयार करना एवं गतिविधियों को जी0पी0डी0पी0 में शामिल करना।

गोल संख्या–15

स्थलीय पारिस्थितिकीय– तंत्रों का संरक्षण और पुनरूद्धार करना और इनके सतत् उपयोग को बढावा देना, वनों का सतत् तरीके से प्रबन्ध करना। मरूस्थलरोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना तथा परिवर्तित करना और जैव विविधता की हानि को रोकना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- ग्राम पंचायत में गठित जैव विविधता प्रबन्धन, नियोजन एवं विकास समिति को सक्रिय करना।
- पवित्र वृक्ष समूह के सामुदायिक प्रबन्धन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

गोल संख्या–16:–

सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना, तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- समुदाय को सौहार्दपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए प्रेरित करना।
- गाँव स्तर पर बैठकों के दौरान किसी भी प्रकार की घरेलु हिंसा और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के बारे में चर्चा करना एवं जागरूकता फैलाना।
- बैठकों के दौरान अदालत या पुलिस शिकायतों का सहारा लेने के स्थान पर लोगों को पंचायतों के भीतर विवादों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- पंचायत स्तर पर सद्भावना दिवसों का आयोजन करना एवं सभी वर्गो को इसमें प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- स्वयं सहायता समूह की बैठकों के दौरान महिलाओं पर किसी भी प्रकार हिंसा पर चर्चा एवं रिपोर्ट करना।

स्थानीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृष्टिगत पंचायती राज मंत्रालय ने 9 विषयों के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति के लिये एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है:–

विषय (Theme) 01 : गरीबी मुक्त गाँव

विषय (Theme) 02 : स्वस्थ गाँव

विषय (Theme) 03 : बाल हितैषी गाँव

विषय (Theme) 04 : पर्याप्त जल युक्त गाँव

विषय (Theme) 05 : स्वच्छ और हरित गाँव

विषय (Theme) 06 : आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गाँव

विषय (Theme) 07 : सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गाँव

विषय (Theme) 08 : सुशासन वाला गाँव

विषय (Theme) 09 : महिला हितैषी गाँव

थीम संख्या	विषय	विज़न	स्थानीय लक्ष्य और टारगेट
1	गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गॉव	एक गरीबी मुक्त पंचायत, जो सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करे ताकि कोई भी गरीबी में वापस न जाये। ऐसा गाँव जहॉ सभी के लिये आजीविका के साथ विकास और समृद्धि हो।	• पीडीएस, आईसीडीएस आदि सहित आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का व्यापक चयन • व्यक्तिगत/सामुहिक उद्यमों के माध्यम से आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन • यह सुनिश्चित करना कि लोगों (गरीब और कमज़ोर) को पूरे वर्ष रियायती मूल्य पर पर्याप्त भोजन मिल रहा है। • कृषि में लगे किसानों की आय में वृद्धि • बुनियादी सेवाओं (आवास, पानी और स्वच्छता) तक पहुँच सुनिश्चित करना • मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी आधारित रोज़गार उपलब्ध कराकर गरीबी कम करना

2	स्वस्थ गाँव	सभी उम्र में सभी के लिये स्वस्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना।	• उम्र के सापेक्ष कद कम होने को दूर करना। • किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया को दूर करना। • कम लागत, अत्यधिक पौष्टिक और स्थानीय रूप से प्राप्त अनाज, सब्जियॉ, फल, अंडे आदि के सेवन को बढ़ावा देना। • संचारी रोगों हेतु निवारक और उपचारात्मक उपाय। • मातृ मृत्यु, 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को शून्य करना। • सभी के लिये चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्राविधान कराना।
3	बाल हितैषी पंचायत	यह सुनिश्चित करना कि बच्चे पूर्ण विकसित होने तक अपने अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सुरक्षा के अधिकारों का आनन्द लेने में सक्षम बने।	• स्वस्थ बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित सुनिश्चित करना • स्कूल में शत्–प्रतिशत नामांकन • बाल विवाह संबंधी मामलों में कमी • तस्करी के शून्य मामले • 100% बाल श्रम मुक्त • बच्चों के प्रति सभी प्रकार की हिंसा से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना • दिव्यांग बच्चों के लिये शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना। • **PTAs/SMCs** के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
4	पर्याप्त जल युक्त गाँव	सभी के लिए क्रियाशील पाइप पेयजल कनेक्श्न वाला गाँव, लक्षित मानकों के अनुसार गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति, अच्छे जल प्रबंधन और कृषि संबंधी सभी ज़रूरतों के लिए प्रचूर मात्रा में पानी की उपलब्धता और जल के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण	• सभी को पर्याप्त साफ और पीने योग्य पानी की सुविधा। • सभी की गाँव में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच। • व्यक्तिगत शौचालय का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करना। • घरों से निकले गन्दे पानी के उपचार और शुद्धिकरण पर तंत्र विकसित करना। • 100 प्रतिशत खुले में शौच मुक्ति को सुनिश्चित करना। • भूजल की कमी, आर्सेनिक संदूशण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को संबोधित करना। • सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को बनाये रखना।

5	स्वच्छ और हरा भरा गाँव	हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसा गाँव बनाना, जो प्रकृति की उदारता से हरा–भरा हो, अक्षय ऊर्जा के उपयोग, स्वच्छ, पर्यावरण और जलवायु की रक्षा के लिए लचीला हो	• गैर–अक्षय ऊर्जा का 100ः उपयोग • 100% खुले में शौच मुक्त • पौधरोपण एवं नर्सरी बैड द्वारा हरियाली सुनिश्चित करना • ईधन की लकड़ी का प्रयोग कम करें • प्रकाश, घरेलू उपकरणों, खाना पकाने, सिंचाई के लिए सभी तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना • जैव–विविधता और परिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करना।
6	आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव	आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे को प्राप्त करना और सभी के लिये पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।	• सड़क प्रकाश • पाइप पेयजल व्यवस्था • व्यक्तिगत शौचालय • ग्रामीण आवास • बस स्टैंड • पुलिया/पुल निर्माण • आंगनबाड़ी केन्द्र • ग्राम पंचायत सचिवालय • खेल के मैदानों की स्थापना। • पेयजल–शौचालय–स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, सीएससी हेतु गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना। • सभी मौसमों में सड़कें/सम्पर्क मार्ग की उपलब्धता, सोलर स्ट्रीट लाइट, समुदाय स्तर पर सौर उर्जा का उपयोग, सभी के लिये पक्के घरों की उपलब्धता। • उचित ढ़की हुई नालियों द्वारा जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7	सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गाँव	गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देखभाल स्वयं करनी चाहिए और सभी पात्र सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का लाभ मिलना चाहिए।	• गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के जीवन में सुधार। • सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुनिश्चित करना। • एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) अन्तर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं का नामांकन। • लाभकारी रोज़गार प्रदान करना। • उपर्युक्त बुनियादी ढांचा। • असमानता और सभी प्रकार के भेदभाव में कमी।
8	सुशासन वाला गाँव	ग्राम पंचायत में सुशासन के द्वारा ग्राम के निवासियों हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास के लाभों को उत्तरदायी सेवा एवं वितरण के माध्यम से सुनिश्चित करना।	सुशासन के स्तम्भ • टीम वर्क • प्रौद्योगिकी • समयबद्ध • पारदर्शिता • परिवर्तन/रूपांतरण

9	महिला हितैषी गाँव – गाँव में समान लैंगिक विकास	लैंगिक समानता को प्राप्त करना, समान अवसर प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।	• महिलाओं एवं बलिकाओं के विरूद्ध अपराध को कम करना। • सरकारी एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित् करना। • सामाजिक–राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों एवं समुदाय आधारित संगठन में महिलाओं की प्रतिभागिता को बढ़ाना। • महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। • पांच वर्ष से कम आयु की सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना। • महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवा की सुविधा। • मातृ मृत्यु दर में कमी। • विद्यालयों में लड़कियों के कुल नामांकन और प्रतिधारण के लिए वातावरण बनाना।

उपरोक्त 09 विषयों पर कार्य करते हुए कोई भी पंचायत मॉडल की श्रेणी में आ सकेगी। पंचायत सभी 09 विषयों पर एकसाथ कार्य करे यह आवश्यक नहीं है, प्रथम चरण में पंचायत न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 03 विषयों का चयन कर कार्य प्रारम्भ कर सकती है। प्रश्न यह है कि विषयवार ऐसी कौन सी गतिविधियॉ है जिन्हें पंचायत में किया जायेगा यह पंचायतों को बताया जाना आवश्यक है। प्रथमतयः पंचायत ऐसी गतिविधियों को चयनित करेगी जो जानकारी, जागरूकता, संवेदीकरण से जुड़ी हों क्योकि जबतक समुदाय विषयों के बारे में जागरूक नहीं होगा तब तक पंचायत लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायेगी। समुदाय की सकारात्मक सहभागिता ही एक मंत्र है लक्ष्यों को प्राप्त करने का। पंचायत इसके लिये कम लागत एवं बिना लागत वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए चयन करेंगी और अपनी वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करेंगी क्योंकि पंचायत जो भी गतिविधि करती है उसका कार्ययोजना में सम्मिलित होना आवश्यक है जिसकी मदद से हम यह जान पायेंगे कि प्रदेश ने किस स्तर तक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

क्र सं	थीम	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	**बिना लागत (No Cost)**
1	गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गॉव (Poverty free and enhanced livelihoods in village)	• कृषि के प्रकार एवं लाभ, फसलों के प्रकार, कृषि में उपयोग होने वाली तकनीक, मौसमी फसलों एवं फलों की खेती, कृषि से संबंधित समस्यायें आदि पर समुदाय को जानकारी देना तथा जागरूक करना। • जनपदों एवं राज्यों में कृषि संबंधी उत्कृष्ट कार्यों से किसानों से सीखने एवं सीखाने हेतु एक्सपोज़र विजिट का आयोजन। • ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों का दस्तावेजीकरण –विडियों निर्माण। • सिलाई, कढाई, बुनाई, अचार बनाना, पापड बनाना, चप्पल बनाना आदि प्रशिक्षणों का पंचायत में नियमित आयोजन कराना। • उक्त गतिविधियों में आने वाले व्यय का वहन स्वयं ग्राम पंचायत अपने स्रोतों से किया जा सकता है।	• ग्रामसभा की बैठक ही कृषि सम्बंधी योजनाओं की जानकारी देते हुए उपयुक्त लाभार्थी चयन की कार्यवाही को पूर्ण किया जाना। • रबी एवं खरीफ के मौसम में ग्राम सभा की बैठक में कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित कर समुदाय को कृषि संबंधी जानकारी देना तथा नयी तकनीकों को अपनाये जाने हेतु प्रेरित करना। • स्वरोजगार एवं पुश्तैनी कार्यों को बढावा देना। • कौशल विकास प्रशिक्षणों के माध्यम से कौशल में वृद्धि कराना। • मनरेगा के कार्ड धारकों की संख्या के अनुसार 100 दिवस का अनिवार्य रोजगार दिये जाने की व्यवस्था करना। • सामाजिक पेंशन आदि का सभी पात्रों को लाभ दिलवाने हेतु कैम्प का आयोजन करना। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त

क्र सं	थीम	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
			विषय पर चर्चा।
2	स्वस्थ गाँव (Healthy village)	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) में उपलब्ध बजट के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता सम्बन्धी कार्य कराना जैसे– • ग्राम प्रधान, आशा एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) के सम्मिलित प्रयास से उपलब्ध धनराशि रू0 10,000 की कार्य योजना बनाना। • माह में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य, एवं पोषण दिवस के आयोजन को सुनिश्चित करना। • छः माह मे एक बार हैल्थ कैम्प का आयोजन किया जाना। कैम्प के आयोजन का व्यय स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) की मद में उपलब्ध धनराशि रू0 10,000, ग्राम पंचायत की स्वयं की आय अथवा ग्राम पंचायत की स्वयं की प्रशासनिक मद से किया जायेगा। • बेबी शो। • खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। • संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु दवाईयों का छिडकाव। • ओपन जिम का निर्माण। • साफ एवं स्वस्थ परिवार जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन। • योगा कैम्प का आयोजन। • ग्राम स्तर स्वयं सहायता समूहों/लोकल दुकानदारों/आँगनवाडी केन्द्रों/आशा/उपकेन्द्रों पर लो कॉस्ट सैनेटरी नैपकिन की उपलब्धता (विक्रेता तैयार करना। • इन्सीनेटर एवं अन्य संसाधनों का निर्माण।	• समुदाय को ए0एन0एम0 तथा आशा के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, प्रथम तीन माह में पंजीकरण, 04 एन्टीनेटल चेक अप, 02 पोस्टनेटल चेक अप, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, वी0एच0एन0 डी0 दिवसों में प्रतिभाग करने, किशोरियों द्वारा WIFS कार्यक्रम में 52 IFA गोलियों का सेवन, किशोरियों के वार्षिक हेल्थ चैकअप, कम वजन, गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिमाह आंगनवाडी सेन्टर पर वजन लक्षित लाभार्थियों (06 माह से 03 वर्ष एवं 03 से 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलायें) को आँगनबाड़ी से सभी SNP सेवायें प्राप्त होने आदि पर जानकारी देना तथा समुदाय की भागीदारी के प्रति जागरूक करना। इसके लिए आशा, आंगनवाडी एवं ए0एन0एम0, दो **माह में एक बार वार्डवार बैठक का आयोजन करना** एवं इसे व्यवहार में लाने हेतु प्रोत्साहित करने वाली गतिविधि को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करना। • टीकाकरण से ड्राप आउट परिवारों की आई0पी0सी0 का आयोजन करना। • कुपोषित बच्चों के परिवार की आई0पी0सी0 करके एन0आर0सी0 सेन्टर भेजना। • स्वच्छता हेतु श्रमदान का आयोजन। • आयोडीन नमक का उपयोग करने, को जागरूकता रैली करना। **ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में इस विषय पर चर्चा करना।**
3	बाल मित्र ग्राम (Child friendly village)	सभी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से तथा आगंनवाडी में वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार ही ई0सी0ई गतिविधियों के सम्पादनका अनुश्रवण समुदाय के माध्यम से सुनिश्चित करना। **गतिविधिः–**	समुदाय की 03 वर्ष से अधिक के सभी बच्चे आगंनवाडी केन्द्र में जाने तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में पढने वाले सभी बच्चे (लडके/ लडकियाँ) का लगातार स्कूल जाने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। **गतिविधिः–**

क्र सं	थीम	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
		• विद्यालय में वार्षिक दिवस का आयोजन जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगितायें के माध्यम से छात्र–छात्राओं एवं अभिभावकों को प्रोत्साहित करना। • बाल अधिकार से सम्बन्धित जानकारियाँ दीवारों पर लिखवाना। • समुदाय में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने परिवार नियोजन को अपनाने, कन्या के जन्म को धूम–धाम से मनाने, बालश्रम को रोकने, स्तनपान को बढावा देने, दहेज न लेने और न ही देने, आदि पर नियमित बैठक के माध्यमों से जागरूकता फैलाना। • उक्त आयोजन में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत के प्रशासनिक मद की धनराशि अथवा स्वयं के आय के स्रोत की धनराशि से किया जायेगा। • बाल तस्करी रोकने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा बाल पंजीकरण रजिस्टर का निर्माण एवं अनुश्रवण।	• शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने हेतु वार्डवार बैठक का आयोजन (दो माह में एक बार प्रत्येक वार्ड में) • बाल सभा का नियमित आयोजन करना एवं पंचायत सदस्यों द्वारा प्रतिभाग करना एवं बच्चों के इश्यू को बैठक में रखना। • माता–पिता के साथ बाल अधिकार, एवं बाल श्रम पर, बाल अस्तित्व, बाल सरक्षण, बाल विकास एवं बाल सहभागिता की जानकारी प्रदान करने हेतु बैठक का आयोजन। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा करना। • ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों के व्हाटस एप ग्रुप के माध्यम से वार्ड की सुरक्षा हेतु व्हाटसएप हेल्पलाईन की शुरूआत एवं सक्रिय किया जाना।
4	पर्याप्त जल वाला गॉव (Water sufficient village)	• पीने के पानी की गुणवत्ता की जाँच मानकों के अनुसार वर्ष में दो बार किया जाना। **जाँच हेतु वार्षिक कार्य योजना बनाते समय धनराशि का प्रावधान करना।** • जल संरक्षण के अच्छे उपाय करने वालों को प्रोत्साहन देना एवं महत्वपूर्ण दिवसों पर उनका सम्मान करना। • स्कूलों में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा आंगनवाडी में स्वच्छ पेयजल के उपयोग पर छात्र एवं छात्राओं को महत्वपूर्ण दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि पर विद्यालयों में प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रेरित करना। **कार्यक्रम आयोजन में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत की स्वयं की प्रशासनिक मद की धनराशि से करेगी।**	• पेयजल के सदुपयोग के प्रति स्कूल के बच्चों की रैली। • कक्षा 6 से ऊपर के सभी विद्यालयों में पेयजल के सदुपयोग एवं जल संरक्षण पर जागरूकता का 1 घंटा का आयोजन। • स्वयं से प्रेरित व्यक्तियों की टीम बनाना एवं उनके जरियें ग्राम वासियों को जागरूक करना। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में इस विषय पर चर्चा करना। • पानी की टंकियों की नियमित निगरानी करना। • पानी को व्यर्थ बहने से बचानें के लिए जागरूकता बैठक करना। • पंचायत में जल की निरंतर आपूर्ति बनाये रखने के लिए 3R (Reduce, Reuse, Recharge) के तरीकों पर बैठक के माध्यम से जागरूक करना।

क्र सं	थीम	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
5	स्वच्छ एवं हरा भरा ग्राम (Clean and green village)	• समुदाय को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विषय पर जागरूक करना तथा जानकारी देना। पंचायत समिति एवं समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु रणनीति में निम्न गतिविधियों का सम्मिलित किया जा सकता है। • समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत में प्रत्येक हैण्डपम्प, एवं कुओं के पास सोख्ता गड्ढों का निर्माण एवं कुडेदान का निर्माण किया जाना। निर्माण कार्य में आने वाला व्यय का वहन समुदाय द्वारा श्रमदान, सहयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि, ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से किया जायेगा। • मेरा गाँव मैं ही संवारू जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। • पॉलिथीन तथा न गलने वाले कचरे का उपयोग न करने, पर जागरूकता रैली का आयोजन।	• विद्यालय में कक्षा के दौरान छात्र–छात्राओं को शौचालय उपयोग करने तथा हाथ साबुन से धोने से होने वाले लाभ के विषय में जानकारी देना। जिन छात्र–छात्राओं के घरों में शौचालय नही है उन्हें अपने अभिभावकों को शौचालय बनाने हेतु कहने के लिए प्रोत्साहित करना। • ग्राम पंचायत में वार्डवार बैठकों का आयोजन कर समुदाय को शौचालय उपयोग करने तथा हाथ साबुन से धोने के महत्व पर चर्चा करना। • श्रमदान के माध्यम से पौधारोपण कराना। • जैविक खेती एवं किचन गार्डन को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण आयोजन करना। • अक्षय ऊर्जा के स्रोतो को बढ़ावा देने जागरूकता बैठक। • खुले में शौच के दुष्परिणाम हेतु जागरूकता बैठकों का आयोजन करना।
6	आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ाचे वाला गॉव (Self-sufficient infrastructure in village)	• परिसम्मपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाना। • पुराने भवनों की मरम्मत करवाकर किराये पर देना। • ग्रामीणों के द्वारा निजी कार्यो हेतु नाली एवं खडंजा को तोडने से पूर्व ग्राम पंचायत की अनुमति लेना।	• बारात घर जैसी सम्मपत्तियों का किराया निर्धारण कराना। • बाजार एवं तालाबों की निलामी करवाना एवं पंचायतों की स्वयं की आय बढ़वाना। • स्कूल, आँगनवाडी, उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि भवनों का सदुपयोग, निगरानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। • हैण्डपम्प, पानी की टोटी की सुरक्षा हेतु आसपास के परिवारों को जिम्मेदारी देना। • परिसम्मपत्तियों के संरक्षण हेतु जागरूकता बैठक करना। • सम्मपत्तियों की सुरक्षा हेतु फ्रन्टलाईन वर्करों की बैठक करना।
7	सामाजिक रूप से सुरक्षित गॉव (Socially secured village)	• समुदाय के बच्चों का जन्म पंजीकरण जन्म के 21 दिवसों के भीतर किये जाने, विवाह एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराया जाना। • सरकारी योजनाओं की जानकारी दीवारों पर लिखवाना।	• समुदाय को बच्चों का जन्म पजीकरण जन्म के 21 दिवसों के भीतर किये जाने, विवाह एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराये जाने के प्रति जागरूक करना। • आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, अटल पैंशन योजना, आदि बनवाने के लिए कैम्प लगवाना। • विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पैंशन, दिव्यांग पैंशन, आदि बनवाने के लिए कैम्प

क्र सं	थीम	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
			लगवाना। ● मध्याहन भोजन, आई0सी0डी0एस0, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि का लाभ नियमित रूप पात्रों को दिलवाने हेतु विद्यालय शिक्षक, आँगनवाडी, एवं राशन डीलर के साथ बैठक का आयोजन। ● समुदाय स्तर पर वार्ड सभा के आयोजन के माध्यम से। ● ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा।
8	सुशासन वाला ग्राम (Village with Good Governance)	● ग्राम पचांयत विकास योजना का निर्माण निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तैयार करना तथा योजना को सामुदायिक स्थान पर प्रदर्शित करना। ● पचांयत का पारिवारिक सर्वे करवाना, ग्राम पचांयत द्वारा स्वयं की वेबसाइट है जिसपर योजनाओं, संसाधनों, फार्म तथा सर्टिफिकेट (जिसमें जमीन, सामुदायिक सम्पत्तिके संसाधन और बैंक एकाउंट सम्मिलित है) तथा योजनावार लाभार्थियों की सूची पब्लिक डॉमेन में उपलब्ध कराना। ● सी.एस.आर. अथवा स्वयं से/डोनेशन के माध्यमों से ग्राम पचांयत का बजट बढाना आदि। ● ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना को सामुदायिक स्थानों पर वॉल पेन्टिंग के माध्यम से प्रदर्शित करना। ● ग्राम पंचायत में विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय से विकास कार्यों हेतु कार्ययोजना तैयार करना। ● सचिवालय से दी जाने वाली सुविधाओं की वॉल पेन्टिग कराना। ● सरकारी कर्मचारियों द्वारा जाति, क्लास, धर्म, लिंग, दिव्यागंता, बिमारी तथा वृद्धवस्था के आधार पर भदेभाव न करना। ● वॉल पेन्टिंग में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जायेगा।	● सभी 06 ग्राम पचांयत समितियों की प्रतिमाह बैठकें/वर्ष में न्यूनतम दो बार ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन मानकों के अनुसार तथा समय से कार्यवृत्त तैयार किया जाना। ● 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वार्ड सदस्यों की भागीदारी। ● स्वयं सहायता समूह तथा महिला एवं बाल मंच के सक्रिय समूह गठित करना, महिला प्रधान परिवारों, अलग एवं एकल महिला को सहायता प्रदान करना दिव्यागों को आजीविका से जोड़ना। ● ग्राम पचांयत की परिधि में किसी भी प्रकार की मदिरा, तंबाकू अथवा अन्य किसी भी प्रकार के ड्रग्स का बेचे जाने पर प्रतिबधं लगाना, कूड़े तथा प्लास्टिक को जलाने पर प्रतिबंध लगाना। ● सिटीजन चार्टर को लागू करना। ● ग्राम सदस्यों को जन्म प्रमाण–पत्र, मृत्यू प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र आदि को ससमय दिया जाना सुनिश्चित करना। ● बैठक के द्वारा उपरोक्त सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना। ● समुदाय स्तर पर रैली, वार्ड सभा का आयोजन, संवाद कर जानकारी देना तथा जागरूक करना। ● ग्राम पंचायत में पारदर्शिता रखने प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा देना। ● ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा करना।

क्र सं	थीम	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	**बिना लागत (No Cost)**
9	समान लैंगिक विकास वाला ग्राम (Engendered Development village)	पुलिस द्वारा प्रसारित टोल फ्री नम्बर 1090 व यूपी पुलिस 112 का प्रसार हेतु मिशन शक्ति के लोगो के साथ इनका चित्रण ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन/पंचायत कार्यालय में किया जायें। नम्बर के बारें अधिक से अधिक लोगों को बताया जाये व पीड़ित महिला/बालिका की सहायता की जायें। इसके साथ ही सामुदायिक स्थलों पर महिला अधिकार से सम्बन्धित नारों का लेखन कराया जाना। **गतिविधि–** • सुरक्षा हेतु प्रसारित नम्बर 1090, एवं 112 का दीवार पर लेखन एवं नारा लेखन। • स्थानीय कला–प्रदर्शकों के द्वारा महिला सुरक्षा का प्रसार। • महिलाओं/किशोरियों हेतु कौशल विकास के सत्र चलाया जाना। • शराब, तंबाकू तथा अन्य किसी भी प्रकार के नशे को न खरीदने और न ही बेचने, घरेलू हिंसा रोकने के कार्य करना।	ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व महिलाओं/ किशोरियों की आवश्यकताओं का समाहित करने के उद्देश्य से "महिला सभा का आयोजन" जिसमें सभी वार्ड से महिलाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायें। महिलाओं की आवश्यकताओं – पेयजल, सुरक्षा,उत्पीडन, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर वार्ड मैम्बर, ए0एन0एम0, व आँगनवाडी एवं शिक्षिका की उपस्थिति में चर्चा कर सम्बन्धित गतिविधियों को कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये। **गतिविधि–** महिला/किशोरी सभा का आयोजन ग्राम पंचायत समिति सदस्यों के व्हाटसएप ग्रुप के माध्यम से वार्ड की सुरक्षा हेतु व्हाटसएप हेल्पलाईन की शुरूआत एवं इसे सक्रिय किया जाना। **गतिविधि–** सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायतों में समाधान पेटिकाओं की स्थाई स्थापना। वर्ष में एक बार समस्त ग्राम पंचायतों में गाँव की बेटियों को "ग्राम प्रधान" बनाकर उन्हे पंचायतों की कार्यशैली समझानें का प्रयास किया जाना। **गतिविधि–** "एक दिवस महिला कार्यकाल" मनाया जाना।

पंचायत सहायक की भूमिका

ग्राम पंचायत के एल.एस.डी.जी. की 09 थीम में से संकल्प के रूप में ली गयी थीम के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित समस्त गतिविधियों एवं क्रियाकलापों में सक्रिय सहभागिता कर लक्ष्य पूर्ण करने की दिशा में अपना योगदान सुनिश्चित करना।

14
ग्राम पंचायत विकास योजना
(G.P.D.P.)

ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)

ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपने विकास की कार्ययोजना तैयार करेगी, जो कि जन सहभागिता एवं समुदाय की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार करने व उसे ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) क्या है?

भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारम्भ वर्ष 2015 में किया गया और उ0प्र0 सरकार द्वारा सितम्बर 2015 में इससे सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी किये गये।

- ग्राम पंचायत विकास योजना विकेन्द्रित नियोजन (Decentralized Planning) है।
- ग्राम पंचायतें दीर्घकालिक विकास, स्थानीय प्राथमिकतायें और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय सीमा में स्वयं की पंचवर्षीय एवं एक वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करती हैं, जो सहभागी नियोजन एवं विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण (कनवर्जेंस) पर आधरित होती है।

ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों?

- ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबन्धन हेतु।
- ग्राम पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास शामिल हो।
- समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना तथा आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण।
- सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण हेतु।
- निर्धनों की आजीविका, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता देने हेतु।

ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण की प्रक्रिया–

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु मुख्यतः पाँच चरणों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जो निम्नलिखित है।

1	वातावरण निर्माण (ग्राम सभा का आयोजन
2	परिस्थिति विश्लेषण
3	आवश्यकताओं / समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण (ग्राम सभा का आयोजन कर)
4	ग्राम पंचायत विकास योजना के लिये संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास
5	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (ग्राम सभा का आयोजन कर)

अब इन सभी चरणों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते है।

प्रथम चरणः— वातावरण निर्माण

उपर्युक्त वातावरण निर्माण के लाभ :—

- समुदाय की सक्रिय भागीदारी से सही नियोजन की संभावनाए बढती है।
- वंचित समुदाय के दृष्टिकोण से समस्याओं और समाधानों के अधिक विकल्प सामने आने की संभावना बढ़ जाती है।
- योजना निर्माण के आगे के चरण आसान हो जाते हैं तथा पूरी प्रक्रिया के प्रति स्वामित्व का भाव जागृत होता है।
- प्रतिनिधियों के अलावा समुदाय के युवा, वंचित वर्ग, महिला, दिव्यांग, समुदाय आधारित संगठन, हाशिए पर खड़े व्यक्ति तथा धार्मिक प्रतिनिधि भी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं।
- सामाजिक विषयों कन्या भ्रूण हत्या, कुपोषण, बाल—विवाह, बालश्रम, घरेलू हिंसा आदि पर दृष्टिकोण/व्यवहार में बदलाव आता है।

वातावरण निर्माण हेतु विभिन्न तकनीक :—

1. प्रचार सामग्री का वितरण,
2. ग्राम पंचायत विकास योजना का परिचय देते हुए ग्राम पंचायत के सभी परिवारों को पत्र भेजना तथा योजना निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित करना।
3. स्पीकर से घोषणा करवाना।
4. रैली निकालना।
5. स्थानीय मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार।
6. स्कूली छात्र—छात्राओं आदि के द्वारा अभियान चलाना
7. सोशल मीडिया का उपयोग।
8. स्वयं सहायता समूहों द्वारा अभियान चलाना।
9. मुनादी कराना ।
10. बैनर , पोस्टर द्वारा ।

द्वितीय चरण :— परिस्थिति विश्लेषण

- प्राथमिक एवं द्वितीयक/ सहयोगी आँकडे एकत्र करना।
- बैठकों की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कराना।
- आँकडों का विश्लेषण/तुलना करना एवं ग्राम पंचायत के विकास स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करना (फैसिलिटेटर, सचिव, ग्राम प्रधान एवं नियोजन एवं विकास समिति सदस्यों द्वारा)।
- मिशन अन्त्योदय का डाटा।

मुख्यतः ग्राम पंचायत विकास योजना के आँकडो के संग्रह हेतु ग्रामीण सहभागी आंकलन (Participatory Rural Appraisal) पद्धति का उपयोग किया जाता है। आइये पी0आर0ए0 की मुख्य पद्धतियों पर प्रकाश डालते है।

- ✓ घर—घर सर्वेक्षण (House Hold Survey)
- ✓ ग्राम भ्रमण (Transect Walk)
- ✓ सामाजिक मानचित्रण/संसाधन मानचित्रण (Social Mapping/Resource Mapping)
- ✓ समूह केन्द्रित चर्चा (Focus Group Discussion)

तृतीय चरण– आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण

- परिस्थितकीय विश्लेषण के फलस्वरूप निकले समस्याओं का लिस्ट बनाना।
- जो भी समस्याएं निकल कर आये उन्हें एक फार्मेट पर समेकित कर लिखें। जिससे कि गांव की पूरी समस्याओं को एक जगह लाकर आगे की प्रक्रिया अर्थात प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सके।
- उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही प्राथमिकताओं को निर्धारित करना।
- प्राथमिकता का निर्धारण करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना कि
  - ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित समाहित हो।
  - अनुसूचित जाति/जनजाति एवं वंचित व कमजोर वर्ग के हित में हो।
  - महिलाओं और बच्चों के हित में हो।
  - गंभीर प्रकृति की समस्या जो वर्तमान या भविष्य में घटित होने की सम्भावना हो जैसे बाढ की समस्या, संक्रामक रोगों की समस्या, सूखे से निपटान की समस्या आदि।
  - ऐसी समस्यायें जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर किया जा सके।
- प्राथमिकताओं को निर्धारित करते समय उन्हें दो भागों में विभाजित करना
  - वित्तीय प्राथमिकता, जिनके लिय फण्ड की उपलब्धता आवश्यक है, जैसे नाली खडंजा निर्माण, हैण्डपम्प मरम्मत एवं अन्य निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य।
  - सामाजिक प्राथमिकतायें जिनके लिये फण्ड की आवश्यकता नहीं है, जैसे कुपोषण, अशिक्षा, टीकाकरण, लैंगिग असमानता, बाल संरक्षण, सुरक्षित पेयजल आदि पर चर्चा व जागरूकता के लिये गतिविधियॉ आयोजित करना।

आवश्यकताओं/समस्याओं को सूचीबद्ध करने के साथ–साथ ग्राम पंचायत के उपलब्ध संसाधनों का भी आंकलन किया जायेगा। ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करने में मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधनों की सूची तैयार की जायेगी जिसे ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप कहा जाता है।

रिर्सोस एन्वेलप (उपलब्ध संसाधन)
- **मानव संसाधन**
- **वित्तीय संसाधन**

रिसोर्स एनवलप के मानव एवं वित्तीय संसाधन में भी सरकारी एवं गैर–सरकारी संसाधनों की सूची निम्न प्रकार से तैयार की जायेगी।

रिसोर्स एनवेलप			
मानव संसाधन		वित्तीय संसाधन	
सरकारी	गैर–सरकारी	सरकारी	गैर–सरकारी
ग्राम पंचायत सचिव	स्वयं सहायता समूह की महिलायें	केन्द्रीय वित्त	स्वयं की आय (OSR)
लेखपाल	ग्राम सभा के सदस्य	राज्य वित्त	कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सबिलिटी (CSR)
ए0एन0एम0	युवा दल	मनरेगा	
आंगनबाड़ी	समुदाय आधारित संगठन	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)	
रोज़गार सेवक	रिटायर्ड कर्मचारी	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC)	
सफाई कर्मचारी	समाजिक कार्यकर्ता		
शिक्षामित्र			
शिक्षक			

चतुर्थ चरण– संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान तैयार करना

- उपरोक्त वित्तीय एवं सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण हो जाने के पश्चात् समस्त प्राथमिकताओं के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जायेगा। ड्राफ्ट प्लान बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का होना आवश्यक है:–
  - ✓ **प्रस्तावित क्षेत्र**– इसमें प्रस्तावित क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण गतिविधियों की सूची होगी जिस पर ग्राम सभा के दौरान निर्णय लिया गया है।
  - ✓ **प्राथमिकतायें**– इसमें केवल उन गतिविधियों की सूची होगी जिसे वार्षिक कार्ययोजना हेतु स्वीकृत किया गया है।
  - ✓ **फंड का आवंटन**– इसमें प्रत्येक क्षेत्र हेतु बनायी गयी परियोजना को पूरा करने के लिये आवंटित धनराशि का पूर्ण विवरण होगा।
  - ✓ **फंड का स्रोत**– फंड के स्रोतों (Centrally/State sponsored, FFC, SFC, OSR, Community contribution, CSR etc.) का विवरण प्रत्येक गतिविधि के साथ होना चाहिए।

पांचवा चरण : प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति एवं आगे की क्रियान्वयन की रणनीति पर चर्चा

- **प्रशासनिक स्वीकृति**– ग्राम सभा से अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा
- **वित्तीय स्वीकृति के मापदंड**
  - ✓ रू0 5,00,000 तक ग्राम पंचायत
  - ✓ रू0 5.0 से 7.50 लाख तक ए.डी.ओ. पं0
  - ✓ रू0 7.50 से 10.00 लाख तक जिला पंचायत राज अधिकारी
  - ✓ रू0 10 लाख से अधिक जिलाधिकारी
- **तकनीकी स्वीकृति**
  - ✓ **वर्तमान व्यवस्था**– ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिचाई, मण्डी समिति, जिला पंचायत अवर अभियन्ता।
  - ✓ लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जिला पंचायत, आवस एवं विकास, सिचाई, मण्डी परिषद, लघु सिचाई, कृषि, जल निगम के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता।
  - ✓ जनपद में पंजीकृत आर्किटेक्ट/कन्सल्टिंग इन्जीन्यिर नियत फीस के साथ इम्पैन्लड किया जायेगा, जो पंचायत के कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने व कार्यों के मापन का कार्य कर सकेगें।

प्रत्येक परियोजना दस्तावेज ग्राम पंचायत विकास योजना का हिस्सा होती है। तैयार ग्राम पंचायत विकास योजना को अगली ग्राम सभा में रखा जाता है।

अनुश्रवण:–

- ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा तथा ई ग्राम स्वराज पॉर्टल (www.gramswaraj.gov.in) पर कार्य योजना को अपलोड किया जाएगा। यह सचिव का दायित्व है।
- योजना के अवलोकन में पंचायत की स्थायी समितियों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। निर्धारित कार्य के अनुसार जो भी संबंधित स्थायी समिति जिम्मेदार है, वह अपनी सहायता हेतु लाभार्थियों के बीच से कुछ लोगों का चयन करें और हो रहे कार्यों की निगरानी में मदद के लिए एक अनुश्रवण समिति गठित कर लें। इससे लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ विकास योजना के प्रति लोगों में अपनत्व और स्वामित्व का बोध भी आएगा।
- योजना निर्माण संबंधी सभी व्यय 15वें वित्त आयोग की निधि से खर्च होंगे।

- ग्राम स्वराज पॉर्टल (www.gramswaraj.gov.in) पर प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. जनरेट की जाएगी एवं कार्यों की मासिक प्रगति भी एक्शन सॉफ्टवयेर के माध्यम से रिपोर्ट की जाएगी।
- ग्राम स्वराज पॉर्टल (www.gramswaraj.gov.in) पर कार्यों के आई.डी. (वर्क आई.डी.) के सापेक्ष खर्च का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल पर योजना अपलोड करने हेतु मुख्य बिन्दु

वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल

- **वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल में ग्राम पंचायत द्वारा थीम का चयन करते हुए संकल्प लिया जाना है।**
- **वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा संकल्प (Gram sabha Resolution) की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करना है।**

वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल

(https://meetingonline.gov.in/)

जी.पी.डी.पी. पोर्टल

- **जी.पी.डी.पी. पोर्टल में सभा को शिड्यूल और फ्रीज करें।**
- **जी.पी.डी.पी. पोर्टल में फैसिलिटेटर फीडबैक का कार्य पूर्ण करें।**

जीपीडीपी पोर्टल

(https://gpdp.nic.in/)

ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल

- **पंचायत प्रोफाइल अपडेशन (6 महीने में) और जी.पी.डी.पी. ओरिएंटेशन विवरण (01 बार) अपडेट करना है।**
- **पोर्टल में चिन्हित विषय की कम से कम 25 प्रतिशत गतिविधियाँ कार्य योजना में एवं 25 प्रतिशत अनटाइड फण्ड को चिन्हित विषय की एक्टिविटी में सम्मिलित किया जाना है।**
- **15वें वित्त आयोग की निधि योजना टाइड एवं अनटाइड के लिए अलग–अलग होगी।**
- **कार्य योजना में 22 प्रायोजित प्रमुख योजनाओं के बजट और संबंधित कार्यों को अद्यतन करें।**
- **रिसोर्स इनवेलप में आवंटित बजट के 100 से 120 प्रतिशत के बीच में पंचायत योजना बनाएं।**
- **एस.बी.एम. एवं वित्त की कार्य योजना को सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत की कार्य योजना तैयार की जाए।**

ई–ग्राम स्वराज पोर्टल

(https://egramswaraj.gov.in/)

वाइब्रेंट ग्राम सभा– जीवंत ग्राम सभा के बारे में 16 अगस्त 2021 को पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्राम सभा की बैठक को जीवंत बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किया है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाओ पर जोर दिए गया है :–

- टैग लाइन को प्रोमोट करना. "ग्राम सभा हमारी पहचान, गाँव की यह है शान"
- दो महीने में कम से कम एक ग्राम सभा का आयोजन
- ग्राम सभा की बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देना
- ग्राम सभा की बैठक का वार्षिक कैलंडर तैयार करना
- जिला एवं ब्लॉक लेवल के अधिकारियों का ग्राम सभा की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित करना
- जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें की समूह अ एवं समूह ब के अधिकारी ग्राम सभा की बैठक में भाग ले
- ग्राम सभा कि बैठक में अधिकतम लोगों की भागीदारी को प्राथमिकता, कोरम के लिए 10: सदस्यों की उपस्थिति, जिसमे 30: महिलाओ की सहभागिता
- ग्राम सभा स्तर पर शिकायत निवारण हेतु एक अलग से शिकायत निवारण रजिस्टर जिसमे समस्या एवं संभावित्त समाधान का वर्णन हो
- 6 स्थायी समितियों की ऑनलाइन मोनिटरींग सिस्टम को डिवेलप करना
- डे ऑफिसर का प्रावधान– प्रत्येक वार्ड मेम्बर को जिसके अंतर्गत इसकी यह जिम्मेदारी होगी की पंचायत कार्यालय समय से खुले, साफ सफाई का प्रावधान हो और समय पर सारी बैठके हो
- हर वार्ड सदस्य को सेक्टर एनैबलर बनाने की बात की गयी

सतत् विकास लक्ष्यों पर आधारित जी.पी.डी.पी.

वैश्विक स्तर पर 17 सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (एल.एस.डी.जी.) करते हुए उनको निम्नलिखित 09 थीमों में समाहित किया गया है।

09 थीम से सम्बन्धित गतिविधियों ई–ग्राम स्वराज पर स्वतः ही प्रदर्शित (auto populated) होती है एवं ग्राम पंचायतें थीम आधारित गतिविधियों चयनित कर थीमेटिक जी. पी.डी.पी. तैयार कर सकती है।

महिला सभा एवं बाल सभा का आयोजन

प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला सभा एवं बाल सभा का अनिवार्य रूप से गठन किया उन से तीश्रा गया है। सतत् विकास लक्ष्यो का स्थानीयकरण (एल.एस.डी.जी.) के 09 विषयों में विषय है बाल हितैषी गाँव जिसकी परिकल्पना है ''यह सुनिश्चित करना कि बच्चेपले विकसित होने तक अपने अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सुरक्षा के अधिकारों का आनन्द लेने में सक्षम बनें।'' इस परिकल्पना को साकार करने में बाल सभा की विशेष भूमिका।

एल.एस.डी.जी. का नौवां विषय है महिला हितैषी गाँव जिसकी परिकल्पना है– लैंगिक समानता को प्राप्त करना, ''समान अवसर प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं को 128 सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।'' इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस परिकल्पना को सकार करने हेतु महिलाओं के विकास ग्राम पंचायत में उनकी सहभागिता को विशेष महत्व दिया गया है। महिला व किशोरी स्वास्थ्य, पोषण, सरुक्षा, रोजगार एवं सहभागिता को मानको में सुधार हेतु अतिरिक्त प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

महिला सभा एवं बाल सभा के सफल आयोजन हेतु महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, महिला कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। त्रिस्तरीय पंचायतों के विकास योजनाओं हेतु निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं तथा बच्चों को हिस्सा बनाने हेतु पंचायतें निम्न बिन्दुओं को मुख्यताः महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, महिला कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सुनिश्चित कर सकती है –

- महिला तथा बाल सभा में चयनित महिला पंचायत प्रतिनिधियों की शत–प्रतिशत भागीदारी के साथ–साथ पोषण अभियान के कम–से–कम 50 प्रतिशत लाभार्थियों को आमंत्रित करना।
- महिला तथा बाल सभा में आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आई०सी०डी०एस०, शिक्षा एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक रूप से प्रतिभाग किया जाना।
- महिला एवं बाल सभा संबंधी पंचायत के "संकल्प" (Resolution) पर ग्राम सभा में चर्चा करना तथा संबंधित गतिविधियों को जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करना।
- महिला सभा में स्वयं सहायता समूहों की शत–प्रतिशत प्रतिभागिता सुनिश्चित करना तथा पंचायत समितियों की बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित करना।

पंचायती राज अधिनियम में प्राविधानित न्यूनतम दो ग्राम सभाओं के आयोजन से पूर्व तथा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले ("जनयोजना अभियान" दिनांक 02 अक्टूबर से 31 जनवरी) के मध्य आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं, इस प्रकार से न्यूनतम 03 ग्राम सभा से पूर्व प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में महिला सभा एवं बाल सभा का अनिवार्य रूप से आयोजन किए जाने के निर्देश शासनादेश सं0: 4121/33–3–2022, दिनांकः 06 नवम्बर, 2022 द्वारा निर्गत किया गया है।

पंचायत सहायक की भूमिकाः

1. ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु पंचायत सहायक की भूमिका फैसिलिटेटर की होगी।
2. ग्राम पंचायत विकास योजना की सभी 05 चरणों के क्रियान्वयन में प्रधान एवं सचिव का सहयोग प्रदान करना।
3. ग्राम पंचायत की ड्राफ्ट परिस्थिति रिपोर्ट तथा ड्राफ्ट कार्ययोजना निर्माण में सहयोग करना।
4. ग्राम सभा की सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति आदि के विश्लेषण में ग्राम सभा को सहयोग प्रदान कर आवश्यक डाटा संग्रह व संकलित करना।
5. कार्ययोजना के प्रशासनिक अनुमोदन उपरान्त कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।

15
ई–ग्राम स्वराज

ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्ययोजना अपलोड करने हेतु आवश्यक चरण, सावधानियाँ एवं पंचायत में लागू नवीन डिजीटल प्रयास

सर्व प्रथम वाईब्रेन्ट ग्राम सभा पॉर्टल पर ग्राम पंचायत की एडमिन लॉगिन आई डी से लॉगिन करके AKAM CELEBRATION पर जाकर नौ थीम में से किसी एक अथवा दो थीम का चयन करके सेव कर देंगें। इसके पश्चात Upload Resolution पर जाकर पहले संकल्प पत्र डाऊनलोड कर प्रिंट कर लेंगें। इस संकल्प पत्र पर ग्राम प्रधान एवं सचिव के हस्ताक्षर होगें। इसके पश्चात् इस संकल्प पत्र की पी.डी.एफ. जो एक एमबी से अधिक न हो, को अपलोड किया जायेगा।

ग्राम पंचायत विकास योजना पॉर्टल (www.gpdp.nic.in) पर ग्राम सभा की बैठकों का प्लान बनाया जायेगा। इन बैठकों के आयोजन के पश्चात फैसीलिटेटर द्वारा GPDP Facilitator Report मोबाईल एप के माध्यम से रिपोर्ट भरी जायेगी।

योजना को फीड करने से पूर्व सर्वप्रथम पंचायत की एक प्रोफाईल होनी आवश्यक है। इस प्रोफाईल में ग्राम प्रधान एवं सचिव का मोबाईल नं0 एवं ईमेल आई.डी. का होना अनिवार्य है, क्योंकि ई–ग्राम स्वराज के पोर्टल पर मेकर अथवा चेकर की आई.डी. से भुगतान करने के लिए मोबाइल एवं ईमेल आई.डी. पर ओ. टी.पी. जायेगा।

- जिसमें पंचायतों को डिजीटल करने के मकसद से इसका निर्माण किया गया।
- यह पॉर्टल विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों को एकीकृत कर एक पोर्टल पर सारी सेवाऐं देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है।
- पंचायत से सम्बन्धित समस्त प्रकार के सॉफ्टवेयरों का समन्वय।

क्यों ई–ग्राम स्वराज?

- पंचायतों को पारदर्शी एवं जवाबदेही संस्था के रूप में विकसित करना।
- सहभागी नियोजन (Participatory Planning) एवं विकेन्द्रीकृत (Decentralized System) प्रणाली की स्थापना।
- कार्य आधारित लेखा (Work Based Accounting)
- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल एक एकीकृत साफ्टवेयर है, जिसमें प्लानिंग, रिपोर्टिंग, एसेट डायरेक्टरी एवं एकाउन्टिंग को एक दूसरे से लिंक किया गया है।
- भारत सरकार के इस प्रयास से पंचायतों को ऑनलाइन कार्य करने में अधिक सुविधा होगी एवं पंचायतें पारदर्शी बनेगी।

ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल के विभिन्न मॉड्यूल –

ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के कार्य के आधार पर 5 मुख्य मॉड्यूल है–

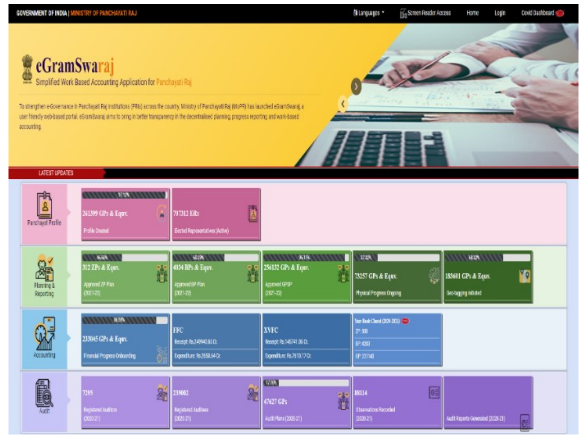

- पंचायत प्रोफाईल माड्यूल
- प्लानिंग मॉड्यूल
- रिपोर्टिंग मॉड्यूल
- एकाउटिंग मॉड्यूल
- एसेट मॉड्यूल

❖ **पंचायत प्रोफाईल** – यह माड्यूल पंचायतों को अपने पंचायत के बारे में संक्षिप्त विवरण के प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है। ग्राम पंचायत की कार्ययोजना की फीडिंग प्लानिंग एवं रिपोर्टिंग मॉड्यूल में करने से पूर्व पंचायत की प्रोफाईल को अपडेट करना आवश्यक है। इसमें निम्नलिखित विवरण अंकित किया जाता है–

✓ पंचायत में उपलब्ध सुविधाओं सहित संक्षिप्त विवरण।
✓ पंचायत चुनाव–पंचायत के चयनित प्रतिनिधि, प्रधान/प्रमुख /अध्यक्ष एवं पंचायत सचिव का विवरण।
✓ पंचायत में गठित समितियां एवं समिति के सदस्यों का विवरण।
✓ पंचायत द्वारा भरी गयी उक्त विवरण जनप्रतिनिधियों–प्रधान एवं सचिव के नाम एवं मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई डी. अनिवार्य रूप में ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध करना।

❖ **प्लानिंग मॉड्यूल** – पंचायत प्रोफाईल पूर्ण करनें के पश्चात ही ग्राम पंचायत विकास योजना की फीडिंग प्लानिंग सैक्शन के अन्तर्गत करते है। यह माड्यूल पंचायतों को अपनी वार्षिक कार्ययोजना बनाने तथा उसके प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है, जिसके 02 मुख्य घटक हैं :–

➢ **रिसोर्स इन्वलप** – वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि के प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है।

➢ **प्लानिंग** – विभिन्न योजनाओं में प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि के आधार पर पंचायत अपनी वार्षिक कार्ययोजना को अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है।

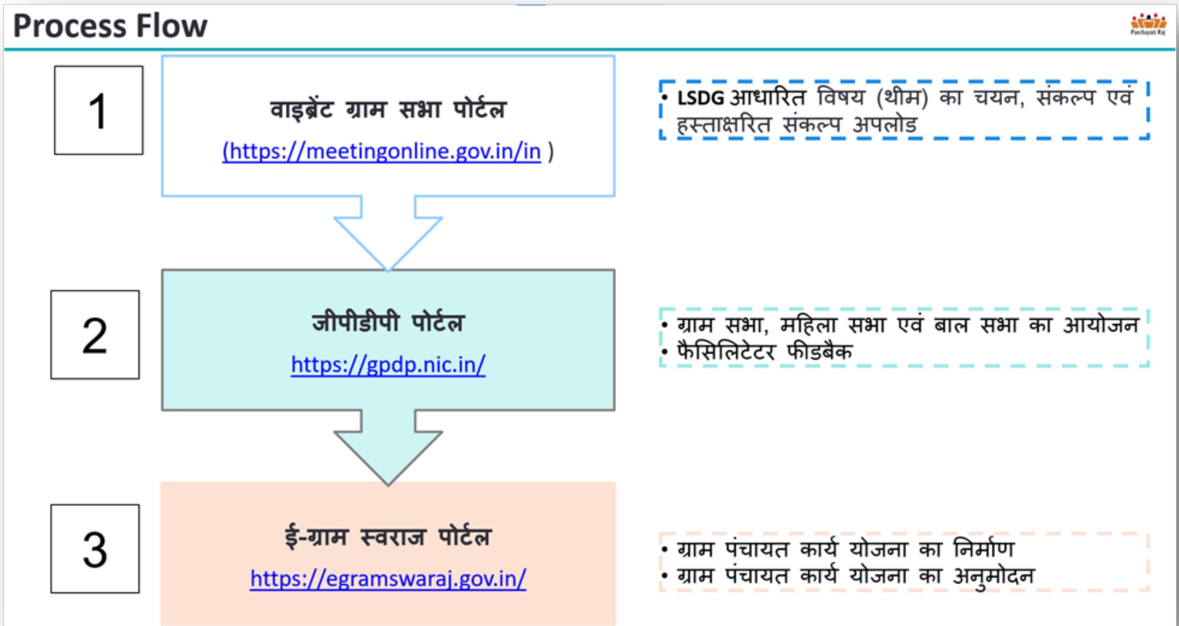

- **वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल** (https://meetingonline-gov-in/):
- वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल में ग्राम पंचायत द्वारा थीम का चयन करते हुए संकल्प लिया जाना है।
- वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा संकल्प (Gram Sabha Resolution) की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करना है।
- **जीपीडीपी पोर्टल** (https://gpdp-nic-in/)
- जीपीडीपी पोर्टल में सभा को शेड्यूल और फ्रीज करें।
- जीपीडीपी पोर्टल में फैसिलिटेटर फीडबैक का कार्य पूर्ण करें।
- **ई–ग्राम स्वराज पोर्टल** (https://egramswaraj-gov-in/)
- पंचायत प्रोफाइल अपडेशन (6 महीने में) और जीपीडीपी ओरिएंटेशन विवरण (1 बार) अपडेट करना है।
- पोर्टल में चिन्हित विषय की कम से कम 50 प्रतिशत गतिविधियों तथा इन गतिविधियों पर समस्त योजनाओं के सापेक्ष कुल Untied Fund का 25 प्रतिशत धनराशि को सम्लित किया जाना है।
- 15वें वित्त आयोग की निधि योजना Tied और Untied के लिए अलग–अलग होगी।
- कार्य योजना में 22 प्रायोजित प्रमुख योजनाओं के बजट और संबंधित कार्यों को अद्यतन करें।
- Resource Envelope में आवंटित बजट के 100 से 120 प्रतिशत के बीच में पंचायत योजना बनाएं।
- SBM-G Rural एवं वित्त की कार्य योजना को सम्लित करते हुए ग्राम पंचायत की कार्य योजना तैयार की जाये।

❖ **रिपोर्टिंग मॉड्यूल** – यह मॉड्यूल पंचायत द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित कार्यों की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ भौतिक प्रगति को अंकित करने एवं उसके प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है।

- **तकनीकी स्वीकृति**– प्रत्येक अनुमोदित कार्य के तकनीकी बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति को अंकित एवं अपलोड की सुविधा प्रदान करता है।
- **वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति**– प्रत्येक अनुमोदित कार्य के वित्तीय बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के अंकित एवं अपलोड की सुविधा प्रदान करता है।
- **प्रोग्रेस रिपोर्टिंग** – प्रत्येक कार्य के तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् उन कार्यों की भौतिक प्रगति अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **एसेट मॉड्यूल** – प्रत्येक कार्य की चरणवार भौतिक प्रगति 30, 30, 30 एवं 10 प्रतिशत के सापेक्ष अंकित किया जाता है। भौतिक प्रगति में चरणवार एसेट का जिओ–टैग अंकित करते हुए ही 100 प्रतिशत भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

❖ **एकाउटिंग मॉड्यूल** – यह माड्यूल पंचायतों को योजनावार कार्य विवरण सहित वित्तीय लेखा सम्बन्धी दस्तावेज बनाने की सुविधा प्रदान करता है, जिसके मुख्य घटक निम्नवत् है:–

- **मास्टर इंट्री**– पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं सम्बन्धित बैक खातों के विवरण के प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है।
- **डी.एस.सी. मैनेजमेन्ट**– पंचायतों से सम्बन्धित अधिकारी (मेकर) एवं प्रतिनिधि (चेकर) के डिजिटल सिग्नेचर का पंजीकरण किया जाता है। तदोपरान्त उच्च अधिकारी एवं पी.एफ.एम.एस. से अनुमोदन के उपरान्त भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।
- **वाउचर/ट्रान्जेक्शन**– पंचायतों द्वारा योजनावार आय (Receipt) एवं व्यय (Payment) का विवरण अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **दैनिक/मासिक/वार्षिक पुस्तिका बन्दी**– यह घटक पंचायतों को अपनी कैश बुक का मिलान सम्बन्धित बैंक खाते से कर दैनिक/मासिक/ वार्षिक पुस्तिका बन्द करने की सुविधा प्रदान करता है।

❖ **एम एक्शन साफ्ट** – यह एक मोबाइल एप है, जिसके माध्यम से ई–ग्राम स्वराज के प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के भौतिक प्रगति अन्तर्गत, कार्य के सापेक्ष अंकित एसेट्स की जीओ टैगिंग एवं फोटोग्राफ अपलोड की जाती है।

ई–ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन भुगतान करने हेतु आवश्यक तैयारी/व्यवस्थायें:

- प्रधान/प्रमुख/अध्यक्ष एवं पंचायत सचिव के पास के क्लास–3 **(Signing + encryption)** स्तर के डिजिटल सिग्नेचर (डी.एस.सी.)/ डोंगल होना अनिवार्य है।
- ऑनलाइन प्रणाली हेतु उपयोग किये जा रहे कम्प्यूटर सिस्टम/लैपटॉप में जावा, डी.एस.सी. साइनर साफ्टवेयर तथा विन्डोज ओ.एस. का होना अनिवार्य है। जावा तथा डी.एस.सी. सिग्नेचर का नवीन संस्करण **e-GramSwaraj** पोर्टल पर उपलब्ध है।
- पंचायत की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा तदोपरान्त प्रत्येक आईडी के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य को आनगोईंग किया जायेगा।
- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर वित्तीय वर्ष की सभी दैनिक/मासिक पुस्तिका को बन्द कर योजनावार प्रारम्भिक अवशेष की त्रुटिरहित गणना किया जाना अनिवार्य होगा।
- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का मिलान पी. एफ.एम.एस. पर अंकित जानकारी से किया जाएगा तथा यह विवरण दोनों साफ्टवेयर पर समान होना अनिवार्य है।

- उक्त विवरण सामान होने की दशा में ही योजनावार porting हो पायेगी।
- उक्त ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए पंचायतों का पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- ग्राम पंचायतों का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 पर उनकी फंडिंग एजेन्सी (राज्य/जनपद) स्तर से ही किया जा सकता है। तत्पश्चात् ग्राम पंचायतों द्वारा पी.एफ.एम.एस. पर लॉगिन कर सम्बन्धित स्कीम को बैंक खाते से मैप करते हैं और इसका अनुमोदन जनपद स्तर से लिया जा सकता है।
- शासनादेश दिनांक 16 जून एवं 29 जून, 2020 के अनुसार विभिन्न ग्राम पंचायत स्तर के मेकर, चेकर एवं स्वीकृति निम्नवत् हैः–

पंचायत	मेकर	चेकर	विकास स्तर की स्वीकृति	जनपद स्तर की स्वीकृति	राज्य स्तर की स्वीकृति
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव	प्रधान	सहायक विकास अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी	निदेशक, पंचायतीराज

ई–ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन पेमेंट–

❖ वेण्डर/आपूर्तिकर्ता एवं लाभार्थी का पंजीकरण–

- उक्तानुसार एजेंसी/लाभार्थी का विवरण अंकित करने के उपरान्त मेकर एवं चेकर द्वारा अपनी डी. एस.सी. से अनुमोदित करना अनिवार्य होगा।
- मेकर एवं चेकर के डिजिटल हस्ताक्षर करने के उपरान्त एजेंसी/लाभार्थी का विवरण स्वतः अप्रुव्ड होने के पश्चात ई–ग्राम स्वराज पर भुगतान करने हेतु प्रदर्शित हो जायेगा।

❖ मेकर द्वारा ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन व्यय वाउचर अंकित करना –

- मेकर द्वारा अनुमोदित एजेन्सी को ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा।
- ऑनलाइन पेमेन्ट हेतु मेकर द्वारा लॉग इन कर ट्रान्जेक्शन वाउचर ट्रान्जेक्शन–पेमेन्ट वाउचर–ऑनलाइन पेमेन्ट–वाउचर–एड चयनित किया जायेगा।

❖ मेकर द्वारा इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट आर्डर (ई.पी.ओ.) निर्गत करना –

- दैनिक पुस्तिका बन्द करने के पश्चात् मेकर द्वारा इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट आर्डर (ई.पी.ओ.) निर्गत किया जायेगा।
- ई.पी.ओ. निर्गत करने हेतु मेकर द्वारा ट्रान्जेक्शन–वाउचर– ट्रान्जेक्शन–पेमेन्ट वाउचर–ऑनलाइन पेमेन्ट वाउचर–साइन ई.पी.ओ. चयनित किया जायेगा।
- निम्नानुसार प्रत्येक व्यय वाउचर पर मेकर (सचिव) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किया जायेगा।
- पंचायत द्वारा एक दिवस में जितने भी वाउचर उक्तानुसार साफ्टवेयर पर फ्रीज किया गया होगा उन सभी के सापेक्ष दिवस का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दैनिक पुस्तिका बन्दी करते ही ई.पी.ओ. जनरेट होगा एवं मेकर के द्वारा उस पर अपनी डी.एस.सी. से हस्ताक्षर किया जाएगा।
- मेकर के डिजिटल हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई.पी.ओ. की एक फाइल जिसमें सभी डिजिटल हस्ताक्षर किये गये व्यय वाउचर सम्मिलित होगें वे स्वतः ही चेकर (प्रधान) को ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेगें।

❖ चेकर द्वारा फण्ड ट्रांसफर आर्डर (ई.पी.ओ.) निर्गत करना –

- सम्बन्धित चेकर द्वारा लॉग इन कर निम्नानुसार ई.पी.ओ. डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
- चेकर द्वारा ई.पी.ओ. निर्गत किये जाने हेतु मास्टर इन्ट्री–डी.एस.सी. प्रबन्धन–साइन ई.पी.ओ. चयनित किया जायेगा।

- चेकर (प्रधान) के अनुमोदनोपरान्त ई.पी.ओ. स्वतः ही पी.एफ.एम.एस. तथा बैंक के अनुमोदन हेतु उपलब्ध हो जायेगी, जिसके पश्चात् न्यूनतम दो दिवसों में एजेंसी/लाभार्थी के खाते में धनराशि हस्तान्तरित हो जायेगी।

रिपोर्टिंग– ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के होम पेज पर ही नियोजन, क्रियान्वयन तथा लेखांकन से सम्बन्धित रिपोर्ट जैसे– Approved plan, Sector wise report, Cashbook, Online payment report, Report, DSC status report, Vendor status, Geo-tagging report, amount pending status of PFMS report इत्यादि को देखा जा सकता है।

ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल पर [नवीन परिवर्तन] –

ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल पर [नवीन परिवर्तन] –

- ❖ मेकर एवं चेकर की आई.डी. से इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट ऑडर (EPO) Sign करते समय मोबाईल पर प्राप्त ओ.टी.पी. द्वारा सत्यापन की व्यवस्था।
- ❖ बिना संकल्प–पत्र अपलोड किये ग्राम पंचायत विकास योजना का ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड न हो पाना।

संकल्प ली हुई थीम में कुल गतिविधि की 50 प्रतिशत गतिविधियों का कार्ययोजना में अनिवार्य रूप से शामिल करना, तथा अनटाईड मद का न्यूनतम 25 प्रतिशत धनराशि अनिवार्य रूप से उक्त 50 प्रतिशत गतिविधियों पर व्यय करना।

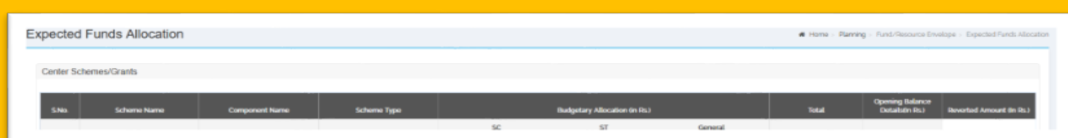

- ❖ कार्ययोजना में पॉर्टल पर अंकित किसी कार्य की प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय धनराशि का अधिकतम् 2 गुना ही भुगतान किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए यदि 100 मीटर की सडक निर्माण के लिए कार्ययोजना में प्रस्तावित धनराशि की फीडिंग रू0 20000/– (बीस हजार) मात्र की गई है, परन्तु जब कार्य हुआ और जे.ई. द्वारा एम0बी0 कुल रू0 100000/– (एक लाख) की गई, अब इस कार्य का अधिकतम भुगतान रू0 40000/– (चालीस हजार) ही किया जा सकेगा।

ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल पर [नवीन परिवर्तन] –

- ❖ Expected Funds Allocation Section में Reverted Amount कॉलम में Negative or Positive Amount प्रदर्शित होने का तात्पर्य है कि Budgetary Allocation कॉलम में Scheme Name-Scheme Type के सापेक्ष अंकित धनराशि को Administrative Approval के दौरान धनराशि को अधिक (Negative) अथवा कम (Positive) किया गया है। Negative धनराशि प्रदर्शित होने पर कार्य को ongoing करने पर Insufficient Amount का Error आ सकता है।

- ❖ यदि किसी वर्क आई0डी0 पर कार्य की कुल लागत के सापेक्ष पूर्ण भुगतान के उपरान्त भी धनराशि अवशेष रह गई है तो उस धनराशि को Works/Progress Management मेन्यू के Revert Saving Amount विकल्प का प्रयोग कर वापस कर अन्य वर्क आई0डी0 पर प्रयोग किया जा सकता है।
- ❖ प्रत्येक कार्य आई0डी0 के सापेक्ष पेमेन्ट वाउचर बनाते समय संबंधित बिल, मस्टरौल आदि पठनीय अभिलेख अपलोड कराना अनिवार्य है
- ❖ वित्तीय वर्ष 2023–24 से पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर 15वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत किये जा रहे व्यय के पूर्व प्रत्येक एसेट की स्टेज वाइज जिओ–टैगिंक तथा व्यय आवंटन को अनिवार्य किया है। इसके अतिरिक्त मेकर–चेकर के माध्यम से भुगतान हेतु वाउचर बनाते समय कार्य के सापेक्ष बिल–वाउचर की मूल प्रति अपलोड करने का प्राविधान किया गया है। जिसको कि निदेशालय स्तर से प्रद्त्त निर्देशो के क्रम में सभी पंचायतों में बिल–वाउचर की मूल प्रति अपलोड किये जाने हेतु अनिवार्य किया गया है।
- ❖ उक्तानुसार प्रत्येक एसेट की जिओ–टैगिंक उपलब्ध (फोटो एवं आक्षांतर–देशांतर) तथा प्रत्येक भुगतान के सापेक्ष बिल–वाउचर की मूल प्रति अपलोड होने से प्रत्येक एसेट के भुगतान से मिलान किया जा सकता है जिससे एसेट् पर ड्प्लीकेशी भुगतान को रोका जा सकता है।
- ❖ जेम (GEM) पॉर्टल को भी ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल के लिंक किया जा रहा है। भविष्य में समस्त पंचायतें अपनी समस्त खरीदारी जेम (GEM) पॉर्टल के माध्यम से करेंगी जिसका बिल सीधे भुगतान हेतु ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल पर उपलब्ध हो जायेगा।

ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का Digital Signature (DSC) के प्रति दायित्य–

- ❖ ग्राम पंचायत स्तर से मेकर एवं चेकर के अंकित/अपडेट किये गये प्रोफाइल का परिक्षणोपरान्त (Approval) अनुमोदन प्रदान कराना।
- ❖ ग्राम पंचायत स्तर से मेकर एवं चेकर के रजिस्टर किये गये DSC का परिक्षणोपरान्त अनुमोदन (Approval) प्रदान कराना।
- ❖ मेकर एवं चेकर के रजिस्टर DSC को कतिपय परिस्थितियों में Un-Register करना।

❖ ई–ग्राम स्वराज पॉर्टल पर कार्य करते समय सावधानियाँ–

क्या करें? (Dos)	क्या न करें? (Don'ts)
1– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही रूप पत्र 08 पर अनिवार्य रूप से लिखे। याद रखें इसमें जी.पी.डी.पी. के समस्त प्रस्तावों का विवरण अवश्य लिखा गया हो एवं ग्राम सभा द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई हो। इस कार्यवाही की पी.डी.एफ. बनाकर पॉर्टल पर अपलोड करें।	1– सादा कागज कार्यवाही के रूप में अपलोड न करें।
2– ग्राम सभा की बैठक के स्वच्छ (क्लीयर) फोटो अपलोड करें।	2– ब्लर (धुंधला), फोटो अपलोड न करें।

3– एडमीन, मेकर एकाउन्ट पर सचिव का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल तथा चेकर एकाउन्ट पर ग्राम प्रधान का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल अंकित करें।	3– एडमीन, मेकर तथा चेकर एकाउन्ट पर किसी अन्य, जैसे कम्प्यूटर आपरेटर एवं पंचायत सहायक इत्यदि का मोबाईल नं0 तथा ई–मेल यूजर प्रोफाईल पर अंकित न करें।
4– मेकर/चेकर अपने ई–ग्राम स्वराज एकाउन्ट का यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड अपने पास ही रखें।	4– मेकर/चेकर ई–ग्राम स्वराज के यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें।
5– मेकर/चेकर अपने डी0एस0सी0 डोंगल अपने पास ही रखें तथा स्वयं से भुगतान करें।	5– डी0एस0सी0 डोंगल किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित न करें।
6– मेकर/चेकर अपने डी0एस0सी0 का उपयोग स्वयं करें तथा इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट ऑडर (EPO) पर Digital हस्ताक्षर मेकर/चेकर द्वारा उसी दिन किया जाये।	6– मेकर तथा चेकर इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट ऑडर (EPO) पर Digital हस्ताक्षर अलग–अलग दिवस पर न करें।
7– किसी भी तकनीकी समस्या के निस्तारण हेतु सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें।	7– मोबाईल तथा ई–मेल पर प्राप्त OTP किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें।
8– केवल उन्ही कार्य/Work ID के सापेक्ष भुगतान करें जिन पर तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका हो।	8–एक्शन सॉफ्ट पर वित्त/प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन अंकित करे बिना किसी कार्य/Work ID के सापेक्ष भुगतान न करें।
9– मेकर/चेकर द्वारा इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट ऑडर (EPO) Digital हस्ताक्षर करने के उपरान्त यदि सम्बन्धित भुगतान अगले दिन तक खाते में जमा ना हो तो सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क स्थापित कर एक सप्ताह से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात् जिला पंचायत राज अधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करें।	9– किसी बड़े लागत के कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर कम लागत के भिन्न Work ID जनरेट न करें। ऐसा करने पर सम्बन्धित सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की जाएगी।

पंचायत सहायक की भूमिकाः

1. पंचायत की प्रोफाइल तैयार करने में सचिव का सहयोग करना।
2. रिसोर्स एन्वेलप तैयार करने में सहयोग करना।
3. ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई जीपीडीपी को वेबसाइट पर अपलोड करना।
4. कार्य योजना की प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में सचिव का सहयोग करना।
5. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित M Action सॉफ्ट मोबाइल अप्रोच के अन्तर्गत कार्य के प्रत्येक चरण की जियो टैगिंग करना।
6. ग्राम पंचायत के ऑनलाइन पेमेन्ट वाउचर्स संबंधी विवरण कम्प्यूटर पर सुरक्षित रखना।
7. ग्राम पंचायत की कैशबुक अपडेट करने में सहयोग करना।
8. ग्राम पंचायत की परिसम्पत्तियों का दस्तावेजीकरण करने में सहयोग प्रदान करना
9. ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रधान एवं सचिव के मार्ग निर्देशन में अभिलेखों की फीडिंग एवं संबंधित अभिलेखों को अपलोड कराने एवं पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से भुगतान आदि में सहयोग प्रदान करना।

16
पंचायत पुरस्कार

पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार

पुरस्कार की श्रेणियाँ :–

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार निम्न श्रेणियों में त्रिस्तरीय पंचायताओं को प्रदान किया जायेगा–

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पंचायत स्तर	क्र.सं.	स्थानीय सतत् विकास थीम (LSDG Themes)
1	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (DDUPSVP)	**ग्राम पंचायत** **क्षेत्र पंचायत** **जिला पंचायत**	1.	गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका वाली पंचायत
			2.	स्वस्थ पंचायत
			3.	बाल मैत्री पंचायत
			4.	पर्याप्त जलयुक्त वाली पंचायत
			5.	स्वच्छ एवं हरित पंचायत
			6.	आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचे युक्त पंचायत
			7.	न्यायसंगत एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत
			8.	सुशासित पंचायत
			9.	महिला हितैषी पंचायत
2	नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (NDSPSVP) (केवल राष्ट्रीय स्तर पर)	**ग्राम पंचायत**	राष्ट्रीय स्तर पर 9 थीम/विषयों के अन्तर्गत संयुक्त रूप से उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली प्रथम 3 ग्राम पंचायतें	
		क्षेत्र पंचायत	राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 3 क्षेत्र पंचायतें (क्षेत्र पंचायतों में सम्मिलित कुल ग्राम पंचायतों के सभी 9 थीम/विषयों के औसतन अंकों के आधार पर)	
		जिला पंचायत	राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 3 जिला पंचायतें (जिला पंचायतों में सम्मिलित कुल ग्राम पंचायतों के सभी 9 थीम/विषय के औसतन अंकों के आधार पर)	
3	विशेष पुरस्कार (केवल राष्ट्रीय स्तर पर)	**3(क)** **ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार**– सौर ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को यथासम्भव मंत्रालय/सम्बन्धित विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा। **3(ख)** **कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार**– राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम 03 ग्राम पंचायतें जिन्होंने पंचायत में नेट जीरो कार्बन एमीशन प्राप्त करने में उत्कृष्ट कार्य किया हो। **3(ग)** **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार**– यह पुरस्कार ऐसी ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा जो कि एक से अधिक बार दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। **3(घ)** **पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार**– राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम 03 संस्था जिन्होंने एल.एस.डी.जी. के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अभूतपूर्व कार्य किया हो। **3(ङ)** **विशेष प्रतिभागिता पुरस्कार**– ऐसे प्रदेश जहाँ पर सबसे अधिक ग्राम पंचायतों ने उक्त पुरस्कार श्रेणियों में हिस्सा लिया हो।		

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार का स्तर/संख्या

पुरस्कार का स्तर	पंचायतों की संख्या		
	ग्राम पंचायत	क्षेत्र पंचायत	जिला पंचायत
क) विकास खण्ड स्तर	27 (प्रत्येक थीम/ विषय में 03 ग्राम पंचायत)	–	–
ख) जनपद स्तर पर	27 (प्रत्येक थीम/ विषय में 03 ग्राम पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 क्षेत्र पंचायत)	–
ग) राज्य स्तर पर	27 (प्रत्येक थीम/ विषय में 03 ग्राम पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 क्षेत्र पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 जिला पंचायत)
घ) राष्ट्रीय स्तर पर	27 (प्रत्येक थीम/ विषय में 03 ग्राम पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 क्षेत्र पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 जिला पंचायत)

पुरस्कार धनराशि एवं प्रमाण–पत्र

राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों की संख्या एवं धनराशि निम्नवत् वर्णित है–

पुरस्कार प्राप्तकर्ता	स्पर्धा का स्तर	पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं की संख्या	प्रत्येक थीम हेतु अनुमानित पुरस्कार की धनराशि	टिप्पणी
ग्राम पंचायत (DDUPSVP)	राष्ट्रीय	3 (प्रत्येक थीम हेतु)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 50 लाख • द्वितीय पुरस्कार–रू. 40 लाख • तृतीय पुरस्कार–रू. 30 लाख कुल = रू. 1.20 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय/ नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा दिया जायेगा।
ग्राम पंचायत (NDSPSVP)	राष्ट्रीय	3 (best out of all themes)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 1.5 करोड़ • द्वितीय पुरस्कार–रू. 1.25 करोड़ • तृतीय पुरस्कार–रू. 1 करोड़ कुल = रू. 3.75 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
क्षेत्र पंचायत (DDUPSVP)	राष्ट्रीय	3 (for each theme)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 50 लाख • द्वितीय पुरस्कार–रू. 40 लाख • तृतीय पुरस्कार–रू. 30 लाख कुल = रू. 1.20 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
क्षेत्र पंचायत (NDSPSVP)	राष्ट्रीय	3 (best out of all themes)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 1 करोड़ • द्वितीय पुरस्कार–रू. 75 लाख • तृतीय पुरस्कार–रू. 50 लाख कुल = रू. 2.25 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
जिला पंचायत (DDUPSVP)	राष्ट्रीय	3 (for each theme)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 1.5 करोड़ • द्वितीय पुरस्कार–रू. 1.25 करोड़ • तृतीय पुरस्कार–रू. 1 करोड़ कुल = रू. 3.75 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
जिला पंचायत (NDSPSVP)	राष्ट्रीय	3 (best out of all themes)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 5 करोड़ • द्वितीय पुरस्कार–रू. 3 करोड़ • तृतीय पुरस्कार–रू. 2 करोड़ कुल = रू. 10 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
राष्ट्रीय स्तर पर कुल पुरस्कार की धनराशि			(i) 27 GPs (Thematic): Rs.1.20 crore * 9 themes = Rs. 10.80 crore (ii) 3 Best GPs (All themes) = Rs.3.75 crore (iii) 27 BPs(Thematic): Rs.1.20 crore * 9 themes = Rs. 10.80 crore (iv) 3 Best BPs (All themes) = Rs.2.25 crore (v) 27 DPs (Thematic): Rs.3.75 crore * 9 themes = Rs. 33.75 crore (vi) 3 Best DPs (All themes)= Rs.10.00 crore Total : 71.35 crore	

पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के क्रियान्वयन हेतु गठित समितियाँ

राज्य स्तर : कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य पंचायत परफॉरमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC)

जनपद स्तर : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद पंचायत परफॉरमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (DPPAC)

विकास खण्ड स्तर : खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लाक पंचायत परफॉरमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (BPPAC)

आवेदन की प्रक्रिया–

- त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा स्वयं से संबंधित प्रश्नावलियों को भारत सरकार की वेबसाइट **www.panchayataward.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।
- यह आवेदन योजना के जारी शासनादेश में दी गयी समय–सारिणी अनुसार निश्चित समय–सीमा में किया जाना अनिवार्य होगा।

सचिव, ग्राम पंचायत का दायित्व–

सचिव, ग्राम पंचायत का दायित्व है कि पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के आवेदन हेतु विभागीय कार्यक्रमों से सम्बन्धित अभिलेखों के साथ–साथ अन्य विभागों से सम्बन्धित अभिलेखों को एकत्रित करके रखे एवं ऑनलाइन आवेदन के समय उक्त अभिलेखों को आवश्यकतानुसार वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

👉 **पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार की विस्तृत जानकारी हेतु शासनादेश संख्या–1867/33–3–2022 दिनांक 07.09.2022 का अवलोकन करें।**

प्रदेश स्तरीय पुरस्कार

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

- पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यो हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2017–18 में की गई है।
- प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् श्रेणी के लिए निर्धारित धनराशि (10 से 35 लाख) से पुरस्कृत किए जाने की कार्यवाही की जाती है।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के प्रस्तावित मानक–

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित 09 विषयों/थीम के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति के लिये एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया गया है:–

विषय (**Theme**) 01 : गरीबी मुक्त गाँव
विषय (**Theme**) 02 : स्वस्थ गाँव
विषय (**Theme**) 03 : बाल हितैषी गाँव
विषय (**Theme**) 04 : पर्याप्त जल युक्त गाँव
विषय (**Theme**) 05 : स्वच्छ और हरित गाँव
विषय (**Theme**) 06 : आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गाँव
विषय (**Theme**) 07 : सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गाँव
विषय (**Theme**) 08 : सुशासन वाला गाँव
विषय (**Theme**) 09 : महिला हितैषी गाँव

उपरोक्त विषयों पर जनपदों में उत्कृष्ट कार्य कर उच्च अंक प्राप्त करने वाली 05 ग्राम पंचायते पुरस्कार हेतु पात्र होगी।

पुरस्कार श्रेणी एवं प्रस्तावित धनराशि

प्रथम पुरस्कार	–	रू. 35 लाख
द्वितीय पुरस्कार	–	रू. 30 लाख
तृतीय पुरस्कार	–	रू. 20 लाख
चतुर्थ पुरस्कार	–	रू. 15 लाख
पंचम पुरस्कार	–	रू. 10 लाख

आवंटित बजट के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार पुरस्कार की धनराशि में परिवर्तन सम्भव है।

आवेदन की प्रक्रिया

- ग्राम पंचायतें, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 के वेबपोर्टल 'हमारी पंचायत **www.hamaripanchayat.up.gov.in** पर पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर अनुमोदन किए जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन राज्य स्तर को अग्रसरित किया जायेगा।
- शासन स्तर पर गठित एसेसमेंट कमेटी द्वारा ग्राम पंचायतों के गत वर्ष के कार्यो के आधार पर ग्राम पंचायतों के चयन एवं संख्या पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

पंचायत सहायक की भूमिका:

पंचायत पुरस्कार (राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार) के मानक के अनुरूप वांछित अभिलेख तैयार करने में अपेक्षित सहयोग प्रदान कर पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत का ऑनलाइन आवेदन निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित करना।

वेबसाइट pritlko.up.gov.in

ई–मेल prit.lko@up.gov.in

@pritlkoup

फेसबुक Panchayati Raj Institute of Training-PRIT